



HEAD OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
"Gauradevi Paryavaran Bhawan"
46B, IT Park, Sahastradhara Road, Dehradun
E-mail : msukpcb@yahoo.com

Letter No.: UKPCB/HO/Gen-183-757/2024/257.

Date: 21.05.2024

E-MAIL

To,

The Registrar General
Hon'ble National Green Tribunal
Principal Bench, New Delhi
Email: judicial-ngt@gov.in

Sub.: Joint Inspection Report of Joint Committee constituted in the matter of Original Application No. 147 of 2024 titled as "Hardeep Sharma Versus Ramesh Chandra Arya & Ors." - reg.

Sir,

Kindly refer to the orders dated 15.02.2024 & 25.04.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal in the matter of **Original Application No. 147 of 2024** titled as "**Hardeep Sharma Versus Ramesh Chandra Arya & Ors.**". In Compliance of orders passed by the Hon'ble NGT, please find attached herewith Joint Inspection Report of Joint Committee constituted in the matter.

You are requested to kindly place the Joint Inspection report along with Annexures before the Hon'ble Tribunal for kind consideration please.

Encl.: As above.

Sincerely Yours'


21/5/2024
(Chandan Singh)

Chief Environment Officer

Copy to:

1. Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun for kind information please.
2. Shri Mukesh Verma, Advocate & Counsel for Uttarakhand Pollution Control Board for information and necessary action, please.
3. Additional Secretary, Department of Environment Conservation & Climate Change, Government of Uttarakhand for information, please.
4. Regional Officer, UKPCB, Regional Office, Kashipur for information please.


Chief Environment Officer

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-147/2024, श्री हर्दीप शर्मा बनाम रमेश चंद्र आर्या एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.02.2024 व दिनांक 25.04.2024 के अनुपालन में संयुक्त जांच आख्या।

उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-147/2024, श्री हर्दीप शर्मा बनाम रमेश चंद्र आर्या एवं अन्य में दिनांक 15.02.2024 को मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा निम्नानुसार आदेश पारित किये गये।

"In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constituted a Joint Committee comprising of representatives of CPCB, DFO, Udham Singh Nagar, State PCB and District Magistrate, Udham Singh Nagar and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associates the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. the State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance."

उक्त आदेशों के अनुपालन में प्रकरण पर जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर की ओर से नामित प्रतिनिधि उपजिलाधिकारी, काशीपुर, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नामित प्रतिनिधि श्री रुना उरौव, वैज्ञानिक घ, प्रभागीय वनाधिकार, प्रभागीय वन प्रभाग तराई पश्चिमी, रामनगर की ओर से नामित प्रतिनिधि श्री संदीप गिरी, उपप्रभागीय वनाधिकारी, जसपुर तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से नामित प्रतिनिधि श्री नरेश गोस्वामी, क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 16.04.2024 को शिकायतकर्ता श्री हर्दीप शर्मा तथा भू-स्वामी की ओर से श्री सत्यम अग्रवाल तथा श्री सिद्धान्त गोयल आदि की उपस्थिति में निरीक्षण किया गया (उपस्थिति संलग्न, संलग्नक-1)।

निरीक्षण की दिनांक 16.04.2024 को उक्त भू-खण्ड पर पेड़ों/पौधों की संख्या की गिनती राजस्व व अन्य विभागों के दिनांक 19.04.2024 को नैनीताल-उधमसिंहनगर संसदीय क्षेत्र सहित उत्तराखण्ड राज्य में लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के निर्वाचन दायित्वों में लगे होने के कारण नहीं की जा सकी।

दिनांक 25.04.2024 को मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण पर निम्नानुसार आदेश पारित किये गये।

"Report of the joint Committee and replies/responses by respondents no. 11 to 14 be filed within two months by email judicial-ngi@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF."

उपरोक्त आदेश दिनांक 25.04.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त जांच समीति द्वारा उद्यान विभाग, राजस्व विभाग तथा वन विभाग को सम्मिलित करते हुये शिकायतकर्ता श्री हर्दीप शर्मा तथा भू-स्वामियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में विषयगत स्थल का निरीक्षण दिनांक 08.05.2024 तथा 10.05.2024 को किया गया(उपस्थिति संलग्न, संलग्नक-2)।

संयुक्त जांच आख्या निम्नवत् है-



1. निरीक्षण के समय पाया गया कि, ग्राम चांदपुर, त0-काशीपुर के भू-खण्ड, खाता संख्या-00027, 00125, 00126 व 00208 में कुल रकवा 9.910 हेक्टेअर पर लगभग चारो ओर वाउन्डीवाल की गयी है। उक्त भू-खण्ड के मध्य में भू-स्वामी का पुराना मकान/कोठी है, जिसे अन्य भू-खण्ड से पृथक करते हुए वाउन्डीवाल का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त शेष भू-खण्ड, जो कि उक्त मकान/कोठी के बायें व दाहिनी तरफ स्थित है, पर लगभग 60 फिट, 35 फिट, 25 फिट चौड़ी आदि आर.सी.सी. निर्मित सड़कों का निर्माण किया गया है। उक्त भू-खण्ड पर सड़क निर्माण तथा गेट निर्माण का कार्य एवं भूखण्ड के दो प्लाटे पर भवन निर्माण का कार्य चलता हुआ पाया गया। उक्त भू-खण्डों पर आम, लीची, नाशपाती सहित अन्य छोटे-बड़े वृक्ष भी पाये गये।
2. उक्त खाता संख्या-00027, 00125, 00126, 00208, कुल रकवा 9.910 हेक्टेअर भूमि में वर्ष 2021 से पूर्व खाता संख्या-00027, में श्री उमेश कुमार पुत्र श्री इन्द्रदेव, खाता संख्या-00126 में श्री महेश कुमार पुत्र श्री इन्द्रदेव, खाता संख्या-00125, श्री महेश कुमार पुत्र श्री इन्द्रदेव, नकुल कुमार पुत्र श्री महेश कुमार, खाता संख्या-00208, श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री इन्द्रदेव के नाम पर दर्ज थी। श्री उमेश कुमार पुत्र श्री इन्द्रदेव तथा श्री महेश कुमार पुत्र श्री इन्द्रदेव की मृत्यु के पश्चात वर्ष-2021 में उक्त भू-खण्ड श्री नकुल कुमार, श्री सुधीर कुमार, श्री मनीष कुमार, श्रीमति राजेश गुप्ता तथा श्री सुरेश कुमार के नाम दर्ज हो गयी। जो कि वर्तमान में अनेक छोटे-बड़े भू-खण्डों में विक्ति होकर लगभग 72 भू-स्वामियों के नाम दर्ज अभिलेख है तथा उक्त भूखण्डों में खाता संख्या-0027 के खसरा संख्या-150 कुल रकवा-1.088 हेक्टेयर भूमि अक्षक दर्ज है, शेष कृषि भूमि दर्ज है।
(खतौनी संलग्न, संलग्नक-3)।
3. उक्त भू-खण्ड स्वामियों श्री सुधीर कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता द्वारा खाता संख्या-0027 के खसरा नं0-157 में लीची के 25 वृक्षों तथा खसरा संख्या-157 आम के 50 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु मुख्य उद्यान अधिकारी, उधमसिंहनगर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार श्री नुकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री महेश कुमार द्वारा खाता संख्या-125 के खसरा संख्या-145, 152, 153, 147 में आम के 60 वृक्षों के पातन तथा श्री मनीष गुप्ता पुत्र श्री नरेश कुमार गुप्ता द्वारा खाता संख्या-0027 के खसरा संख्या-156 में आम के 50 वृक्षों के पातन हेतु मुख्य उद्यान अधिकारी, उधमसिंहनगर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया (प्रार्थना पत्रों की छायाप्रति संलग्न, संलग्नक-4)।
4. उक्त प्रार्थना पत्रों के अनुक्रम में मुख्य उद्यान अधिकारी, उधमसिंहनगर द्वारा प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु अपने पत्र दिनांक 12.08.2022 द्वारा खाता संख्या-125 के खसरा संख्या-145, 152, 153, 147, खाता संख्या-0027 के खसरा नं0-157 तथा खाता संख्या-0027 के खसरा संख्या-156 पर आम के वृक्षों के पातन हेतु प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु निम्नलिखित 3 सदस्यों की समीति गठित की गयी (संलग्नक-5)।
 1. श्री जगदीश चन्द्र तिवारी, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, उद्यान सचल केन्द्र, काशीपुर, उधमसिंहनगर।
 2. श्री आर.डी. भट्ट, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी, उधमसिंहनगर।

3. श्री के.एल. सागर, सहायक विकास अधिकारी, उद्यान सचल केन्द्र, कुण्डेश्वरी, काशीपुर, उधमसिंहनगर।

इसके अतिरिक्त दिनांक 22.08.2022 को खाता संख्या-0027 के खसरा नं0-157 में लीची के वृक्षों के पातन हेतु प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्नानुसार 3 सदस्यों की समीति गठित की गयी-(संलग्नक-6)

1. श्री जगदीश चन्द्र तिवारी, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, उद्यान सचल केन्द्र, काशीपुर, उधमसिंहनगर।
2. श्री गोपाल राम, सहायक विकास अधिकारी, कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी, उधमसिंहनगर।
3. श्री के.एल. सागर, सहायक विकास अधिकारी, उद्यान सचल केन्द्र, कुण्डेश्वरी, काशीपुर, उधमसिंहनगर।

उपरोक्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु दिनांक 19.12.2022 को श्री जगदीश चन्द्र तिवारी, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक तथा श्री के.एल. सागर, सहायक विकास अधिकारी द्वारा निरीक्षण कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, जिसमें वृक्षों के पातन न किये जाने की संस्तुति की गयी। निरीक्षण आख्या के बिन्दु संख्या-5 में बाग में कुल वृक्षों की संख्या निम्नानुसार अवगत करायी गयी (संलग्नक-7)।

1. आम के वृक्ष-718(278 आम वृक्ष लगभग 50 साल, शेष वृक्ष 2 साल से 10 साल)।
2. लीची के वृक्ष-334(लीची वृक्ष की आयु 6 साल से 35 साल)।
3. नाशपाती के वृक्ष-48(नाशपाती वृक्ष लगभग 6 साल)।
4. कटहल के वृक्ष-01(कटहल वृक्ष 15 साल)।

उपरोक्तानुसार कुल वृक्षों की संख्या 1101 है।

5. उक्त निरीक्षण दिनांक 19.12.2022 के क्रम में की गयी संस्तुतियों के विरुद्ध प्रार्थियों द्वारा जिला उद्यान अधिकारी, उधमसिंहनगर को दिनांक 28.12.2022 को आपत्तियां प्रस्तुत करते हुये पुनः स्थलीय निरीक्षण कर प्रकरणों का निस्तारण किये जाने का अनुरोध किया गया। उक्त आवेदन के क्रम में जिला उद्यान अधिकारी द्वारा बाग काफी बढ होने एवं पेड़ों की संख्या अधिक होने के कारण वृक्षों के पातन हेतु राजस्व विभाग एवं उद्यान विभाग की संयुक्त समीति गठित कर संयुक्त निरीक्षण कराये जाने हेतु दिनांक 03.01.2023 को संयुक्त मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी, काशीपुर को पत्र प्रेषित किया गया (संलग्नक-8)।
6. उक्त अनुरोध के क्रम में तहसीलदार, काशीपुर द्वारा दिनांक 12.01.2023 को श्री राम सिंह, राजस्व निरीक्षक, क्षेत्र काशीपुर, कु0 निर्मला मनौला, राजस्व उप निरीक्षक, क्षेत्र काशीपुर तथा उद्यान विभाग के ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षकों श्री रेवाधर भट्ट तथा श्री शंकर लाल कोहली को संयुक्त निरीक्षण कर आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया (संलग्नक-9)।
7. उक्त गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 13.01.2023 तथा 22.01.2023 को सम्बन्धित स्थलों का निरीक्षण करते हुए अपनी जांच रिपोर्टें तहसीलदार, काशीपुर के माध्यम से दिनांक 17.01.2023 व 31.01.2023 को मुख्य उद्यान अधिकारी, उधमसिंहनगर को प्रेषित की गयी (संलग्नक-10)

8. उक्त जांच आख्याओं के आधार पर आवेदित खसरा संख्याओं में आम के कुल-128 वृक्ष तथा लीची के कुल-22 वृक्षों के पातन की सशर्त अनुमति जिला उद्यान अधिकारी, उधमसिंहनगर द्वारा दिनांक 19.01.2023 तथा 06.02.2023 को निर्गत की गयी (संलग्नक-11)।
9. उक्त पातन के सम्बन्ध में सी.एम. हैल्पलाईन में दर्ज शिकायत के क्रम में वन विभाग द्वारा की गयी जांच के आधार पर 150 वृक्षों के पातन की स्वीकृति के अतिरिक्त 88 वृक्षों के बिना अनुमति पातन पर वन विभाग द्वारा वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1986 की धारा -4 व 10 के अन्तर्गत रु0 4,40,000/- का जुर्माना आरोपित किये जाने एवं वसूले जाने की सूचना दिनांक 19.07.2023 को प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर द्वारा मुख्य उद्यान अधिकारी, उधमसिंहनगर को दी गयी (संलग्नक-12)।
10. इससे पूर्व सी.एम. हैल्पलाईन में दर्ज शिकायत के क्रम में उद्यान विभाग के श्री जगदीश चन्द्र तिवारी, ज्येष्ठ उद्यान अधिकारी तथा श्री दिवाकर पाण्डे, सहायक विकास अधिकारी द्वारा उक्त बाग का निरीक्षण किया गया तथा दिनांक 24.05.2023 तक कुल जीवित पौधों की संख्या-531, काटे गये पेड़ों की संख्या-470 अवगत करायी गयी (जिसमें 150 वृक्षों की अनुमति तथा बिना अनुमति के काटे गये 88 वृक्ष भी सम्मिलित हैं)। इसके अतिरिक्त प्लानिंग के अन्दर 90 प्रतिशत हानि पहुंचाये गये वृक्षों की संख्या 178 भी अवगत करायी गयी (संलग्नक-13)।
11. राजस्व विभाग के फसली वर्ष 1430 (2022-2023) के खसरा नकल के अनुसार उक्त भूखण्ड पर आम के 505 वृक्ष, लीची के 320 वृक्ष, नाशपाती के 50 वृक्ष, कटहल के 2 वृक्ष तथा अन्य 16 वृक्ष दर्ज अभिलेख है। नकल की छयाप्रति संलग्न है (संलग्नक-14) ।
12. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर के निर्देशानुसार गठित टीम द्वारा दिनांक 26.09.2023 को सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें शिकायतकर्ता श्री हर्दीप शर्मा (मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-147/2024, के आवेदक) तथा भू-स्वामी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में वृक्षों की गणना की गयी, जिसमें उपजिलाधिकारी, काशीपुर; मुख्य उद्यान अधिकारी, उधमसिंहनगर; उपप्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर; वनक्षेत्राधिकारी, काशीपुर; तहसीलदार, काशीपुर सहित राजस्व विभाग, वन विभाग व उद्यान विभाग के अन्य कर्मचारी भी उपस्थित थे। संयुक्त टीम द्वारा वृक्षों की गणना की गयी। तत्समय मौके पर खड़े एवं जीवित वृक्षों की संख्या निम्नानुसार पायी गयी (संलग्नक-15)।

1. आम-505
2. लीची-320
3. नाशपाती-50
4. कटहल-2
5. जामुन-2

उपरोक्तानुसार कुल-879 वृक्ष पाये गये।

उक्त योजित मूल आवेदन संख्या-147/2024, में पारित आदेश दिनांक 25.04.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त जांच समीति द्वारा उद्यान विभाग, राजस्व विभाग तथा वन विभाग को सम्मिलित करते हुये शिकायतकर्ता श्री हर्दीप शर्मा तथा भू-स्वामियों की उपस्थिति में



सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण दिनांक 08.05.2024 तथा 10.05.2024 को करते हुये उक्त भू-खण्ड में वृक्षों की गणना की गयी। निरीक्षण के समय मौके पर छडे वृक्षों की संख्या निम्नानुसार पायी गयी। (संलग्नक-16)।

1. आम-411 (13 वृक्ष सूखे एवं अन्य जीवित)
2. लीची-263
3. नाशपाती-25
4. कटहल-2
5. जामुन-2

उपरोक्तानुसार कुल-703 वृक्ष पाये गये।

उक्त सम्पूर्ण भू-खण्ड में की गयी फलदार वृक्षों की गणना के अनुसार वर्तमान में दिनांक 26.09.2023 को की गयी गणना के सापेक्ष आम के 94 वृक्ष, लीची के 57 वृक्ष, नाशपाती के 25 वृक्ष, कुल-176 वृक्ष कम पाये गये। इस सम्बन्ध में भू-खण्ड स्वामियों के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि, उक्त में से 165 वृक्षों को अन्यत्र प्रतिस्थापित किया गया है। इस संबंध में भू-स्वामियों के प्रतिनिधियों द्वारा पर्यावरण सुरक्षा वृक्षारोपण, जन सेवा समीति (रजि०) नामक संस्था का पत्र प्रस्तुत कराया गया है(संलग्नक-17)। उक्त सम्बन्ध में वृक्षों के अन्यत्र प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में भू-स्वामियों द्वारा कोई भी अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है। वन विभाग तथा उद्यान विभाग द्वारा अवगत कराया गया है, कि वृक्षों के प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में कोई भी नियम विद्यमान नहीं है। इस संबंध में उपरोक्तानुसार, कम पाये गये कुल 176 वृक्षों के संबंध में संबंधित विभागों द्वारा नियमानुसार कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

इसके अतिरिक्त जिला विकास प्राधिकरण कार्यालय काशीपुर द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधमसिंहनगर द्वारा जारी आदेश दिनांक 18.03.2021 प्राप्त कराया गया है (संलग्नक-18)। उक्त कार्यालय आदेश के अनुसार उक्त चांदपुर ग्राम विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं है।

उपरोक्तानुसार आख्या सादर प्रस्तुत है



(नरेश गोस्वामी)

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर,
उधमसिंहनगर।



(संदीप गिरी)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पश्चिमी वन प्रभाग, जसपुर,
उधमसिंहनगर।



(रुमा उरौव)

वैज्ञानिक ध

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ।



(अभय प्रताप सिंह)

उप जिलाधिकारी
काशीपुर, उधमसिंहनगर।

आज दिनांक 10/5/24 को मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण
 नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन सं-147/2024 श्री हरदीप
 शर्मा व नाम रमेशचन्द्र आर्य एवं अन्य के क्रम में गठित
 कमीटी के द्वारा प्रशासन स्थल याता यताली सं-00027 एवं
 00125 ग्राम-चाँदपुर, तहसील-काशीपुर, जिला-उधमसींहनगर
 का पुनः स्थलीय निरीक्षण किया गया।

संयुक्त निरीक्षण के समय निम्नलिखित सदस्य उपस्थित
 हैं।

क्रम सं०	नाम	पद/विभाग	दूरभाष	हस्ताक्षर
①	अश्वय प्रताप सिंह	SOM	9598314184	
②			9927962546	
③	सन्दीप शर्मा	उपक्रम (ज०), रूपक		
④	नरेश कुमार	उपक्रम		
⑤	हरदीप शर्मा	शिकायतकर्ता	7500220139	
⑥	रमेश चन्द्र आर्य	ज्येष्ठ उद्योग निरीक्षक	7983832441	
⑦	गोपाल शर्मा	ज्येष्ठ उद्योग निरीक्षक	9411199710	
⑧	Siddhant		9837088825	
⑨	अनुरा कुमारी	रा. उ. म. (राज्य विभाग)	9758592093	
⑩	पूजा सिंह	रा. नि. कार्यालय	8218576937	
⑪	अनुरा कु. वर्मन	अनु. सहा. UKPCB	8071320340	

आज दिनांक 08/05/24 को मां. २।० दूरतीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन सं० 147/2024 की हरदीप शर्मा बनाम रमेश चन्द्र आर्य एवं अन्य के क्रम में गठित समेती के द्वारा प्रश्नगत स्थल यानि अतीनी सं० 00027/00125 ग्राम - बाँदपुर, तहसील - काशीपुर, जिला - उधमसिंहनगर का स्थलीय निरीक्षण किया गया।

संयुक्त निरीक्षण के समय निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हैं :-

क्रम सं०	नाम	पद/विभाग	दूरभाष	हस्ताक्षर
1.	एस.एस.एल. कोहली	ज्येष्ठ उच्चात निरीक्षक	7983832441	
2.	श्री. सी.ए.ए. शर्मा	राजपुत्र	8218570997	
3.	अ.स.ओ. कुमाड़	रा.उप.नि. राजपुत्र	9750592893	
4.	शोभा लक्ष्मी	S.H.1 उच्चात	9411199710	
5.	त्रटेंद्र गोस्वामी	पु.स.ओ. प्र. निरीक्षक	9412130888	
6.	सन्दीप छिनी	उप.प्र. क.प्र. वन विभाग	9927962546	
7.	अकाश वर्मन	(अनु.सहा.) म.क.सी.सी.टी	807320340	
8.	कोमलकांत वर देवता	कानून विभाग	9999846304	
9.	Siddhant	काशीपुर	9837000025	
10.	विश्वनाथ		9759276142	
11.	हरदीप शर्मा	विकीपत मां.	8500280139	



खाता खतौनी क्रम संख्या — 1 —	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान — 2 —	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष — 3 —	खाते के प्रत्येक माटे की बसरा संख्या — 4 —	प्रत्येक माटे का क्षेत्रफल (हे.) — 5 —	खातेदार द्वारा देय मासगुजारी वा लगान — 6 —	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद — 7-12 —	टिप्पणी — 13 —
						<p>दिल्ली मनीष गुप्ता पुत्र स्व० नरेश कुमार गुप्ता एवं नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व० महेश कुमार गुप्ता नि० चांदपुर गोपीपुरा तह० काशीपुर विरासतन उसी वर्ग में दर्ज हो ह०आ०के० दि० 17.01.2022/31.01.2022 1429फ० राजस्व वाद सं० 30/7197 वर्ष (2021-22) न्या०तह०का० आ०दिनांक 06.08.2022 ख०न० 157मि० रकबा 0.595हे० ल० 14.70रू० से नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व० महेश कुमार गुप्ता का नाम खारिज कर सुधीर गुप्ता पुत्र सुरेश कुमार गुप्ता निवासी 31-A, Ashoka Avenue, सैनिक फार्मस खानपुर साउथ दिल्ली व मनीष गुप्ता पुत्र नरेश कुमार गुप्ता निवासी ग्राम चाँदपुर गोपीपुरा तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा वर्ग 1 क संक्र० के भूमिधरी में दर्ज हो ह०आ०के० दिनांक 18.08.2021/21.10.2022 1429फ० राजस्व वाद सं० 30/7196 वर्ष (2021-22) न्या०तह०का० आ०दिनांक 06.08.2022 ख०न० 146मि० रकबा 0.7447हे० व ख०न० 154मि० रकबा 0.1753हे० व ख०न० 155मि० रकबा 0.0513हे० कुल रकबा 0.9713 ल० 24.00रू० से सुधीर गुप्ता पुत्र सुरेश कुमार गुप्ता निवासी 31-A, Ashoka Avenue, सैनिक फार्मस खानपुर साउथ दिल्ली व मनीष गुप्ता पुत्र स्व० नरेश कुमार गुप्ता निवासी ग्राम चाँदपुर गोपीपुरा तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह का नाम खारिज कर नकुल गुप्ता पुत्र स्व० महेश कुमार गुप्ता निवासी ग्राम चाँदपुर गोपीपुरा तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा वर्ग 1 क संक्र० के भूमिधरी में दर्ज हो ह०आ०के० दिनांक 18.08.2021/21.10.2022 1429फ० राजस्व वाद सं० 30/7198 वर्ष (2021-22) न्या०तह०का० आ० दिनांक 06.08.2022 के अनुसार खाता सं० 27 ख०न० 156मि० रकबा 0.3156हे० ल० 7.80रू० से नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व० महेश कुमार गुप्ता निवासी ग्राम चाँदपुर गोपीपुरा तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम खारिज कर सुरधीर गुप्ता पुत्र सुरेश कुमार गुप्ता निवासी 31-A, Ashoka Avenue सैनिक फार्मस खानपुर साउथ दिल्ली व मनीष गुप्ता पुत्र नरेश कुमार गुप्ता निवासी ग्राम चाँदपुर गोपीपुरा तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम दानपत्र द्वारा वर्ग 1क संक्र० भूमि० में दर्ज हो ह०आ०के० दिनांक 23.08.2022/21.10.2022 1430फ० वाद सं० 30/7240 वर्ष (2021-22) न्या०तह०का० के आ०दिनांक 10.10.2022 के अनुसार ग्राम चाँदपुर तह०काशीपुर के खाता सं० 00027 के बसरा नं० 157मि० रकबा 1.7850हे० ल० 44.10रू से सुधीर गुप्ता पुत्र सुरेश कुमार गुप्ता नि० 31-ए अशोका एवेन्यू सैनिक फार्मस खानपुर दक्षिणी दिल्ली एवं मनीष गुप्ता पुत्र नरेश कुमार गुप्ता नि० ग्राम</p>	



खाता खतौनी क्रम संख्या — 1 —	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान _____ 2 _____	श्रीमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष _____ 3 _____	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या _____ 4 _____	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) _____ 5 _____	खातेदार द्वारा देव मासमुबारी वा सवान _____ 6 _____	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद _____ 7-12 _____	टिप्पणी _____ 13 _____
						<p>चाँदपुर गोपीपुरा तह0 काशीपुर जिला उच्चम सिंह नगर का नाम खारिज कर सचिन अग्रवाल पुत्र अनिल कुमार अग्रवाल नि0 कलश मंडप रोड काशीपुर कांमेल अग्रवाल पुत्र सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल नि0 रामनगर रोड काशीपुर सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र अमरनाथ नि0 रामनगर रोड काशीपुर एवं शक्ति प्रकाश अग्रवाल पुत्र मूल प्रकाश अग्रवाल नि0 निवास नगर काशीपुर का नाम बैनामा द्वारा उसी वर्ग में दर्ज हो ह0आर0के दिनांक 10.10.2022/21.01.2023</p> <p>1430फ0 वाद सं0 30/7241 वर्ष (2021-22) न्या0तह0का0 के आ0दिनांक 10.10.2022 के अनुसार ग्राम चाँदपुर तह0काशीपुर के खाता सं0 00027 के खसरा नं0 156मि0 रकबा 0.947है0 ल0 23.40रू से सुधीर गुप्ता पुत्र सुरेश कुमार गुप्ता नि0 31-ए अशोका एवेन्डू सैनिक फार्मस खानपुर दक्षिणी दिल्ली एवं मनीष गुप्ता पुत्र नरेश कुमार गुप्ता नि0 ग्राम चाँदपुर गोपीपुरा तह0 काशीपुर का नाम खारिज कर सचिन अग्रवाल पुत्र अनिल कुमार अग्रवाल नि0 कलश मंडप रोड काशीपुर कांमेल अग्रवाल पुत्र सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल नि0 रामनगर रोड काशीपुर सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र अमरनाथ नि0 रामनगर रोड काशीपुर एवं शक्ति प्रकाश अग्रवाल पुत्र मूल प्रकाश अग्रवाल नि0 निवास नगर काशीपुर का नाम बैनामा द्वारा उसी वर्ग में दर्ज हो ह0आर0के दिनांक 10.10.2022/21.01.2023</p> <p>1430फ0 वाद सं0 30/8588 वर्ष (2021-22) न्या0तह0का0 आ0दि0 31.03.2023 के अनुसार खसरा नं0 157मि0 रकबा 0.017है0 ल0 0.40रू से सचिन अग्रवाल पुत्र अनिल कुमार अग्रवाल का नाम खारिज कर सुनीता रावत पत्नी हरीश सिंह रावत पत्नी मनवर सिंह निवासी सैनिक कालोनी ग्राम नीमडा काशीपुर जिला उच्चम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा वर्ग 1 क संक्र0भूमि0 में दर्ज हो ह0आर0के0दि0 06.04.2023/19.05.2023</p> <p>1430फ0 वाद सं0 30/8664 वर्ष (2021-22) न्या0तह0का0 आ0दि0 06.04.2023 के अनुसार खसरा नं0 157मि0 रकबा 0.027है0 ल0 0.65रू से सचिन अग्रवाल पुत्र अनिल कुमार अग्रवाल का नाम खारिज कर हीरा सिंह पुत्र स्व0 जय सिंह निवासी ग्राम मसमौली तहसील स्यालेद जिला अल्मोडा का नाम बैनामा द्वारा वर्ग 1 क संक्र0भूमि0 में दर्ज हो ह0आर0के0दि0 18.04.2023/19.05.2023</p> <p>1430फ0 वाद सं0 30/2783 वर्ष (2022-23) न्या0तह0का0 आ0दि0 06.04.2023 के अनुसार खसरा नं0 157मि0 रकबा 0.062है0 ल0 1.55रू से सचिन अग्रवाल पुत्र अनिल कुमार अग्रवाल का नाम खारिज कर जगता सिंह पुत्र बलवन्त सिंह निवासी ग्राम चाँदपुर तहसील काशीपुर जिला</p>	





<p>खाता खतौनी क्रम संख्या — 1 —</p>	<p>खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान — 2 —</p>	<p>बीमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष — 3 —</p>	<p>खाते के प्रत्येक गाटे की बसरा संख्या — 4 —</p>	<p>प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) — 5 —</p>	<p>खातेदार द्वारा देव मालमुचारी या लगान — 6 —</p>	<p>परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद — 7-12 —</p>	<p>टिप्पणी — 13 —</p>
						<p>उद्यम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा वर्ग 1 क संक्र०भूमि० में दर्ज हो ह०आर०के०दि० 18.04.2023/19.05.2023 1430फ० वाद सं० 30/9563 वर्ष (2021-22) न्या०तह०का० आ०दि० 06.04.2023 के अनुसार खसरा नं० 157मि० रक्बा 0.012है० ल० 0.30रू० से सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र अमरनाथ का नाम खारिज कर हेमलता पत्नी दिनेश कुमार बर्मा निवासी 367 निबर शिव मन्दिर कुमाऊ कालोनी काशीपुर जिला उद्यम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा वर्ग 1 ग वि०श्रे० में दर्ज किया जाये ह०आर०के०दि० 18.04.2023/19.05.2023 1430फ० वाद सं० 30/9565 वर्ष (2021-22) न्या०तह०का० आ०दि० 06.04.2023 के अनुसार खसरा नं० 157मि० रक्बा 0.016है० ल० 0.40रू० से सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र अमरनाथ का नाम खारिज कर महावीरी पत्नी विजयपाल निवासी 280 हवसपुर बिगास जिला हापुड गाजियाबाद का नाम बैनामा द्वारा वर्ग 1 ग वि०श्रे० में दर्ज किया जाये ह०आर०के०दि० 18.04.2023/19.05.2023 1430फ० वाद सं० 30/8617 वर्ष (2021-22) न्या०तह०का० आ०दि० 29.04.2023 के अनुसार खसरा नं० 157मि० रक्बा 0.028है० ल० 0.70रू० से शक्ति प्रकाश अग्रवाल पुत्र स्व० मूल प्रकाश अग्रवाल का नाम खारिज कर मोहित शर्मा पुत्र प्रमोद चन्द्र शर्मा निवासी ग्राम धनौरी पट्टी गौशाला मोड तहसील काशीपुर जिला उद्यम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा वर्ग 1 क संक्र०भूमि० में दर्ज हो ह०आर०के०दि० 02.05.2023/19.05.2023 1430फ० वाद सं० 30/8616 वर्ष (2022-23) न्या०तह०का० आ०दि० 29.04.2023 के अनुसार खसरा नं० 157मि० रक्बा 0.009है० ल० 0.25रू० से शक्ति प्रकाश अग्रवाल पुत्र स्व० मूल प्रकाश अग्रवाल का नाम खारिज कर कुमारी उपासना पत्नी प्रमोद चन्द्र शर्मा निवासी ग्राम धनौरी पट्टी गौशाला मोड तहसील काशीपुर जिला उद्यम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा वर्ग 1 क संक्र०भूमि० में दर्ज हो ह०आर०के०दि० 02.05.2023/19.05.2023 प्राची के प्रार्थना पत्र पर नायब तहसीलदार पैगा के आदेश दि० 13.06.2023 के अनुसार एवं कार्यालय पत्र सं० 3000 आ०दि० 25.05.2023 के अनुसार ग्राम चांदपुर के खाता सं० 27 में दर्ज वाद सं० 30/2783 वर्ष (2022-23) न्या०तह०का० आ०दि० 06.04.2023 के अनुसार खसरा नं० 157मि० रक्बा 0.062है० ल० 1.55रू० में क्रेता जगत सिंह पुत्र बलवन्त सिंह के स्थान पर नामांतरण बही के अनुसार क्रेता का सही नाम जगतार सिंह पुत्र बलवन्त सिंह शुद्ध कर हो ह०आर०के० दि०</p>	

शुद्ध कर





खाता खतौनी क्रम संख्या — 1 —	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान — 2 —	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष — 3 —	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या — 4 —	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) — 5 —	खातेदार द्वारा देय मासनुबारी या लगान — 6 —	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद — 7-12 —	टिप्पणी — 13 —
						<p>18.04.2023/14.06.2023 1430फ0 बाद सं0 30/1896 वर्ष (2022-23) न्या0तह0का0 आ0दि0 01.05.2023 के अनुसार खसरा नं0 157मि0 रक्बा 0.011है0 ल0 0.25रू0 से शक्ति प्रकाश अग्रवाल पुत्र स्व0 मूल प्रकाश अग्रवाल का नाम खारिज कर मनोज कुमार शर्मा पुत्र मदनलाल शर्मा निवासी बी 43 इन्कमटेक्स कालोनी नियर एच0एम0टी0 वाच फैक्ट्री जलाहली बैंगलोर कर्नाटका 560013 का नाम बैनामा द्वारा बर्ग 1 ग बि0श्रे0 में दर्ज हो ह0आर0के0दि0 08.05.2023/19.05.2023 1430फ0 बाद सं0 30/246 वर्ष (2022-23) न्या0तह0का0 आ0दि0 01.05.2023 के अनुसार खसरा नं0 157मि0 रक्बा 0.018है0 ल0 0.45रू0 से शक्ति प्रकाश अग्रवाल पुत्र स्व0 मूल प्रकाश अग्रवाल का नाम खारिज कर श्यामलाल पुत्र दुखरन निवासी आर0टी0एस0हेमपुर गोशाला पाण्डेय काँलोनी, गोपीपुरा आर0टी0सी0तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा बर्ग 1 ग बि0श्रे0 में दर्ज हो ह0आर0के0दि0 09.05.2023/19.05.2023 1430फ0 बाद सं0 30/4362 वर्ष (2022-23) न्या0ना0तह0पैगा आ0दि0 31.05.2023 के अनुसार खसरा नं0 157मि0 रक्बा 0.019है0 ल0 0.50रू0 से शक्ति प्रकाश अग्रवाल पुत्र स्व0 मूल प्रकाश अग्रवाल का नाम खारिज कर बहादुर सिंह बिष्ट पुत्र गोपाल सिंह निवासी ग्राम गैरड तहसील रानीखेत जिला अल्मोडा का नाम बैनामा द्वारा बर्ग 1 क संक्र0भूमि0 में दर्ज हो ह0आर0के0दि0 09.06.2023/28.06.2023 1430फ0 बाद सं0 30/4363 वर्ष (2022-23) न्या0ना0तह0पैगा आ0दि0 31.05.2023 के अनुसार खसरा नं0 157मि0 रक्बा 0.023है0 ल0 0.60रू0 से शक्ति प्रकाश अग्रवाल पुत्र स्व0 मूल प्रकाश अग्रवाल का नाम खारिज कर ज्योति बिष्ट पत्नी दीपक सिंह बिष्ट पुत्री दिलावर सिंह निवासी ग्राम कुण्डेशवरी तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा बर्ग 1 क संक्र0भूमि0 में दर्ज हो ह0आर0के0दि0 09.06.2023/28.06.2023 1430फ0 बाद सं0 30/4495 वर्ष (2022-23) न्या0ना0तह0पैगा आ0दि0 06.06.2023 के अनुसार खसरा नं0 157मि0 रक्बा 0.029है0 ल0 0.70रू0 से सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र अमरनाथ का नाम खारिज कर महेन्द्र कुमार आर्या पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी नियर जिओ टावर बौध्द बिहार कालोनी चोर पानी रामनगर जिला नैनीताल का नाम बैनामा द्वारा बर्ग 1 क संक्र0भूमि0 में दर्ज हो ह0आर0के0दि0 09.06.2023/28.06.2023 1430फ0 बाद सं0 30/4496 वर्ष (2022-23) न्या0ना0तह0पैगा आ0दि0</p>	



खाता खतौनी क्रम संख्या — 1 —	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान — 2 —	श्रीमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष — 3 —	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या — 4 —	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) — 5 —	खातेदार द्वारा देव मालनुबारी या लगान — 6 —	परिवर्तन सम्बन्धी अज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनोंक सहित और अज्ञा देने वाले अधिकारी का पद — 7-12 —	टिप्पणी — 13 —
						<p>06.06.2023 के अनुसार खसरा नं0 157मि0 रक्बा 0.019हे0 ल0 0.45रू0 से सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र अमरनाथ का नाम खारिज कर मोहन सिंह नबाल पुत्र दीवान सिंह नबाल व अनीता नबाल पत्नी मोहन सिंह नयाल निवासी ए 32 आनन्द बिहार हार्टमेन पुलिया बरेली का नाम बैनामा द्वारा वर्ग 1 क संक्र0भूमि0 में दर्ज हो ह0आर0के0दि0 09.06.2023/28.06.2023 1430फ0 बाद सं0 30/4560 वर्ष (2022-23) न्या0ना0तह0पैगा आ0दि0 07.06.2023 के अनुसार खसरा नं0 157मि0 रक्बा 0.019हे0 ल0 0.45रू0 से काेमल अग्रवाल पुत्र सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल का नाम खारिज कर सुदेश अनियाल पुत्र सत्येन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम केलघार उर्फ सुपगण तहसील धुमाकोट जिला पीडी गढ़वाल का नाम बैनामा द्वारा वर्ग 1 क संक्र0भूमि0 में दर्ज हो ह0आर0के0दि0 09.06.2023/28.06.2023 1430फ0 बाद सं0 30/4275 वर्ष (2022-23) न्या0तह0का0 आ0दि0 29.05.2023 के अनुसार खसरा नं0 145मि0 रक्बा 0.200हे0 ल0 4.94हे0 नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 महेश कुमार गुप्ता व राजेश गुप्ता पत्नी स्व0 महेश कुमार गुप्ता निवासीगण ग्राम चांदपुर गोपीपुरा तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर व खाता सं0 00027 के खसरा नं0 146मि0 रक्बा 0.260हे0 ल0 6.42रू0 से नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 महेश कुमार गुप्ता निवासी ग्राम चांदपुर गोपीपुरा तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम खारिज कर विकास बरोरा पुत्र स्व0 कुन्दन लाल निवासी आर0के0पुरम कचनलगाजी तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा वर्ग 1 क संक्र0भूमि0 में दर्ज हो ह0आर0के0दि0 09.06.2023/06.07.2023 1430फ0 बाद सं0 30/4277 वर्ष (2022-23) न्या0तह0का0 आ0दि0 29.05.2023 के अनुसार खसरा नं0 146मि0 रक्बा 0.130हे0 ल0 3.22हे0 नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 महेश कुमार गुप्ता निवासी ग्राम चांदपुर गोपीपुरा तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर व खाता सं0 00125 के खसरा नं0 152मि0 रक्बा 0.131हे0 ल0 3.23रू0 से नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 महेश कुमार गुप्ता व राजेश गुप्ता पत्नी स्व0 महेश कुमार गुप्ता निवासीगण ग्राम चांदपुर गोपीपुरा तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम खारिज कर सिध्दान्त गोयल पुत्र रामचन्द्र अग्रवाल निवासी बाजपुर काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा वर्ग 1 क संक्र0भूमि0 में दर्ज हो ह0आर0के0दि0 09.06.2023/06.07.2023 1430फ0 बाद सं0 30/4556 वर्ष (2022-23) न्या0ना0तह0पैगा आ0दि0 07.05.2023 के अनुसार खसरा नं0 157मि0 रक्बा 0.052हे0 ल0</p>	





खता खतौनी क्रम संख्या — 1 —	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान — 2 —	श्रीमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष — 3 —	खाते के प्रत्येक गटे की खसरा संख्या — 4 —	प्रत्येक गटे का क्षेत्रफल (हे.) — 5 —	खातेदार द्वारा देय मालमुचारी या सगान — 6 —	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद — 7-12 —	टिप्पणी — 13 —
						<p>1.30रू० से कोमल अग्रवाल पुत्र सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल का नाम खारिज कर अमित शर्मा पुत्र नरेश चन्द्र शर्मा निवासी मी०सिबान काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा वर्ग 1 क संक्र०भूमि० में दर्ज हो ह०आर०के०दि० 10.07.2023/25.07.2023</p> <p>1430फ० बाद सं० 30/3125 वर्ष (2022-23) न्या०ना०तह०पैगा आ०दि० 30.06.2023 के अनुसार खसरा नं० 157मि० रक्बा 0.019हे० ल० 0.50रू० से जगतार सिंह पुत्र बलवन्त सिंह का नाम खारिज कर पार्वती देवी पत्नी कुंवर सिंह निवासी ग्राम कल्याण तल्ला तहसील गैरसैण जिला चमोली का नाम बैनामा द्वारा वर्ग 1क संक्र०भूमि० में दर्ज हो ह०आर०के०दि० 10.07.2023/25.07.2023</p> <p>1430फ० बाद सं० 30/4668 वर्ष (2022-23) न्या०ना०तह०पैगा आ०दि० 30.06.2023 के अनुसार खसरा नं० 157मि० रक्बा 0.023हे० ल० 0.55रू० से सचिन अग्रवाल पुत्र अनिल कुमार अग्रवाल का नाम खारिज कर गंगा सिंह पुत्र मा०हन सिंह निवासी ग्राम सकनणा तहसील भिकिया सैण जिला अल्मोडा का नाम बैनामा द्वारा वर्ग 1 क संक्र०भूमि० में दर्ज हो ह०आर०के०दि० 10.07.2023/25.07.2023</p> <p>1430फ० बाद सं० 30/4939 वर्ष (2022-23) न्या०ना०तह०पैगा आ०दि० 23.06.2023 के अनुसार खसरा नं० 157मि० रक्बा 0.023हे० ल० 0.60रू० से शक्ति प्रकाश अग्रवाल पुत्र स्व० मूल प्रकाश अग्रवाल का नाम खारिज कर नम्रता विश्वकर्मा उर्फ नम्रता शर्मा पत्नी मोहित शर्मा पुत्री हनुमान प्रसाद विश्वकर्मा निवासी ग्राम धनौरी पट्टी गौशाला मोड काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा वर्ग 1 ग वि०श्रे० में दर्ज हो ह०आर०के०दि० 12.07.2023/25.07.2023</p> <p>1430फ० बाद सं० 30/4940 वर्ष (2022-23) न्या०ना०तह०पैगा आ०दि० 23.06.2023 के अनुसार खसरा नं० 157मि० रक्बा 0.010हे० ल० 0.25रू० से शक्ति प्रकाश अग्रवाल पुत्र स्व० मूल प्रकाश अग्रवाल का नाम खारिज कर सुनीता रावत पत्नी हरीश सिंह रावत पुत्री मनवर सिंह निवासी सैनिक कॉलोनी ग्राम नीलडा काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा वर्ग 1 क संक्र०भूमि० में दर्ज हो ह०आर०के०दि० 12.07.2023/25.07.2023</p> <p>1430फ० बाद सं० 30/5890 वर्ष (2022-23) न्या०ना०तह०पैगा आ०दि० 22.07.2023 के अनुसार खसरा नं० 157मि० रक्बा 0.054हे० ल० 1.35रू० से सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र अमरनाथ का नाम खारिज कर कल्याण सिंह पुत्र शेर सिंह निवासी ग्राम जसारी पो०अनकट तहसील खटीमा जिला उधम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा वर्ग 1 क संक्र०भूमि० में दर्ज हो</p>	





खाता खतीनी क्रम संख्या — 1 —	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान — 2 —	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष — 3 —	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या — 4 —	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) — 5 —	खातेदार द्वारा देय मालनुमारी या लगान — 6 —	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद — 7-12 —	टिप्पणी — 13 —
						<p>ह0आर0के0दि0 24.07.2023/02.08.2023 1430फ0 बाद सं0 30/5425 वर्ष (2022-23) न्या0ना0तह0पैगा आ0दि0 11.07.2023 के अनुसार खसरा नं0 157मि0 रक्बा 0.021हे0 ल0 0.50रू0 से शक्ति प्रकाश अग्रवाल पुत्र स्व0 मूल प्रकाश अग्रवाल का नाम खारिज कर मृणालिनी कुमार पत्नी विरेन्द्र कुमार निवासी तारा कुंज टनकपुर रोड नई बस्ती हल्द्वानी जिला नैनीताल का नाम बैनामा द्वारा बर्ग 1 ग वि0श्रे0 में दर्ज हो ह0आर0के0दि0 26.07.2023/03.08.2023 1430फ0 बाद सं0 30/5546 वर्ष (2022-23) न्या0ना0तह0पैगा आ0दि0 13.07.2023 के अनुसार खसरा नं0 157मि0 रक्बा 0.187हे0 ल0 4.10रू0 से शक्ति प्रकाश अग्रवाल पुत्र स्व0 मूल प्रकाश अग्रवाल का नाम खारिज कर माज शारिक बन्द मजहूरुल इस्लाम निवासी मीहल्ला महेमपुरा काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा बर्ग 1 क संक्र0भूमि0 में दर्ज हो ह0आर0के0दि0 26.07.2023/03.08.2023 1430फ0 बाद सं0 30/5547 वर्ष (2022-23) न्या0ना0तह0पैगा आ0दि0 13.07.2023 के अनुसार खसरा नं0 157मि0 रक्बा 0.187हे0 ल0 4.10रू0 से सचिन अग्रवाल पुत्र अनिल कुमार अग्रवाल का नाम खारिज कर मनवर सिंह पुत्र लाल सिंह निवासी ग्राम रस्युरा तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा बर्ग 1 क संक्र0भूमि0 में दर्ज हो ह0आर0के0दि0 26.07.2023/18.08.2023 1430फ0 बाद सं0 30/5240 वर्ष (2022-23) न्या0ना0तह0का0 आ0दि0 03.07.2023 के अनुसार खसरा नं0 157मि0 रक्बा 0.024हे0 ल0 0.60रू0 से सचिन अग्रवाल पुत्र अनिल कुमार अग्रवाल का नाम खारिज कर संदीप कुमार पुत्र मुखराम निवासी बालिका विद्यामंदिर मल्लीताल जिला नैनीताल का नाम बैनामा द्वारा बर्ग 1 ग वि0श्रे0 में दर्ज हो ह0आर0के0दि0 26.07.2023/18.08.2023 1431फ0 बाद सं0 30/4658 वर्ष (2022-23) न्या0ना0तह0पैगा आ0दि0 31.07.2023 के अनुसार खसरा नं0 157मि0 रक्बा 0.025हे0 ल0 0.65रू0 से अमित शर्मा पुत्र नरेश चन्द्र शर्मा का नाम खारिज कर अनंद कुमार पुत्र तेजराम सिंह निवासी ईसापुर डिलारी अलियाबाद सादिक मुरादाबाद उप्र0 का नाम बैनामा द्वारा बर्ग 1 ग वि0श्रे0 के भूमि0 में दर्ज हो ह0आर0के0दि0 05.08.2023/19.08.2023 1431फ0 बाद सं0 30/6190 वर्ष (2022-23) न्या0ना0तह0पैगा आ0दि0 31.07.2023 के अनुसार खसरा नं0 157मि0 रक्बा 0.021हे0 ल0 0.45रू0 से मनवर सिंह पुत्र लाल सिंह का नाम खारिज कर धनपाल सिंह पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम चिल्किया तहसील रामनगर जिला नैनीताल का</p>	





खाता खतीनी क्रम संख्या — 1 —	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान _____ 2 _____	भौतिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष _____ 3 _____	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या _____ 4 _____	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) _____ 5 _____	खातेदार द्वारा देव मालमुचारी या लगान _____ 6 _____	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद _____ 7-12 _____	टिप्पणी _____ 13 _____
						<p>नाम बैनामा द्वारा वर्ग 1 क संक्र०भूमि० में दर्ज हो ह०आर०के०दि० 17.08.2023/22.08.2023</p> <p>1431फ० बाद सं० 30/5788 वर्ष (2022-23) न्या०ना०तह०पैगा आ०दि० 20.07.2023 के अनुसार खसरा नं० 157मि० रक्बा 0.010हे० ल० 0.25रू० से मनबर सिंह पुत्र लाल सिंह का नाम खारिज कर सुनीता देवी पत्नी गजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम देवीपुरा मूल्या तहसील रामनगर जिला नैनीताल का नाम बैनामा द्वारा वर्ग 1 ग वि०श्रे० में दर्ज हो ह०आर०के०दि० 17.08.2023/25.08.2023</p> <p>1431फ० बाद सं० 30/4626 वर्ष (2022-23) न्या०ना०तह०पैगा के संशोधन आदेश दिनांक 16.08.2023 के आधार पर ग्राम चांदपुर के खाता सं० 27 के खसरा नं० 157मि० रक्बा 0.051हे० ल० 1.30रू० से शक्ति प्रकाश अग्रवाल पुत्र मूल प्रकाश अग्रवाल निवासी मी०काजीबाग तह०काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम खारिज कर दिव्यांशु सचदेवा व सुमित सचदेवा पुत्रगण अश्वनी कुमार सचदेवा निवासीगण मी०कटोराताल काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम वर्ग 1 क संक्र०भूमि० में दर्ज किया जाये शेष आदेश यथावत रहेगे दर्ज अभिलेख हा० ह०आर०के०दि० 17.08.2023/25.08.2023</p> <p>1431फ० बाद सं० 30/6053 वर्ष (2022-23) न्या०तह०का० के आ०दि० 28.07.2023 के अनुसार खसरा नं० 146मि० रक्बा 0.014हे० ल० 0.35रू० से विकास अरोरा पुत्र स्व० कुन्दन लाल का नाम खारिज कर भावना कुमारी पत्नी पुल्केशन कुमार लि० 31 नवजागृति अपार्टमेंट वसुन्धरा एन्क्लेव, ईस्ट दिल्ली का नाम बैनामा द्वारा वर्ग 1 ग वि०श्रे० में दर्ज हो ह०आर०के०दि० 17.08.2023/25.08.2023</p> <p>1431फ० बाद सं० 30/5823 वर्ष (2022-23) न्या०तह०का० के आ०दि० 03.08.2023 के अनुसार खसरा नं० 157मि० रक्बा 0.017हे० ल० 0.40रू० से सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र अमरनाथ का नाम खारिज कर रोहित कुमार पुत्र विजय मिस्त्री लि० 44ए.न्यू नेवीनगर कुलाबा मिलिट्री स्टेशन कुलाबा मुम्बई 400005 का नाम बैनामा द्वारा वर्ग 1 ग वि०श्रे० में दर्ज हो ह०आर०के०दि० 23.08.2023/25.08.2023</p> <p>1431फ० बाद सं० 30/6668 वर्ष (2022-23) न्या०ना०तह०पैगा आ०दि० 16.08.2023 के अनुसार खसरा नं० 157मि० रक्बा 0.030हे० ल० 0.75रू० से मनबर सिंह पुत्र लाल सिंह का नाम खारिज कर मीना बिष्ट पत्नी रविन्द्र पाल सिंह निवासी ग्राम चांदपुर तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा वर्ग 1 क संक्र०भूमि० में दर्ज हो ह०आर०के०दि० 24.08.2023/29.08.2023</p>	



खाता खतौनी क्रम संख्या — 1 —	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान — 2 —	श्रीमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष — 3 —	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या — 4 —	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) — 5 —	खातेदार द्वारा देय मालनुबारी या लगान — 6 —	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद — 7-12 —	टिप्पणी — 13 —
						<p>1431फ0 बाद सं0 30/6747 वर्ष (2022-23) न्या0ना0तह0पैगा आ0दि0 17.08.2023 के अनुसार खसरा नं0 157मि0 रक्बा 0.010हे0 ल0 0.25रू0 से मनबर सिंह पुत्र लाल सिंह का नाम खारिज कर ऊषा पत्नी रामचन्द्र निवासी मीहूला मझरा बख्सा बाजपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा वर्ग 1 ग वि0श्रे0 में दर्ज हो ह0आर0के0दि0 24.08.2023/29.08.2023</p> <p>1431फ0 बाद सं0 30/6748 वर्ष (2022-23) न्या0ना0तह0पैगा आ0दि0 17.08.2023 के अनुसार खसरा नं0 157मि0 रक्बा 0.018हे0 ल0 0.40रू0 से मनबर सिंह पुत्र लाल सिंह का नाम खारिज कर राजेन्द्र सिंह नेगी पुत्र गोबिन्द सिंह नेगी निवासी मकान नं0 55 बर्ड फ्लोर सेक्टर 21 रोहिणी बेगमपुर नोर्थ वेस्ट दिल्ली का नाम बैनामा द्वारा वर्ग 1 ग वि0श्रे0 में दर्ज हो ह0आर0के0दि0 24.08.2023/29.08.2023</p> <p>1431फ0 बाद सं0 30/6849 वर्ष (2022-23) न्या0ना0तह0पैगा आ0दि0 19.08.2023 के अनुसार खसरा नं0 157मि0 रक्बा 0.012हे0 ल0 0.30रू0 से माजशारिक वल्द मजहूरुल इस्लाम का नाम खारिज कर रोशनी सक्सेना पत्नी ऋषि श्रीवास्तव निवासी बुछ्डी बिहार आवास विकास मुरादाबाद का नाम बैनामा द्वारा वर्ग 1 ग वि0श्रे0 में दर्ज हो ह0आर0के0दि0 24.08.2023/29.08.2023</p> <p>1431फ0 बाद सं0 30/6221 वर्ष (2022-23) न्या0तह0का0 के आ0दि0 04.08.2023 के अनुसार खसरा नं0 157मि0 रक्बा 0.019हे0 ल0 0.45रू0 से माज शारिक वल्द मजहूरुल इस्लाम का नाम खारिज कर माया देवी पत्नी प्रन चंद नि0ग्राम दन्पूडा तह0भिकियासैण जिला अल्मोडा का नाम बैनामा द्वारा वर्ग 1 क संक्र0भूमि0 में दर्ज हो ह0आर0के0दि0 24.08.2023/21.09.2023</p> <p>1431फ0 बाद सं0 30/5821 वर्ष (2022-23) न्या0तह0का0 के आ0दि0 05.08.2023 के अनुसार खसरा नं0 157मि0 रक्बा 0.011हे0 ल0 0.27रू0 से मनबर सिंह पुत्र लाल सिंह का नाम खारिज कर कुमारी सविता पुत्री सुरेश चन्द्र पाण्डेय नि0ग्रामछोई तह0रामनगर जिला नैनीताल का नाम बैनामा द्वारा वर्ग 1 क संक्र0भूमि0 में दर्ज हो ह0आर0के0दि0 24.08.2023/21.09.2023</p> <p>1431फ0 बाद सं0 30/5822 वर्ष (2022-23) न्या0तह0का0 आ0दि0 05.08.2023 के अनुसार खसरा नं0 157मि0 रक्बा 0.015हे0 ल0 0.40रू0 से मनबर सिंह पुत्र लाल सिंह का नाम खारिज कर लता कुमारी पत्नी तरूण कुमार पाल नि0 श्री0टांडा उज्जैन काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा वर्ग 1 ग वि0श्रे0 में दर्ज हो ह0आर0के0दि0</p>	





खाता खतौनी क्रम संख्या — 1 —	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान — 2 —	प्रारंभिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष — 3 —	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या — 4 —	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) — 5 —	खातेदार द्वारा देव मासपुजारी या लगान — 6 —	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद — 7-12 —	टिप्पणी — 13 —
						<p>24.08.2023/21.09.2023 1431फ0 बाद सं0 30/5702 वर्ष (2022-23) न्या0तह0का0 आ0दि0 05.08.2023 के अनुसार खसरा नं0 157मि0 रकबा 0.014है0 ल0 0.35रू0 से मनबर सिंह पुत्र लाल सिंह का नाम खारिज कर मान सिंह पुत्र बच्चे सिंह नि0ग्राम बगडियाल गांव तह0बैलीसैण जिला पौड़ी गढ़वाल का नाम बैनामा द्वारा बर्ग 1 क संक्र0भूमि0 में दर्ज हो ह0आर0के0दि0</p> <p>24.08.2023/21.09.2023 1431फ0 बाद सं0 30/6990 वर्ष (2022-23) न्या0ना0तह0पैगा आ0दि0 24.08.2023 के अनुसार खसरा नं0 157मि0 रकबा 0.021है0 ल0 0.50रू0 से मनबर सिंह पुत्र लाल सिंह का नाम खारिज कर बबिता रावत पत्नी लक्ष्मण सिंह रावत निवासी 149 प्रियदर्शनी इन्कलेव बल्लीवाला चौक कौबली देहरादून का नाम बैनामा द्वारा बर्ग 1 ग बि0श्रे0 में दर्ज हो ह0आर0के0दि0 04.09.2023/21.09.2023</p> <p>1431फ0 बाद सं0 30/7329 वर्ष (2022-23) न्या0ना0तह0पैगा आ0दि0 01.09.2023 के अनुसार खसरा नं0 146मि0 रकबा 0.014है0 ल0 0.35रू0 से सिध्दान्त गोयल पुत्र रामचन्द्र अग्रवाल का नाम खारिज कर चंचल पत्नी महेश निवासी भगवतीपुर रोहतक हरियाणा का नाम बैनामा द्वारा बर्ग 1 ग बि0श्रे0 में दर्ज हो ह0आर0के0दि0</p> <p>11.09.2023/21.09.2023 1431फ0 बाद सं0 30/7172 वर्ष (2022-23) न्या0ना0तह0पैगा आ0दि0 28.08.2023 के अनुसार खसरा नं0 157मि0 रकबा 0.008है0 ल0 0.20रू0 से मनबर सिंह पुत्र लाल सिंह का नाम खारिज कर लीला देवी पत्नी अमर सिंह निवासी ग्राम संगरो सैणमानुर तहसील भिकियासैण जिला जल्मोड़ा का नाम बैनामा द्वारा बर्ग 1 क संक्र0भूमि0 में दर्ज हो ह0आर0के0दि0 11.09.2023/21.09.2023</p> <p>1431फ0 बाद सं0 30/6823 वर्ष (2022-23) न्या0तह0का0 के आ0दि0 19.08.2023 के अनुसार खसरा नं0 157मि0 रकबा 0.021है0 ल0 0.50रू0 से माज शारिक बल्द मजहरूल इस्लाम का नाम खारिज कर शिल्पी सिंह पत्नी संदीप कुमार नि0तालाब रोड पानी की टंकी ग्राम भारतल सिरंसी तह0ब जि0 सम्भल का नाम बैनामा द्वारा बर्ग 1 ग बि0श्रे0 में दर्ज हो ह0आर0के0दि0 11.09.2023/21.09.2023</p> <p>1431फ0 बाद सं0 30/6928 वर्ष (2022-23) न्या0तह0का0 के आ0दि0 23.08.2023 के अनुसार खसरा नं0 157मि0 रकबा 0.021है0 ल0 0.50रू0 से माज शारिक बल्द मजहरूल इस्लाम का नाम खारिज कर राजकुमार भट्ट पुत्र सुशाल मनी भट्ट नि0टीचर्स कॉलोनी काशीपुर जिला</p>	



खाता खतौनी क्रम संख्या — 1 —	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान — 2 —	श्रीमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष — 3 —	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या — 4 —	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) — 5 —	खातेदार द्वारा देय मासनुबारी वा लगान — 6 —	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा वा उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद — 7-12 —	टिप्पणी — 13 —
						<p>उद्यम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा वर्ग 1 क संक्र०भूमि० में दर्ज हो ह०आर०के०दि० 14.09.2023/21.09.2023 1431फ० बाद सं० 30/7597 वर्ष (2022-23) न्या०ना०तह०पैगा आ०दि० 08.09.2023 के अनुसार खसरा नं० 157मि० रक्बा 0.015हे० ल० 0.35रू० से माज शारिक बल्द मजहूरूल इस्लाम का नाम खारिज कर शशी राबत पत्नी पदमेन्द्र सिंह राबत निवासी ग्राम भवानीपुर बुल्दे तह०रामनगर जिला नैनीताल का नाम बैनामा द्वारा वर्ग 1 ग वि०श्रे० में दर्ज हो ह०आर०के०दि० 23.09.2023/26.09.2023 1431फ० बाद सं० 30/7457 वर्ष (2022-23) न्या०ना०तह०पैगा आ०दि० 04.09.2023 के अनुसार खसरा नं० 157मि० रक्बा 0.014हे० ल० 0.35रू० से मनवर सिंह पुत्र लाल सिंह का नाम खारिज कर गोपाल सिंह पुत्र बचे सिंह निवासी ग्राम धनौरी पट्टी तहसील काशीपुर जिला उद्यम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा वर्ग 1 क संक्र०भूमि० में दर्ज हो ह०आर०के०दि० 23.09.2023/26.09.2023 1431फ० बाद सं० 30/4959 वर्ष (2022-23) न्या०तह०का० के आ०दि० 30.08.2023 के अनुसार खसरा नं० 157मि० रक्बा 0.014हे० ल० 0.35रू० से अमित शर्मा पुत्र नरेश चन्द्र शर्मा का नाम खारिज कर देवेन्द्र सिंह पुत्र छोटे सिंह नि०ग्राम नया किरला पीरूमदारा तह०रामनगर जि०नैनीताल का नाम बैनामा द्वारा वर्ग 1 ग वि०श्रे० में दर्ज हाे ह०आर०के०दि० 29.09.2023/06.10.2023 1431फ० बाद सं० 30/8096 वर्ष (2022-23) न्या०ना०तह०पैगा आ०दि० 29.09.2023 के अनुसार खसरा नं० 157मि० रक्बा 0.013हे० ल० 0.30रू० से माजशारिक बल्द मजहूरूल इस्लाम का नाम खारिज कर राजेन्द्र सिंह पुत्र सदान सिंह पुत्र राम सिंह निवासी नेगी कालोनी चोरपानी रामनगर जिला नैनीताल का नाम बैनामा द्वारा वर्ग 1 क संक्र०भूमि० में दर्ज हो ह०आर०के०दि० 11.10.2023/17.10.2023 1431फ० बाद सं० 30/7674 वर्ष (2022-23) न्या०ना०तह०पैगा आ०दि० 12.09.2023 के अनुसार खसरा नं० 157मि० रक्बा 0.011हे० ल० 0.25रू० से माज शारिक बल्द मजहूरूल इस्लाम का नाम खारिज कर प्रेम सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम हरण्ड तहसील गैरसैण जिला चमारेनी का नाम बैनामा द्वारा वर्ग 1 क संक्र०भूमि० में दर्ज हो ह०आर०के०दि० 11.10.2023/25.10.2023 1431फ० बाद सं० 30/8254 वर्ष (2022-23) न्या०ना०तह०पैगा आ०दि० 04.10.2023 के अनुसार खसरा नं० 157मि० रक्बा 0.010हे० ल० 0.25रू० से माज शारिक बल्द मजहूरूल इस्लाम का नाम खारिज कर</p>	





बाता खतौनी क्रम संख्या — 1 —	बातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान — 2 —	भीमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष — 3 —	बाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या — 4 —	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) — 5 —	बातेदार द्वारा देव मालगुबारी या समान — 6 —	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद — 7-12 —	टिप्पणी — 13 —
						<p>प्रकाश सिंह रावत पुत्र मोहन सिंह पुत्र जमन सिंह निवासी ग्राम बलमरा तहसील स्यालदे जिला अल्मोडा का नाम बैनामा द्वारा वर्ग 1 क संक्र०भूमि० में दर्ज हो ह०आर०के०दि० 16.10.2023/25.10.2023 1431फ० बाद सं० 30/8495 वर्ष (2022-23) न्या०तह०का० आ०दि० 26.10.2023 के अनुसार खसरा नं० 157मि० रक्बा 0.010हे० ल० 0.25रू० से माजशारिक वल्द मजहरूल इस्लाम का नाम खारिज कर पुष्या कुमारी पत्नी कुलदीप सिंह गुसाईं निवासी सकेत बिहार नीसडा तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा वर्ग 1 ग वि०श्रे० में दर्ज किया जाये ह०आर०के०दि० 31.10.2023/17.11.2023 1431फ० बाद सं० 30/8352 वर्ष (2022-23) न्या०तह०का० आ०दि० 16.11.2023 के अनुसार खसरा नं० 157मि० रक्बा 0.019हे० ल० 0.50रू० से माज शारिक वल्द मजहरूल इस्लाम का नाम खारिज कर अनीता रावत पत्नी रोशन निवासी 174/1 पर्वतीय कालोनी 2,नियर शिव मन्दिर फरीदाबाद सेक्टर 22 फरीदाबाद हरियाणा का नाम बैनामा द्वारा वर्ग 1 क संक्र०भूमि० में दर्ज हो ह०आर०के०दि० 29.11.2023/18.12.2023 1431फ० बाद सं० 30/8355 वर्ष (2022-23) न्या०तह०का० के आ०दि० 30.11.2023 के अनुसार खसरा नं० 157मि० रक्बा 0.012हे० ल० 0.30रू० से मनवर सिंह पुत्र लाल सिंह का नाम खारिज कर महेन्दी पत्नी खानचंद नि०प्रा० प्रतापपुर तह०काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा वर्ग 1 ग वि०श्रे० में दर्ज हो ह०आर०के०दि० 18.12.2023/15.01.2024 1431फ० बाद सं० 30/1710 वर्ष (2023-24) न्या०ना०तह०पैगा के आ०दि० 19.01.2024 के अनुसार खसरा नं० 157मि० रक्बा 0.024हे० ल० 0.55रू० से मनवर सिंह पुत्र लाल सिंह का नाम खारिज कर सविता रावत पत्नी गोविन्द सिंह निवासी ग्राम पीरूमदारा तह०रामनगर जिला नैनीताल का नाम बैनामा द्वारा वर्ग 1 ग वि०श्रे० में दर्ज हो ह०आर०के०दि० 15.02.2024/06.02.2024 1431फ० बाद सं० 30/8720 वर्ष (2022-23) न्या०ना०तह०पैगा के आ०दि० 25.01.2024 के अनुसार खसरा नं० 146मि० रक्बा 0.018हे० ल० 0.45रू० से सिध्दान्त गोयल पुत्र रामचन्द्र अग्रवाल का नाम खारिज कर गिरीश चन्द्र जोशी पुत्र लक्ष्मी दत्त जोशी निवासी आई हॉस्पिटल रोड तिकर पर्वतीय समाज कुर्माचल कॉलोनी काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा वर्ग 1 क संक्र०भूमि० में दर्ज हो ह०आर०के०दि० 15.02.2024/06.03.2024</p>	





खाता खतौनी क्रम संख्या — 1 —	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान _____ 2 _____	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष _____ 3 _____	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या _____ 4 _____	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) _____ 5 _____	खातेदार द्वारा देव मालगुजारी या लगान _____ 6 _____	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद _____ 7-12 _____	टिप्पणी _____ 13 _____
			7	5.2890			

कुल गाटे: सात कुल क्षेत्रफल: पाँच दशमलव दो आठ नौ कुल भू-राजस्व: छः पाँच दशमलव तीन पाँच

Data Digitally Signed by : AKRAM ALI

सक्षम अधिकारी : TEHSILDAR

तहसील : काशीपुर



दिनांक एवं समय : 14-05-2024 11:36:20 AM

यह उद्घरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।



उद्घरण खतीनी (शासकीय)

28

ग्राम क्रमांक : 055635

ग्राम का नाम / परगना : चौदपुर(काशीपुर)

तहसील : काशीपुर

जनपद : ऊधम सिंह नगर

फसली वर्ष : 1426-1431 मास : 1

1-क/भूमि जो सार्वजनिक अधिकार वाले भूमिधारों के अधिकारमें हो

बाता खतीनी क्रम संख्या — 1 —	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान — 2 —	भूमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष — 3 —	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या — 4 —	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) — 5 —	खातेदार द्वारा देव मानगुजारी या लगान — 6 —	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद — 7-12 —	टिप्पणी — 13 —
00125	महेश कुमार/इन्द्र देव/नि- ग्राम नकुल कुमार/महेश कुमार/नि- ग्राम	1413फ0	145मि0 147मि0 152मि0 153/1मि0 158	1.2380 0.1820 1.2630 1.4610 0.1940	107.20	<p>1428फ0 राजस्व निरीक्षक काशीपुर के द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत प्रपत्र प क 11ब के क्रमांक 139 पर पारित आदेश दिनांक 03.07.2021 के अनुसार ग्राम चांदपुर के खाता सं0 124, 125 एवं 128 पर मृतक खातेदार महेश कुमार पुत्र इन्द्र देव के स्थान पर उनके हकीकी वारिस राजेश गुप्ता पत्नी स्व0 महेश कुमार व नकुल कुमार पुत्र स्व0 महेश कुमार नि0 ग्राम के नाम बतौर विरासतन दर्ज हो ह0आर0के0 दि0 13.07.2021/31.08.2021</p> <p>1429फ0 राजस्व वाद सं0 30/7242 वर्ष (2021-22) न्या0तह0काशीपुर आ0 दि0 08.08.2022 के अनुसार खसरा नं0 158मि0 रकबा 0.194हे0 ल0 4.79रू0 से नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 महेश कुमार गुप्ता निवासी ग्राम चांदपुर गोपीपुरा तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर व राजेश गुप्ता पत्नी स्व0 महेश कुमार गुप्ता निवासी C-6/12.3 floor model Town 3 नॉर्थ वेस्ट दिल्ली 110009 का नाम खारिज कर सचिन अग्रवाल पुत्र अनिल कुमार अग्रवाल निवासी कलश मण्डप रोड काशीपुर व कोमल अग्रवाल पुत्र सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल निवासी रामनगर रोड काशीपुर व सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र अमरनाथ निवासी रामनगर रोड काशीपुर व शक्ति प्रकाश अग्रवाल पुत्र स्व0 मूल प्रकाश अग्रवाल निवासी निवासनगर काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा वर्ष 1क संक्र0 भूमि0 में दर्ज हो ह0आर0के0 दि0 23.08.2020/21.10.2021</p> <p>1430फ0 वाद सं0 30/4279 वर्ष (2022-23) न्या0तह0का0 के आ0दि0 29.05.2023 के अनुसार खसरा नं0 145मि0 रकबा 0.142हे0 व खसरा नं0 147मि0 रकबा 0.0455हे0 व खसरा नं0 152मि0 रकबा 0.283हे0 व खसरा नं0 153/1मि0 रकबा 0.36525हे0 कुल रकबा 0.83575हे0 ल0 20.85रू0 से राजेश गुप्ता पत्नी स्व0 महेश कुमार गुप्ता नि0ग्राम चांदपुर,गोपीपुरा तह0काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम खारिज कर नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 महेश कुमार गुप्ता नि0ग्राम चांदपुर,गोपीपुरा तह0काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम दानपत्र द्वारा वर्ष 1 क संक्र0भूमि0 में दर्ज हो ह0आर0के0दि0 09.06.2023/06.07.2023</p> <p>1430फ0 वाद सं0 30/4275 वर्ष (2022-23) न्या0तह0का0 आ0दि0 29.05.2023 के अनुसार खसरा नं0 145मि0 रकबा 0.200हे0 ल0 4.94हे0 नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 महेश कुमार गुप्ता व राजेश गुप्ता पत्नी स्व0 महेश कुमार गुप्ता निवासीगण ग्राम चांदपुर गोपीपुरा तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर व खाता सं0 00027 के खसरा नं0 146मि0 रकबा 0.280हे0 ल0 6.42रू0 से नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 महेश कुमार गुप्ता निवासी ग्राम चांदपुर गोपीपुरा तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम खारिज कर विकास अरोरा पुत्र स्व0 कुन्दन लाल</p>	<p>नैनीताल बैंक लि0 काशीपुर के पत्र दि0 15.02.13 के अनुसार खातेदार महेश कुमार ने अपनी भूमि को मु0 9,80,000/-रू0में बंधक रबी ह0आर0के0 16.02.13</p> <p>नैनीताल बैंक लि0 काशीपुर के पत्र दि0 15.02.13 के अनुसार खातेदार नकुल कुमार ने अपनी भूमि को मु0 8,80,000/-रू0में बंधक रबी ह0आर0के0 16.02.13</p> <p>नैनीताल बैंक लि0 काशीपुर के पत्र संख्या NTB000253721 दिनांक 08.09.2021 के अनुसार खातेदार महेश कुमार द्वारा लिया गया ऋण मु0 9,80,000/-रू0 में बंधक रबी ह0आर0के0 10.08.2021</p> <p>नैनीताल बैंक लि0 काशीपुर के पत्र संख्या NTB000260821 दिनांक 06.09.2021 के अनुसार खातेदार नकुल कुमार गुप्ता द्वारा लिया गया ऋण मु0 8,80,000/-रू0 में जवा कर दिया ह0आर0के0 08.09.2021</p> <p>पूर्व दर्ज टिप्पणी नैनीताल बैंक लि0 काशीपुर के पत्र संख्या NTB000253721 दिनांक 08.09.2021 के अनुसार खातेदार महेश कुमार द्वारा लिया गया ऋण मु0 9,80,000/-रू0 में बंधक रबी के स्थान लिया गया ऋण मु0 9,80,000/-रू0 जवा कर दिया गया पढा जाये ह0आर0के0 20.09.2021</p>



<p>खाता खतौनी क्रम संख्या — 1 —</p>	<p>खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान — 2 —</p>	<p>श्रीमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष — 3 —</p>	<p>खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या — 4 —</p>	<p>प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) — 5 —</p>	<p>खातेदार द्वारा देव मालमुबारी वा सवान — 6 —</p>	<p>परिवर्तन सम्बन्धी आत्रा वा उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आत्रा देने वाले अधिकारी का पद — 7-12 —</p>	<p>टिप्पणी — 13 —</p>
						<p>निवासी आरके0पुरम कचनालगाजी तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा वर्ग 1 क संक्र0भूमि0 में दर्ज हो ह0आरके0दि0 09.06.2023/06.07.2023 1430फ0 बाद सं0 30/4276 वर्ष (2022-23) न्या0तह0का0 आ0दि0 29.05.2023 के अनुसार खसरा नं0 145मि0 रक्बा 0.230हे0 ल0 5.68रू0 से नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 महेश कुमार गुप्ता व राजेश गुप्ता पत्नी स्व0 महेश कुमार गुप्ता का नाम खारिज कर संजीव शर्मा पुत्र हरिजोम शर्मा निवासी न्यूईट हाउस रामनगर रोड ग्राम लक्ष्मीपुर लच्छी तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा वर्ग 1 क संक्र0भूमि0 में दर्ज हो ह0आरके0दि0 09.06.2023/06.07.2023 1430फ0 बाद सं0 30/4277 वर्ष (2022-23) न्या0तह0का0 आ0दि0 29.05.2023 के अनुसार खसरा नं0 146मि0 रक्बा 0.130हे0 ल0 3.22हे0 नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 महेश कुमार गुप्ता निवासी ग्राम चांदपुर गोपीपुरा तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर व खाता सं0 00125 के खसरा नं0 152मि0 रक्बा 0.131हे0 ल0 3.23रू0 से नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 महेश कुमार गुप्ता व राजेश गुप्ता पत्नी स्व0 महेश कुमार गुप्ता निवासीगण ग्राम चांदपुर गोपीपुरा तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम खारिज कर सिध्दान्त गोयल पुत्र रामचन्द्र अग्रवाल निवासी बाजपुर काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा वर्ग 1 क संक्र0भूमि0 में दर्ज हो ह0आरके0दि0 09.06.2023/06.07.2023 1430फ0 बाद सं0 30/4711 वर्ष (2022-23) न्या0तह0का0 आ0दि0 03.07.2023 के अनुसार खसरा नं0 145मि0 रक्बा 0.051हे0 ल0 1.25रू0 से विकास अरोरा पुत्र स्व0 कुन्दन लाल का नाम खारिज कर हेमा रानी पत्नी जीवन सिंह पुत्री हरिराम निवासी गौतमनगर मालघन चौड तहसील रामनगर जिला नैनीताल का नाम बैनामा द्वारा वर्ग 1 क संक्र0भूमि0 में दर्ज हाे ह0आरके0दि0 26.07.2023/18.08.2023 1431फ0 बाद सं0 30/5844 वर्ष (2022-23) न्या0ना0तह0पैगा आ0दि0 21.07.2023 के अनुसार खसरा नं0 152मि0 रक्बा 0.003हे0 ल0 0.10रू0 से सिध्दान्त गोयल पुत्र रामचन्द्र अग्रवाल का नाम खारिज कर अमित कुमार पुत्र बज्रान सिंह निवासी आर0टी0सी0हेमपुर ग्राम गोपीपुरा तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा वर्ग 1 ग वि0श्रे0 के भूमि0 में दर्ज हो ह0आरके0दि0 03.08.2023/18.08.2023 1431फ0 बाद सं0 30/5845 वर्ष (2022-23) न्या0ना0तह0पैगा आ0दि0 21.07.2023 के अनुसार खसरा नं0 152मि0 रक्बा 0.025हे0 ल0 0.60रू0 से सिध्दान्त गोयल पुत्र रामचन्द्र अग्रवाल का नाम खारिज कर</p>	



खाता खतीनी क्रम संख्या — 1 —	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान — 2 —	भौतिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष — 3 —	खाते के प्रत्येक गटे की खसरा संख्या — 4 —	प्रत्येक गटे का क्षेत्रफल (हे.) — 5 —	खातेदार द्वारा देव मालगुजारी वा लगान — 6 —	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा वा उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद — 7-12 —	टिप्पणी — 13 —
			5	4.3380		<p>उमंग देवी पुत्री लक्ष्मण सिंह निवासी पाण्डेय बस्ती गोपीपुरा तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा वर्ग 1 ग वि०श्रे० के भूमि० में दर्ज हो ह०आर०के०दि० 03.08.2023/18.08.2023 1431फ० बाद सं० 30/6642 वर्ष (2022-23) न्या०तह०का० के आ०दि० 06.09.2023 के अनुसार खसरा नं० 153/1मि० रक्बा 0.121१० ल० 3.00रू० से नकुल कुमार पुत्र स्व० महेश कुमार का नाम खारिज कर अंकुर अग्रवाल पुत्र सुनील कुमार अग्रवाल नि०शिवनगर गिरीताल काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम बैनामा द्वारा वर्ग 1 क संक्र०भूमि० में दर्ज हो ह०आर०के०दि० 03.10.2023/06.10.2023 1431फ० बाद सं० 30/7283 वर्ष (2022-23) न्या०तह०का० आ०दि० 20.09.2023 के अनुसार खसरा नं० 145मि० रक्बा 0.019१० ल० 0.45रू० से संजीव शर्मा पुत्र हरिजोम कुमार शर्मा का नाम खारिज कर अंशुल वादव पुत्र यशपाल नि० आर०टी०एस० एंड रिपोर्ट के/ब्लो-16,एपी०ओ० झंझोरी उ०सि०न० का नाम बैनामा द्वारा वर्ग 1 ग वि०श्रे० में दर्ज हो ह०आर०के०दि० 03.10.2023/06.10.2023 1431फ० बाद सं० 30/7710 वर्ष (2022-23) न्या०ना०तह०प०गा आ०दि० 26.09.2023 के अनुसार खसरा नं० 145मि० रक्बा 0.025१० ल० 0.60रू० से संजीव शर्मा पुत्र हरिजोम शर्मा का नाम खारिज कर ज्ञानचन्द्र शर्मा पुत्र हरप्रसाद शर्मा निवासी वार्ड नं० 07 कालाहूंगी बन्दो बस्ती जिला नैनीताल का नाम बैनामा द्वारा वर्ग 1 ग वि०श्रे० के भूमि० में दर्ज हो ह०आर०के०दि० 11.10.2023/25.10.2023</p>	

कुल गटे: पाँच कुल क्षेत्रफल: चार दशमलव तीन तीन आठ कुल भू-राजस्व: एक शून्य सात दशमलव दो शून्य

<p>Data Digitally Signed by : RAKESH SAHA</p> <p>यह उद्धरण खतीनी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।</p>	<p>सक्षम अधिकारी : TEHSILDAR</p> <p>तहसील : काशीपुर</p> <p>दिनांक एवं समय : 14-05-2024 11:36:32 AM</p> 
--	--

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

31

ग्राम क्रमांक : 055635

ग्राम का नाम / परगना : चाँदपुर(काशीपुर)

तहसील : काशीपुर

जनपद : उधम सिंह नगर

फसली वर्ष : 1426-1431 भाग : 1

1-क/भूमि जो सक्षमपीब अधिकार वाले भूमिधारो के अधिकारमे हो

खाता खतौनी क्रम संख्या — 1 —	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान _____ 2 _____	श्रीमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष _____ 3 _____	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या _____ 4 _____	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) _____ 5 _____	खातेदार द्वारा देव मासमुजारी या समान _____ 6 _____	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद _____ 7-12 _____	टिप्पणी _____ 13 _____
00126	महेश कुमार/इन्द्र देव/नि० ग्राम	1411फ0	145मि0 147मि0 152मि0 153मि0	0.0650 0.0320 0.0810 0.0770	6.30	1428फ0 राजस्व निरीक्षक काशीपुर के द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत प्रपत्र प क 11ख के क्रमांक 139 पर पारित आदेश दिनांक 03.07.2021 के अनुसार ग्राम चाँदपुर के खाता सं0 124, 125 एवं 126 पर भूतक खातेदार महेश कुमार पुत्र इन्द्र देव के स्थान पर उनके हकीकी वारिस राजेश गुप्ता पत्नी स्व0 महेश कुमार व नकुल कुमार पुत्र स्व0 महेश कुमार नि0 ग्राम के नाम बतौर विरासतन दर्ज हो ह0आर0के0 दि0 13.07.2021/31.08.2021 1430फ0 वाद सं0 30/4278 वर्ष (2022-23) न्या0तह0का0 के आ0दि0 29.05.2023 के अनुसार खसरा नं0 145मि0 रक्बा 0.01625हे0 व खसरा नं0 147मि0 रक्बा 0.00800हे0 व खसरा नं0 152मि0 रक्बा 0.02025हे0 व खसरा नं0 153मि0 रक्बा 0.01925हे0 कुल रक्बा 0.06375हे0 ल0 1.58रू0 से राजेश गुप्ता पत्नी स्व0 महेश कुमार गुप्ता नि0ग्राम0 चाँदपुर गोपीपुरा तह0काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम खारिज कर नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 महेश कुमार गुप्ता नि0ग्राम चाँदपुर गोपीपुरा तह0काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का नाम दानपत्र द्वारा वर्ग 1 क संक्र0भूमि0 में दर्ज हो ह0आर0के0दि0 09.06.2023/28.06.2023	नैनीताल बैंक लि0 काशीपुर के पत्र दि0 15.02.13 के अनुसार खातेदार महेश कुमार ने अपनी भूमि को मु0 9,80,000/-रू0मे बधक नैनीताल बैंक लि0 काशीपुर के पत्र संख्या NTB000260721 दिनांक 06.09.2021 के अनुसार खातेदार महेश कुमार गुप्ता द्वारा लिया गया ऋण मु0 9,80,000/-रू0 में अदा कर दिया ह0आर0के0 08.09.2021
			4	0.2550			

कुल गाटे: चार कुल क्षेत्रफल: शून्य दशमलव दो पाँच पाँच कुल भू-राजस्व: छ: दशमलव तीन शून्य

Data Digitally Signed by : AKRAM ALI

सक्षम अधिकारी : TEHSILDAR

तहसील : काशीपुर

दिनांक एवं समय :

14-05-2024 11:36:49 AM



यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।



उद्घरण खतीनी (शासकीय)

ग्राम क्रमांक : 055635

ग्राम का नाम / परगना : चौदपुर(काशीपुर)

32

तहसील : काशीपुर

जनपद : ऊधम सिंह नगर

फसली वर्ष : 1426-1431 भाग : 1

1-क/भूमि जो सड़कमधीव अधिकार वाले भूमिधारो के अधिकारमे हो

खाता खतीनी क्रम संख्या — 1 —	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान _____ 2 _____	भीमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष _____ 3 _____	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या _____ 4 _____	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) _____ 5 _____	खातेदार द्वारा देव मानबुजारी वा लगान _____ 6 _____	परिवर्तन सम्बन्धी खजाना वा उसका सारांस उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और खजाना देने वाले अधिकारी का पद _____ 7-12 _____	टिप्पणी _____ 13 _____
00208	सुरेशकुमार/इन्द्रदेव/नि0गा0	पू1384फ0	153/2	0.0280	0.70		
			1	0.0280			

कुल गाटे: एक कुल क्षेत्रफल: शून्य दशमलव शून्य दो आठ कुल भू-राजस्व: शून्य दशमलव सात शून्य

Data Digitally Signed by : AKRAM ALI

सहम अधिकारी : TEHSILDAR

तहसील : काशीपुर



दिनांक एवं समय : 14-05-2024 11:03 AM

यह उद्घरण खतीनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

सेवा में

श्रीमान जिला मुख्य उद्यान अधिकारी महोदय
रुद्रपुर जिला उधम सिंह नगर ।

विषय :-

25 पेड़ लीची के कटान की अनुमति चाहने वास्तों।

महोदय .

निवेदन है कि प्रार्थी निवासी - 310ए0 अशोका एवेन्यु दक्षिणी दिल्ली का निवासी है। प्रार्थी की भूमि बोंके मौजा ग्राम चाँदपुर तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर में खाता संख्या - 00027 खसरा नं०- 157 से 25 पेड़ लीची के लगे है। यह पेड़ मेरी भूमि में स्थित है। उपरोक्त पेड़ हर प्रकार से पाक साफ है। इन पेड़ों पर प्रार्थी का पूर्ण स्वामित्व है।

उपरोक्त पेड़ पुराने व रोगग्रस्त व सूखे व फलहीन है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी के 25 पेड़ लीची के कटान की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

D-49-4
C.H.O
4/10/2024



प्रार्थी

श्री सुधीर गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता
निवासी - 310ए0 अशोका एवेन्यु दक्षिणी दिल्ली

सेवा में,

श्रीमान जिला मुख्य उद्यान अधिकारी महोदय
रुद्रपुर जिला उधम सिंह नगर ।

विषय :- 50 पेड़ आम के कटान की अनुमति चाहनें वास्तें।

महोदय ,

निवेदन है कि प्रार्थी निवासी - 310ए0 अशोका एवेन्यु दक्षिणी दिल्ली का निवासी है। प्रार्थी की भूमि बॉके मौजा ग्राम चोंदपुर तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर में खाता संख्या - 00027 खसरा नं०- 157 मे 50 पेड़ आम के लगे है। यह पेड़ मेरी भूमि में स्थित है। उपरोक्त पेंड हर प्रकार से पाक साफ है। इन पेड़ो पर प्रार्थी का पूर्ण स्वामित्व है।

उपरोक्त पेंड 70/80 वर्ष पुराने व रोगग्रस्त है, आम के पेड़ो पर काफी वर्षों से फल नहीं आ रहा है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी के 50 पेड़ आम के कटान की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

Sachin Kumar

प्रार्थी

श्री सुधीर गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता
निवासी - 310ए0 अशोका एवेन्यु दक्षिणी दिल्ली

P. C. [Signature]
मुख्य उद्यान अधिकारी
रुधम सिंह नगर

D-49-5
G.H.O
4/10/2022

शेवा में,

श्रीमान जिला मुख्य उद्यान अधिकारी महोदय
रुद्रपुर जिला उधम सिंह नगर ।

विषय :- 60 पेड़ आम के कटान की अनुमति चाहने वास्ते।

महोदय ,

निवेदन है कि प्रार्थी निवासी - ग्राम चोंदपुर तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का निवासी है। प्रार्थी की भूमि बोंके मौजा ग्राम चोंदपुर तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर में खाता संख्या - 125 खसरा नं०- 145,152,153,147 मे 60 पेड़ आम के लगे है। यह पेड़ प्रार्थी की भूमि में स्थित है। उपरोक्त पेड़ हर प्रकार से पाक साफ है। इन पेड़ों पर प्रार्थी का पूर्ण स्वामित्व है।

उपरोक्त पेड़ पुराने व रोगग्रस्त व सूखे व फलहीन है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी के 60 पेड़ आम के कटान की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

Halal 4-10

प्रार्थी

श्री नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व० श्री महेश कुमार
निवासी ग्राम चोंदपुर तहसील काशीपुर
जिला उधम सिंह नगर।

P.C. Attwala
मुख्य उद्यान अधिकारी
उधम सिंह नगर

सेवा में,

36

श्रीमान जिला मुख्य उद्यान अधिकारी महोदय
रुद्रपुर जिला उधम सिंह नगर ।

विषय :- 50 पेड़ आम के कटान की अनुमति चाहनें वारतें।

महोदय ,

निवेदन है कि प्रार्थी निवासी - ग्राम चौदपुर तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का निवासी है। प्रार्थी की भूमि बोंके मौजा ग्राम चौदपुर तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर में खाता संख्या - 00027 खसरा नं०- 156 मे 50 पेड़ आम के लगे है। यह पेड़ मेरी भूमि में स्थित है। उपरोक्त पेड़ हर प्रकार से पाक साफ है। इन पेड़ो पर प्रार्थी का पूर्ण स्वामित्व है।

उपरोक्त पेड़ 70/80 वर्ष पुराने व रोगग्रस्त है, आम के पेड़ो पर काफी वर्षों से फल नहीं आ रहा है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी के 50 पेड़ आम के कटान की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थी

श्री मनीष गुप्ता पुत्र श्री नरेश कुमार गुप्ता
निवासी - ग्राम चौदपुर काशीपुर तहसील
काशीपुर जिला उधम सिंह नगर।

D.H.9-9
C.H.O
4/8/2022

मुख्य उद्यान अधिकारी
रुद्रपुर जिला उधम सिंह नगर

कार्यालय:- मुख्य उद्यान अधिकारी, ऊधमसिंह नगर विकास भवन रुद्रपुर।

☎ & ✉:-05944-250447, Email-hortl.usn@gmail.com

पत्रांक 787/तक-2/पातन-निरीक्षण/ 2022-23,

दिनांक 12/08/2022

प्रभारी,

उद्यान सचल दल केन्द्र, काशीपुर

जनपद - ऊधमसिंहनगर।

विषय- फलवृक्षों के पातन हेतु निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक श्री नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व० श्री महेश कुमार गुप्ता, निवासी- ग्राम चोंदपुर, गोपीपुरा तहसील काशीपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर का प्रार्थना पत्र दिनांक 08.08.2022 का खाता खतीनी संख्या-00125, खसरा संख्या-145,147,152,153 कुल रक्बा 4.144 है० भूमि में 60 आम वृक्षों के पातन हेतु इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जिसकी स्थलीय निरीक्षण हेतु निम्नलिखित कार्मिकों की समिति गठित की जाती है कि वह निम्न शर्तों के आधार पर बाग में फलविहीन वृक्षों का निरीक्षण कर पातन हेतु निरीक्षण आख्या मुख्यालय में प्रस्तुत करें।

क्र०सं०	कर्मचारी/अधिकारी का नाम	पदनाम	तैनाती स्थल
1.	श्री जगदीश चन्द्र तिवारी	ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक	उद्यान सचल दल केन्द्र, काशीपुर
2.	श्री आर० डी० भट्ट	ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक	कार्यालय-मु०उ०अ० ऊधमसिंहनगर
3.	श्री के०एल० सागर	सहा०वि०अधिकारी	उद्यान सचल दल केन्द्र, कुण्डेश्वरी

स्थलीय निरीक्षण के दौरान निम्न बिन्दुओं का मुख्य रूप से उल्लेख किया जाय :-

- पातन की संस्तुति करते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि नजरी नक्शे में पातन हेतु वृक्षों का अंकन किया जाय।
- हरे वृक्ष जिसमें फलत सम्भावित है, उससे किसी प्रकार के जनहित की हानि या कोई विशेष कारण न होने की दशा में संस्तुति न की जाय।
- वृक्षों की आयु एवं रोग/कीट व्याधि के प्रकोप का स्पष्ट उल्लेख करें।
- निरीक्षण के समय किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर समिति के सदस्यों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी, साथ ही फोटो ग्राँफ भी प्रस्तुत किये जायेंगे।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

पत्रांक 787/उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि-

श्री नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व० श्री महेश कुमार गुप्ता, निवासी-ग्राम चोंदपुर गोपीपुरा, तहसील काशीपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर को उपरोक्त कर्मचारी/अधिकारियों से फल/वृक्ष का निरीक्षण करवा कर आख्या उपलब्ध करवाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

७

nikshan patan-new

कार्यालय:- मुख्य उद्यान अधिकारी, ऊधमसिंह नगर विकास भवन रुद्रपुर।

☎ & ✉:-05944-250447, Email-horti.usn@gmail.com

पत्रांक 784 / तक-2 / पातन-निरीक्षण / 2022-23,

दिनांक 12/08/2022

प्रभारी,

उद्यान सचल दल केन्द्र, काशीपुर

जनपद - ऊधमसिंहनगर।

विषय- फलवृक्षों के पातन हेतु निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक श्री सुधीर गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता, निवासी- 31ए0 अशोका एवेन्यु दक्षिणी दिल्ली ग्राम चॉदपुर, तहसील काशीपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर का प्रार्थना पत्र दिनांक 04.08.2022 का खाता खतौनी संख्या-00027, खसरा संख्या-157, रक्वा 1.7850 है० भूमि में 50 आम वृक्षों के पातन हेतु इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जिसकी स्थलीय निरीक्षण हेतु निम्नलिखित कार्मिकों की समिति गठित की जाती है कि वह निम्न शर्तों के आधार पर बाग में फलविहीन वृक्षों का निरीक्षण कर पातन हेतु निरीक्षण आख्या मुख्यालय में प्रस्तुत करें।

क्र०सं०	कर्मचारी/अधिकारी का नाम	पदनाम	तैनाती स्थल
1.	श्री जगदीश चन्द्र तिवारी	ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक	उद्यान सचल दल केन्द्र, काशीपुर
2.	श्री आर० डी० भट्ट	ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक	कार्यालय-मु०उ०अ० ऊधमसिंहनगर
3.	श्री के०एल० सागर	सहा०वि०अधिकारी	उद्यान सचल दल केन्द्र, कुण्डेश्वरी

स्थलीय निरीक्षण के दौरान निम्न बिन्दुओं का मुख्य रूप से उल्लेख किया जाय :-

- पातन की संस्तुति करते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि नजरी नक्शे में पातन हेतु वृक्षों का अंकन किया जाय।
- हरे वृक्ष जिसमें फलत सम्भावित है, उससे किसी प्रकार के जनहित की हानि या कोई विशेष कारण न होने की दशा में संस्तुति न की जाय।
- वृक्षों की आयु एवं रोग/कीट व्याधि के प्रकोप का स्पष्ट उल्लेख करें।
- निरीक्षण के समय किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर समिति के सदस्यों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी, साथ ही फोटो ग्राफ भी प्रस्तुत किये जायें।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

पत्रांक 784 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि-

श्री सुधीर गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता, निवासी- 310ए0 अशोका एवेन्यु दक्षिणी दिल्ली ग्राम चॉदपुर, तहसील काशीपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर को उपरोक्त कर्मचारी/अधिकारियों से फल वृक्ष का निरीक्षण करवा कर आख्या उपलब्ध करवाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

कार्यालय:- मुख्य उद्यान अधिकारी, ऊधमसिंह नगर विकास भवन रुद्रपुर।

☎ & ✉ :- 05944-250447, Email-horti.usn@gmail.com

पत्रांक-786/तक-2/पातन-निरीक्षण/ 2022-23,

दिनांक 12/08/2022

प्रभारी,

उद्यान सचल दल केन्द्र, काशीपुर

जनपद - ऊधमसिंहनगर।

विषय- फलवृक्षों के पातन हेतु निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक श्री मनीष गुप्ता पुत्र श्री नरेश कुमार गुप्ता, निवासी- ग्राम चॉदपुर, तहसील काशीपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर का प्रार्थना पत्र दिनांक 04.08.2022 का खाता खतौनी संख्या-00027, खसरा संख्या-156, रक्वा 0.9470 है० भूमि में 50 आम वृक्षों के पातन हेतु इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जिसकी स्थलीय निरीक्षण हेतु निम्नलिखित कार्मिकों की समिति गठित की जाती है कि वह निम्न शर्तों के आधार पर बाग में फलविहीन वृक्षों का निरीक्षण कर पातन हेतु निरीक्षण आख्या मुख्यालय में प्रस्तुत करें।

क्र०सं०	कर्मचारी/अधिकारी का नाम	पदनाम	तैनाती स्थल
1.	श्री जगदीश चन्द्र तिवारी	ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक	उद्यान सचल दल केन्द्र, काशीपुर
2.	श्री आर० डी० भट्ट	ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक	कार्यालय-मु०उ०अ० ऊधमसिंहनगर
3.	श्री के०एल० सागर	सहा०वि०अधिकारी	उद्यान सचल दल केन्द्र, कुण्डेश्वरी

स्थलीय निरीक्षण के दौरान निम्न बिन्दुओं का मुख्य रूप से उल्लेख किया जाय :-

- पातन की संस्तुति करते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि नजरी नक्शों में पातन हेतु वृक्षों का अंकन किया जाय।
- हरे वृक्ष जिसमें फलत सम्भावित है, उससे किसी प्रकार के जनहित की हानि या कोई विशेष कारण न होने की दशा में संस्तुति न की जाय।
- वृक्षों की आयु एवं रोग/कीट व्याधि के प्रकोप का स्पष्ट उल्लेख करें।
- निरीक्षण के समय किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर समिति के सदस्यों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी; साथ ही फोटो ग्राँफ भी प्रस्तुत किये जायेंगे।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

पत्रांक-786/उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि- श्री मनीष गुप्ता पुत्र श्री नरेश कुमार गुप्ता, निवासी-ग्राम चॉदपुर, तहसील काशीपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर को उपरोक्त कर्मचारी/अधिकारियों से फल वृक्ष का निरीक्षण करवा कर आख्या उपलब्ध करवाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

कार्यालय:- मुख्य उद्यान अधिकारी, ऊधमसिंह नगर विकास भवन कन्नपुर।

☎ & ✉:-05944-250447, Email-hortl.usn@gmail.com

पत्रांक...821.../तक-2/पातन-निरीक्षण/ 2022-23,
प्रभारी,

दिनांक 22/08/2022

उद्यान सचल दल केन्द्र, काशीपुर
जनपद - ऊधमसिंहनगर।

विषय- फलवृक्षों के पातन हेतु निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक श्री सुधीर गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता, निवासी- 31ए0 अशोका एवेन्यु दक्षिणी दिल्ली ग्राम चोंदपुर, तहसील काशीपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर का प्रार्थना पत्र दिनांक 04.08.2022 का खाता खतौनी संख्या-00027, खसरा संख्या-157, रकबा 0.708 है० भूमि में 25 लीची वृक्षों के पातन हेतु इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जिसकी स्थलीय निरीक्षण हेतु निम्नलिखित कार्मिकों की समिति गठित की जाती है कि वह निम्न शर्तों के आधार पर बाग में फलविहीन वृक्षों का निरीक्षण कर पातन हेतु निरीक्षण आख्या मुख्यालय में प्रस्तुत करें।

क्र०सं०	कर्मचारी/अधिकारी का नाम	पदनाम	तैनाती स्थल
1.	श्री जगदीश चन्द्र तिवारी	ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक	उद्यान सचल दल केन्द्र, काशीपुर
2.	श्री गोपाल राम	सहा०वि०अधिकारी	कार्यालय-मु०उ०अ० ऊधमसिंहनगर
3.	श्री के०एल० सागर	सहा०वि०अधिकारी	उद्यान सचल दल केन्द्र, कुण्डेश्वरी

स्थलीय निरीक्षण के दौरान निम्न बिन्दुओं का मुख्य रूप से उल्लेख किया जाय :-

- पातन की संस्तुति करते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि नजरी नक्शों में पातन हेतु वृक्षों का अंकन किया जाय।
- हरे वृक्ष जिसमें फलत सम्भावित है, उससे किसी प्रकार के जनहित की हानि या कोई विशेष कारण न होने की दशा में संस्तुति न की जाय।
- वृक्षों की आयु एवं रोग/कीट व्याधि के प्रकोप का स्पष्ट उल्लेख करें।
- निरीक्षण के समय किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर समिति के सदस्यों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी, साथ ही फोटो ग्रॉफ भी प्रस्तुत किये जायेंगे।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
 ऊधमसिंहनगर।

पत्रांक...821.../उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि-

श्री सुधीर गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता, निवासी- 310ए0 अशोका एवेन्यु दक्षिणी दिल्ली ग्राम चोंदपुर, तहसील काशीपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर को उपरोक्त कर्मचारी/अधिकारियों से फल वृक्ष का निरीक्षण करवा कर आख्या उपलब्ध करवाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
 ऊधमसिंहनगर।

nirikshan patan-new

मुख्य उद्यान अधिकारी महोदय उधमसिंह नगर के कार्यालय पुराना 287 तक-2 पातन निरीक्षण 2022-23 दिनांक 12-08-2022 तक पत्रांक 821 तक-2 पातन निरीक्षण 2022-23 दिनांक 22-8-22 के मादिका के परिपालन में आज दिनांक 19-12-2022 को श्री नकुल कुमार गुप्ता पुत्र श्री महेश कुमार गुप्ता ग्राम-निवासी-ग्राम-चौदपुर गोपीपुरा तहसील काशीपुर जनपद उधमसिंह नगर श्री सधीर गुप्ता पुत्र श्री सैबेश कुमार गुप्ता निवासी 3A ए अशोक एवम् दक्षिणी पिठला गुर्ग-चौदपुर तहसील-काशीपुर जनपद उधमसिंह नगर व मनीस कुमार गुप्ता पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता निवासी ग्राम-चौदपुर तहसील काशीपुर जनपद-उधमसिंह नगर के बाग का निरीक्षण किया, निरीक्षण श्री जाकीश चन्द निवासी जेठ उद्यान निरीत पशारी उद्यान सचल दल काशीपुर एवं श्री कै०एल० सागर जेठ उद्यान निरीक्षक पशारी उद्यान सचल दल-कुण्डेश्वरी ने संयुक्त रूप से किया, निरीक्षण आवक्या निम्न प्रकार से है पूर्व में दिनांक 2-12-2022 को श्री रेवाधर भट्ट जेठ उद्यान निरीत श्री जाकीश चन्द निवासी जेठ उद्यान निरीक्षक, श्री कै०एल० सागर जेठ उद्यान निरीक्षक व बलवन्त राम सहपाठ विकास अधिकारी ने श्री इस बाग को 15 दिन तक देखा, अर्थात हो जाने के कारण बाग का निरीक्षण करना संभव नहीं हो सका।

1- यह बाग काशीपुर छत्रीप चौक से लगभग 12 किमी० उत्तर दिशा में काशीपुर शाननगर हाईवे के पश्चिम दिशा में है। बागसे प्रतापपुर का बाजार लगा है, यह बाग प्रतापपुर से हमपुर रोपों को जाने वाली रोड (Road) के दक्षिण दिशा में स्थित है।

2- यह बाग बहुत अच्छी स्थिति में है, श्री उमेश कुमार गुप्ता जेठ उद्यान निरीत ग्राम चौदपुर वाले इस बाग की देखरेख करते थे, वर्ष 2021 में कोविड महामारी के कारण उमेश गुप्ता एवं श्री महेश कुमार गुप्ता की मृत्यु हो गयी, वर्ष 2022-22 दो वर्षों के लिए श्री उमेश कुमार गुप्ता जी द्वारा 60 लाख रुपये में, फलों की विक्री हेतु फल ठेकेदार को दिया था, अब उनकी मृत्यु के बाद यह बाग उनके उपरोक्त वारिसों के पास आ गया है। उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा उक्त पथ में प्लाटिंग (आवासीय भवन) निर्माण के लिए किसी प्रोपर्टी डीलर को बैच दिया है अब प्रोपर्टी डीलर किसी भी प्रकार से आपव लीन के इस बाग को काटना चाहत है और विधिवत प्रकार से दबाव बना रहा है जिससे की दबाव बनाकर काटने की स्वीकृति ली जा सके।

3. प्रोपर्टी डीलर द्वारा श्री इसरल अली पुत्र श्री चौदरी निवासी ग्राम-प्रतापपुर तहसील काशीपुर जनपद-उधमसिंह नगर को अपना ठेकेदार बनाया है। अन्तर्व्यक्ति द्वारा शपथ पत्र देकर पेशों को काटने की अनुमति चाही है।

~~Photo not Attached~~

मुख्य उद्यान अधिकारी
उधम सिंह नगर

इसरत अली पुत्र चौदरों निवासी ग्राम-प्रतापपुर सहस्रील - काशीपुर
जनपद- उधमसिंहनगर नैर्ब 2022 22 में 100 आम वृक्षों पातन हेतु प्रस्ताव
महामुद्र पुत्र कवीर महामुद्र निवासी लक्ष्मीपुर लक्ष्मी सहस्रील - काशीपुर जनपद
उधमसिंहनगर के नाग का प्रार्थना पत्र दिया था, पातन स्वीकृती वहुत कम पैसे
की मिलने पर भी इसरत अली ठेकेदार द्वारा लगभग 200 से अधिक आम
वृक्षों का पातन कर दिया था। तत्कालीन उपजिलाधिकारी महोदय काशीपुर ने
उक्त की जाँच करवाई थी 7-1-2022 को श्री जादवीश चन्द्र निवासी एवं श्री कैबल
सागर ने उपजिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार जाँच कर दिनांक 7-1-22
को जाँच भरवाया रसोप दी थी, जिसमें 200 से अधिक वृक्षों के कोटेशन की बात
कह गयी है।

5- इस गाँव में कुल वृक्षों की संख्या निम्न प्रकार है।

- 1- आम वृक्ष कुल 718 (278 आम वृक्ष लगभग 50 साल शेष वृक्ष 2 साल से 10 साल)
- 2- लीची वृक्ष कुल 334 (लीची वृक्षों का आयु- 6 साल से 35 साल)
- 3- नासपाठी वृक्ष 48 (नासपाठी वृक्ष लगभग 6 साल)
- 4- कटहल वृक्ष 0 (कटहल वृक्ष 15 साल)

योग = 1101

6- ये सभी वृक्ष फल देने वाले हैं, इनमें कोई रोग नहीं लगा है
इन वृक्षों से किसी को कोई जनहानी नहीं हो रही है, कोई अन्य
कारण भी नहीं है।

7- अन्त में समिति इस निश्कर्ष पर पहुँचती है कि किसी
भी दूसा में गाँव का पातन न किया जाए, एक पेड़ की भी अनुमति दे दी गयी
तो गाँव में एक भी वृक्ष नहीं बचेगा पूर्व में लगभग सभी ठेकेदारों के द्वारा ऐसा
ही किया गया है, गाँव केवल प्लांटिंग के लिए काटने का विचार है
ऐसी परिस्थिति में समिति गाँव न काटने की सुझाव देती है।

प्रमोद
(जादवीश चन्द्र निवासी)
उद्यान संचालक (उधमसिंह नगर)
जोड़क उधमसिंह निवासी
उद्यान संचालक - काशीपुर

(कैबल सागर)
प्रभारी
जोड़क उधमसिंह निवासी
कुण्डेश्वरी (उधमसिंह नगर)
उद्यान संचालक
कुण्डेश्वरी

photo copy attached

मुख्य उद्यान अधिकारी
रुधम सिंह नगर

कार्यालय:- मुख्य उद्यान अधिकारी, ऊधमसिंह नगर विकास भवन रुद्रपुर।

☎ & ✉:- 05944-250447, Email-horti.usn@gmail.com

पत्रांक 1911 / तक-2/पातन निरी0/2022-23,
सेवा में,

दिनांक 03/01/2023

संयुक्त मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी,
काशीपुर, जनपद-ऊधमसिंह नगर।

विषय:- आम/लीची के पेड़ों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगत कराना है कि श्री नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री महेश कुमार गुप्ता, श्री सुधीर कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता एवं मनीष कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता निवासी ग्राम चाँदपुर तहसील काशीपुर जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा आम के पेड़ों के पातन हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 08.08.2022 को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था, जिस हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 787/तक-2/पातन-निरी0/2022-23 दिनांक 12.08.2022 से श्री नकुल कुमार गुप्ता, खाता खतौनी संख्या-00125, खसरा संख्या-145,147, 152,153 कुल रक्वा 4.144 है0 भूमि में 60 आम वृक्ष, पत्रांक 784/तक-2/पातन- निरी0/2022-23 दिनांक 12.08.2022 से श्री सुधीर कुमार गुप्ता, खाता खतौनी संख्या-00027, खसरा संख्या-157 कुल रक्वा 1.7850 है0 भूमि में 50 आम वृक्ष, पत्रांक 786/तक-2/पातन-निरी0/2022-23 दिनांक 12.08.2022 से श्री मनीष गुप्ता, खाता खतौनी संख्या-00027, खसरा संख्या-156 कुल रक्वा 0.9470 है0 भूमि में 50 आम वृक्ष, एवं पत्रांक 821/तक-2/पातन-निरी0/2022-23 दिनांक 22.08.2022 से श्री सुधीर कुमार गुप्ता, खाता खतौनी संख्या-00027, खसरा संख्या-157 रक्वा 0.706 है0 भूमि में 25 लीची वृक्षों के पातन हेतु निरीक्षण के सम्बन्ध में श्री जगदीश चन्द्र तिवारी, ज्ये0उ0निरी0, उ0स0द0 केन्द्र, काशीपुर श्री आर0डी0भट्ट ज्ये0उ.0निरी0, मुख्यालय, ऊधमसिंह नगर एवं श्री के0एल0सागर, सहा0वि0अधि0, उ0स0द0 केन्द्र, कुण्डेश्वरी की संयुक्त समिति गठित की गई थी। जिसका श्री जगदीश चन्द्र तिवारी, ज्ये0उ0निरी0, उ0स0द0 केन्द्र, काशीपुर एवं श्री के0एल0सागर, सहा0वि0अधि0, उ0स0द0 केन्द्र, कुण्डेश्वरी द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित की गई है जिसकी छयाप्रति संलग्न की जा रही है।

उक्त के क्रम में तीनों कृषकों द्वारा पुनः निरीक्षण हेतु इस कार्यालय को दिनांक रहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो इस कार्यालय में दिनांक 28.12.2022 को प्राप्त हुआ जिसकी प्रतिलिपि आपको एवं तहसीलदार काशीपुर को भी प्रेषित की गई है। अतः महोदय से अनुरोध है कि बाग काफी बड़ा हैं एवं पेड़ों की संख्या अधिक होने के कारण उपरोक्त अंकित वृक्षों के पातन हेतु अपने स्तर से राजस्व विभाग एवं उद्यान विभाग की संयुक्त समिति गठित कर स्थलीय निरीक्षण करवाने की कृपा करेंगे।

भवदीया,

मुख्य उद्यान अधिकारी
ऊधमसिंह नगर।

पत्रांक 1911 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि- श्री सुधीर गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता, निवासी-31ए0 अशोका एवेन्यु दक्षिणी दिल्ली ग्राम-चाँदपुर, तहसील-काशीपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- श्री मनीष गुप्ता पुत्र श्री नरेश कुमार गुप्ता, निवासी ग्राम-चाँदपुर, तहसील-काशीपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- श्री नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री महेश कुमार गुप्ता, निवासी ग्राम-चाँदपुर, तहसील- काशीपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- तहसीलदार, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य उद्यान अधिकारी
ऊधमसिंह नगर।

P.C. Attested
मुख्य उद्यान अधिकारी
ऊधम सिंह नगर

सेवा में,

श्रीमान जिला मुख्य उद्यान अधिकारी महोदय
रुद्रपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड।

विषय :- आम के पेड़ों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी निवासी - ग्राम चोंदपुर तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का निवासी है। आपके कार्यालय द्वारा भेजा गया पत्र मुझे प्राप्त हो गया है। पत्रांक संख्या 784 दिनांक 12/08/2022 के सम्बंध में प्रार्थी का जवाब निम्न प्रकार है :-

श्री जगदीश चन्द्र तिवारी ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, उद्यान सचल दल केन्द्र काशीपुर तथा के० एल० सागर सहा० वि० अधिकारी, उद्यान सचल दल कुण्डेश्वरी दोनों अधिकारियों के द्वारा दी गई रिपोर्ट में पेड़ों को हरा दिखाया गया है तथा रिपोर्ट में पेड़ों की उम्र भी कम दर्शायी गयी है तथा रिपोर्ट में पेड़ों के सूखे तथा पेड़ों के रोगग्रस्त होने का भी जिक्र नहीं किया गया है जबकि बाग में आम के लगभग 20 पेड़ सूख रहे हैं व 30 पेड़ रोगग्रस्त हैं जिन पर फल नहीं आता जिस कारण प्रार्थी कटवाना चाहता है और पातन किये गये पेड़ों के स्थान पर नये पेड़ों का रोपण करवाना चाहता है। महोदय बाग में पेड़ों के उपर से तीन विद्युत लाईनें भी जा रही हैं जिसका रिपोर्ट जिक्र नहीं किया गया है और बरसात में पेड़ों पर करन्ट का भय भी बना रहता है। जिस कारण प्रार्थी उक्त दोनों अधिकारियों की रिपोर्ट से सन्तुष्ट नहीं है जबकि ग्राम सबसे पुराना बगीचा हमारा ही है और रिपोर्ट पेड़ों की लम्बाई का जिक्र भी नहीं किया गया है। प्रार्थी उपरोक्त दोनों अधिकारियों की रिपोर्ट से सन्तुष्ट नहीं है। जबकि ग्राम का सबसे पुराना बगीचा हमारा है जिनका विवरण इस रिपोर्ट में नहीं किया गया है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी के उपरोक्त पेड़ों का पुनः स्थलीय निरीक्षण करवाने की कृपा करें। आपकी अति कृपा है।

प्रतिलिपि :- तहसीलदार काशीपुर को उपरोक्तनुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- उपजिलाधिकारी, काशीपुर की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

S.H. TAIL
S.H.O.
28/8/22



(Signature)
प्रार्थी

श्री नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व० श्री महेश कुमार गुप्ता
निवासी ग्राम चोंदपुर तहसील काशीपुर
जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड।

श्रीमान जिला मुख्य उद्यान अधिकारी महोदय
रुद्रपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड।

विषय :- आम के पेड़ों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी निवासी - ग्राम चोंदपुर तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का निवासी है। आपके कार्यालय द्वारा भेजा गया पत्र मुझे प्राप्त हो गया है। पत्रांक संख्या 784 दिनांक 12/08/2022 के सम्बंध में प्रार्थी का जवाब निम्न प्रकार है :-

श्री जगदीश चन्द्र तिवारी ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, उद्यान सचल दल केन्द्र काशीपुर तथा के० एल० सागर सहा० वि० अधिकारी, उद्यान सचल दल कुण्डेश्वरी दोनो अधिकारियों के द्वारा दी गई रिपोर्ट में पेड़ों को हरा दिखाया गया है तथा रिपोर्ट में पेड़ों की उम्र भी कम दर्शायी गयी है तथा रिपोर्ट में पेड़ों के सूखे तथा पेड़ों के रोगग्रस्त होने का भी जिक्र नहीं किया गया है जबकि बाग में आम के लगभग 20 पेड़ सूख रहे हैं व 30 पेड़ रोगग्रस्त हैं जिन पर फल नहीं आता जिस कारण प्रार्थी कटवाना चाहता है और पातन किये गये पेड़ों के स्थान पर नये पेड़ों का रोपण करवाना चाहता है। महोदय बाग में पेड़ों के उपर से तीन विद्युत लाईनें भी जा रही हैं जिसका रिपोर्ट जिक्र नहीं किया गया है और बरसात में पेड़ों पर करन्ट का भय भी बना रहता है। जिस कारण प्रार्थी उक्त दोनो अधिकारियों की रिपोर्ट से सन्तुष्ट नहीं है जबकि ग्राम सबसे पुराना बगीचा हमारा ही है और रिपोर्ट पेड़ों की लम्बाई का जिक्र भी नहीं किया गया है। प्रार्थी उपरोक्त दोनो अधिकारियों की रिपोर्ट से सन्तुष्ट नहीं है। जबकि ग्राम का सबसे पुराना बगीचा हमारा है जिनका विवरण इस रिपोर्ट में नहीं किया गया है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी के उपरोक्त पेड़ों का पुनः स्थलीय निरीक्षण करवाने की कृपा करें। आपकी अति कृपा है।

प्रतिलिपि :- तहसीलदार काशीपुर को उपरोक्तनुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- उपजिलाधिकारी, काशीपुर की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



प्रार्थी

श्री मनीष गुप्ता पुत्र श्री नरेश कुमार गुप्ता
निवासी ग्राम चोंदपुर तहसील काशीपुर
जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड।

P-8 Attestee
मुख्य उद्यान अधिकारी
उधम सिंह नगर

श्रीमान जिला मुख्य उद्यान अधिकारी महोदय
रुद्रपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड।

विषय :- आम के पेड़ों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी निवासी - ग्राम चोंदपुर तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का निवासी है। आपके कार्यालय द्वारा भेजा गया पत्र मुझे प्राप्त हो गया है। पत्रांक संख्या 784 दिनांक 12/08/2022 के सम्बंध में प्रार्थी का जवाब निम्न प्रकार है :-

श्री जगदीश चन्द्र तिवारी ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, उद्यान सचल दल केन्द्र काशीपुर तथा के० एल० सागर सहा० वि० अधिकारी, उद्यान सचल दल कुण्डेश्वरी दोनों अधिकारियों के द्वारा दी गई रिपोर्ट में पेड़ों को हरा दिखाया गया है तथा रिपोर्ट में पेड़ों की उम्र भी कम दर्शायी गयी है तथा रिपोर्ट में पेड़ों के सूखे तथा पेड़ों के रोगग्रस्त होने का भी जिक्र नहीं किया गया है जबकि बाग में आम के लगभग 15 पेड़ सूख रहे हैं व 35 पेड़ रोगग्रस्त हैं जिन पर फल नहीं आता जिस कारण प्रार्थी कटवाना चाहता है और पातन किये गये पेड़ों के स्थान पर नये पड़ों का रोपण करवाना चाहता है। महोदय बाग में पेड़ों के उपर से तीन विद्युत लाईनें भी जा रही हैं जिसका रिपोर्ट जिक्र नहीं किया गया है और बरसात में पेड़ों पर करन्ट का भय भी बना रहता है। जिस कारण प्रार्थी उक्त दोनों अधिकारियों की रिपोर्ट से सन्तुष्ट नहीं है जबकि ग्राम सबसे पुराना बगीचा हमारा ही है और रिपोर्ट पेड़ों की लम्बाई का जिक्र भी नहीं किया गया है। प्रार्थी उपरोक्त दोनों अधिकारियों की रिपोर्ट से सन्तुष्ट नहीं है। जबकि ग्राम का सबसे पुराना बगीचा हमारा है जिनका विवरण इस रिपोर्ट में नहीं किया गया है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी के उपरोक्त पेड़ों का पुनः स्थलीय निरीक्षण करवाने की कृपा करें। आपकी अति कृपा है।

प्रतिलिपि :- तहसीलदार काशीपुर को उपरोक्तनुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- उपजिलाधिकारी, काशीपुर की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



प्रार्थी

श्री सुधीर गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार
निवासी 31 ए० अशोका एवन्वु दक्षिणी दिल्ली
हाल निवासी ग्राम चोंदपुर तहसील काशीपुर
जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड।

P. P. Attested
मुख्य उद्यान अधिकारी
रुधम सिंह नगर

कार्यालय तहसीलदार, काशीपुर जिला उधमसिंहनगर।

Email: tehsildarkashipur@gmail.com

पत्र सं०- ५० / ना०ना० / 2023

पूरागा/पीका संख्या-06847-274026

दिनांक / 2 जनवरी, 2023

- 1-श्री राम सिंह राजस्व निरीक्षक क्षेत्र काशीपुर।
- 2-कु० निर्मला मनोला राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र गोपीपुर।

मुख्य उद्यान अधिकारी, उधमसिंहनगर के पत्र सं०-1911/तक-2/पातन निरी०/2022-23 दिनांक 03.01.2023 के द्वारा श्री नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व० महेश कुमार गुप्ता के खाता खतौनी सं०-00125 खसरा नं०-145, 147, 152, 153 कुल रकवा 4.144 है० भूमि में 60 आम वृक्ष, श्री सुधीर कुमार गुप्ता पुत्र सुरेश कुमार के खाता खतौनी सं०-00027 खसरा नं०-157 कुल रकवा 1.7850 है० भूमि में 50 आम वृक्ष, मनीष कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता के खाता खतौनी सं०-00027 खसरा नं०-156 कुल रकवा 0.9470 है० भूमि में 50 आम वृक्ष एवं श्री सुधीर कुमार गुप्ता पुत्र सुरेश कुमार के खाता खतौनी सं०-00027 खसरा नं०-157 रकवा 0.706 है० भूमि में 25 लीची वृक्ष के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि उक्त बाग काफी बड़ा है एवं पेड़ों की संख्या अधिक होने के कारण उपरोक्त अंकित वृक्षों के पातन हेतु राजस्व विभाग एवं उद्यान विभाग की संयुक्त समिति गठित कर स्थलीय निरीक्षण करवाने का अनुरोध किया गया है। जिस पर उप जिलाधिकारी महोदय काशीपुर ने अपने पृष्ठांकन आदेश दिनांक 06.01.2023 के द्वारा प्रकरण में केवल भूमि स्वामित्व केस में रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र सं०-132/ना०ना०/2023 दिनांक 11 जनवरी, 2023 के द्वारा मुख्य उद्यान अधिकारी महोदय उधमसिंहनगर से प्रकरण में उद्यान विभाग से 02 अधिकारी/कर्मचारी का नाम उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया जिस पर संयुक्त टीम गठित कर स्थलीय निरीक्षण कर आख्या प्रेषित की जा सकें। जिस पर मुख्य उद्यान अधिकारी महोदय उधमसिंहनगर ने अपने पत्र सं०-711 दिनांक 12.01.2023 के द्वारा श्री रेवाधर भट्ट ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक व श्री शंकर लाल कोहली ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक के नाम प्रेषित किये गये हैं।

अतः उक्त प्रकरण में उद्यान विभाग के कर्मचारी/अधिकारी से सम्पर्क स्थापित करते हुये, स्थलीय निरीक्षण कर अपनी संयुक्त आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

तहसीलदार, काशीपुर।
प्रतिलिपि:- श्री रेवाधर भट्ट ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक मु०, श्री शंकर लाल कोहली ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक जसपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रकरण में राजस्व विभाग के उक्त कर्मचारियों से सम्पर्क स्थापित करते हुये, अपनी संयुक्त आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

तहसीलदार, काशीपुर।

पत्र संख्या-11/ /ना0ना0/2022

दिनांक 07-01-2023

विषय- आम के पेड़ों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

रावा में,

मुख्य उद्यान अधिकारी,
उधमसिंहनगर।

गृहोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक, मुख्य उद्यान अधिकारी, उधमसिंहनगर के पत्र सं0-1911/तक-2/ पातन निरी0/2022-23 दिनांक 03.01.2023 जो आपको सम्बोधित है, पर अपने पृष्ठांकन आदेश दिनांक 06.01.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में केवल भूमि स्वामित्व केस में रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र सं0-40/ना0ना0/2023 दिनांक 12 जनवरी, 2023 के द्वारा श्री रेवाधर भट्ट ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, श्री शंकर लाल कोहली ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक जसपुर, श्री राम सिंह राजस्व निरीक्षक व कु0 निर्मला मनौला राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र गोपीपुरा तहसील काशीपुर से प्रकरण में स्थलीय निरीक्षण कर संयुक्त आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी।

उक्त के क्रम में श्री रेवाधर भट्ट ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, श्री शंकर लाल कोहली ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक जसपुर, श्री राम सिंह राजस्व निरीक्षक व कु0 निर्मला मनौला राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र गोपीपुरा तहसील काशीपुर के द्वारा दिनांक 13.01.2023 से 44 आम वृक्षों का पातन हेतु संयुक्त निरीक्षक आख्या प्रस्तुत की गयी है जो मूल में संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

S.H.9-11/

C.H.O
18/1/2023

तहसीलदार काशीपुर,
जनपद उधमसिंहनगर।

P.C./*Attested*

मुख्य उद्यान अधिकारी
उधम सिंह नगर

संयुक्त निरीक्षण आख्या

आज दिनांक 13-01-2023 को तहसीलदार काशीपुर जनपद ऊधमसिंहनगर के पंचांक संख्या 40/ना०ता०/2023/दिनांक 12 जनवरी 2023 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार आम/लक्ष्मी वृक्ष पातन हेतु गठित समिति के सदस्य श्री रेवाधर भट्ट ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक मुख्यालय ऊधमसिंहनगर, श्री रस० रल० कोहली ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक जसपुर श्री रामसिंह राजस्व निरीक्षक क्षेत्र काशीपुर, कुमारी निर्मला मनोला राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र गोपीपुरा द्वारा श्री सुधीर कुमार गुप्ता ९/० श्री सुदेश कुमार गुप्ता निवासी चांयपुर के उद्यान में स्वतंत्र संख्या-०००27, रकबा संख्या-157 कुल भूमि में उद्यान में खड़े आम वृक्षों का उक्त समिति के सदस्यों द्वारा कास्थलीय निरीक्षण किया गया जिसका नजरी नक्शा संलग्न है। एवं निरीक्षण आख्या निम्न प्रकार है।

उक्त उद्यान में प्रथम पंक्ति में 7 वृक्ष, द्वितीय पंक्ति में 9 वृक्ष तिसरी पंक्ति में 7 वृक्ष, चौथी पंक्ति में 8 वृक्ष, पाचवीं पंक्ति में 9 वृक्ष, दशवीं पंक्ति में 9 वृक्ष, सातवीं पंक्ति में 8 वृक्ष, आठवीं पंक्ति में 9 वृक्ष, नौवीं पंक्ति में 8 वृक्ष, दसवीं पंक्ति में 9 वृक्ष, इग्यारवीं पंक्ति में 9 वृक्ष, बारावीं पंक्ति में 10 वृक्ष, कुल-102 वृक्ष खड़े हैं।

- ① उक्त वृक्ष लगभग 50 वर्ष से ऊपर के प्रतीत होते हैं। उम्र अधिक होने के कारण फलों का उत्पादन कम हो रहा है।
- ② उक्त आम वृक्षों की उम्र अधिक होने के कारण वृक्षों का फैलाव अधिक होने तथा रहनियों के आपस में सट जाने के कारण अपना अनुरूप फल उत्पादन नहीं हो पा रहा है। कुछ वृक्ष सूख रहे हैं तथा कुछ वृक्षों की रहनियां खुरबही हैं फीरी आफ संलग्न हैं।
- ③ उक्त उद्यान के बीचों-बीच खिजली की दो लाइनें जा रही हैं जिसे वृक्षों रहनियां टच हो रही हैं जिसे जान-माल का खतरा प्रतीत होता है। फीरी आफ संलग्न हैं।

उपरोक्त कारणों को दृष्टिगत रखते हुए समिति के चारों नामित सदस्यों द्वारा उक्त उद्यान सह समिति प्रधान की गयी कि उक्त उद्यान में पहली पंक्ति में 7 वृक्ष, दूसरी पंक्ति में 7 वृक्ष, तिसरी पंक्ति में 9 वृक्ष, चौथी पंक्ति में 9 वृक्ष, पाचवीं पंक्ति में 9 वृक्ष, दशवीं पंक्ति में 9 वृक्ष, सातवीं पंक्ति में 8 वृक्ष, आठवीं पंक्ति में 9 वृक्ष, नौवीं पंक्ति में 8 वृक्ष, दसवीं पंक्ति में 9 वृक्ष, इग्यारवीं पंक्ति में 9 वृक्ष, बारावीं पंक्ति में 10 वृक्ष कुल 102 वृक्ष पातन योग्य प्रतीत होते हैं।

अतः अलाभकारी 102 वृक्षों का पातन कर उनके स्थान पर नये वृक्ष रोपण करना उचित होगा, साथ ही स्वीकृति उपयुक्त अगर श्री सुधीर कुमार गुप्ता एवं उनके द्वारा नामित डेकर श्री इंदर मली निवासी प्रतापपुर द्वारा स्वीकृति से अधिक वृक्षों का पातन किया जायेगा तो वे स्वयं उत्तरदायी होंगे, इससे अती डेकर का शपथ पत्र संलग्न है।

(रेवाधर भट्ट)
ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक
C.H.O. कर्मोलाप विकास नवन
कंडपुर

(रस० रल० कोहली)
ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक
जसपुर

(रामसिंह)
राजस्व निरीक्षक
क्षेत्र काशीपुर

(कर्मोलाप मनोला)
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र काशीपुर

कार्यालय तहसीलदार काशीपुर जिला उधमसिंहनगर ।

Email-tehsilkashipur@gmail.com दूरभाष/फैक्स संख्या-05947-27402

दिनांक 17-01-2023

पत्र संख्या-140/ना0ना0/2022

विषय:- आम के पेड़ों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
सेवा में,

मुख्य उद्यान अधिकारी,
उधमसिंहनगर।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक, मुख्य उद्यान अधिकारी, उधमसिंहनगर के पत्र सं0-1911/तक-2/ पातन निरी0/2022-23 दिनांक 03.01.2023 जो आपको सम्बोधित है, पर अपने पृष्ठांकन आदेश दिनांक 06.01.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में केवल भूमि स्वामित्व केस में रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र सं0-40/ना0ना0/2023 दिनांक 12 जनवरी, 2023 के द्वारा श्री रेवाधर भट्ट ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, श्री शंकर लाल कोहली ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक जसपुर, श्री राम सिंह राजस्व निरीक्षक व कु0 निर्मला मनौला राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र गोपीपुरा तहसील काशीपुर से प्रकरण में स्थलीय निरीक्षण कर संयुक्त आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी।

उक्त के क्रम में श्री रेवाधर भट्ट ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, श्री शंकर लाल कोहली ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक जसपुर, श्री राम सिंह राजस्व निरीक्षक व कु0 निर्मला मनौला राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र गोपीपुरा तहसील काशीपुर के द्वारा दिनांक 13.01.2023 से 39 आम वृक्षों का पातन हेतु संयुक्त निरीक्षक आख्या प्रस्तुत की गयी है जो मूल में संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

तहसीलदार काशीपुर,
जनपद उधमसिंहनगर।

P.C. / Attested

मुख्य उद्यान अधिकारी
उधम सिंह नगर

S.H.9-111
C.H.0
18/1/2023

संयुक्त निरीक्षण आख्या

आज दिनांक 13-01-2023 को तहसीलदार, तहसीलकाशीपुर, जनपद अथमसिंहनगर के पत्रांक संख्या 40/नो/नो/2023/दिनांक 12 जनवरी 2023 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार आम/कीची/बूझो के पातन हेतु गठित समिति के सदस्य श्री रेवाधर अग्र, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक मुख्यालय बिकास भवन रुद्रपुर, श्री एस.एल. कोहली ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक जसपुर, श्री रामासिंह राजस्व निरीक्षक क्षेत्र काशीपुर, कुमारी निर्मला मनौला राजस्व अनिरीक्षक क्षेत्र गोपीपुरा द्वारा श्री मनीष कुमार गुप्ता 310 सैदाकुमार गुप्ता ग्राम-चांयपुर के उद्यान में खतौनी संख्या 00027 खसरा संख्या-156 कुल 0.9470 हेक्टर भूमि में उद्यान में खड़े आम बूझो का एक गठित समिति के सदस्यों द्वारा बूझो का स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसका नजरी नक्शा संलग्न है एवं निरीक्षण आख्या निम्न प्रकार है।

उक्त उद्यान में प्रथम पेकरी में-14 बूझ, द्वितीय पेकरी में-16 बूझ तृतीय पेकरी में-16 बूझ, चौथी पेकरी में-13 बूझ, पाचवीं पेकरी में-12 बूझ षष्ठी पेकरी में-11 बूझ, सातवीं पेकरी में 10 बूझ, आठवीं पेकरी में 12 बूझ कुल 104 बूझ खड़े हैं।

- ① उक्त उद्यान में बूझ लगभग 55 वर्ष से ऊपर के प्रतीत हो रहे हैं अधिक उम्र होने के कारण फल उत्पादन कम हो रहा है।
- ② उक्त उद्यान में बूझों की उम्र अधिक होने के कारण बूझों का फैलाव अधिक होने के कारण उद्यनियां आपस में घसी होने के फल उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ रहा है तथा कुछ बूझ सूख रहे हैं। कुछ बूझों की उद्यनियां सूख रही हैं, फौदो संलग्न है।

उपरोक्त कारणों को धरिमत रखते हुए समिति के चारों सदस्यों द्वारा सहमति प्रधान की गयी कि उक्त उद्यान में पहली पेकरी में ① बूझ, दूसरी पेकरी में ② बूझ, तिसरी पेकरी में ③ बूझ, चौथी पेकरी में ④ बूझ, पाचवीं पेकरी में ⑤ बूझ, षष्ठी पेकरी में ⑥ बूझ, सातवीं पेकरी में ⑦ बूझ, आठवीं पेकरी में ⑧ बूझ कुल ⑨ बूझ पातन योग्य प्रतीत हो रहे हैं।

अतः अलाभकारी ⑨ बूझों का पातन कर उनके स्थान पर नये बूझों का रोपण किया जाना उचित होगा, साथ ही स्वीकृति के उपरान्त श्री मनीष कुमार गुप्ता या उनके द्वारा नामित ठेकेदार श्री इसरत अली निवासी प्रतापपुर द्वारा स्वीकृति से अधिक बूझों का पातन किया जाता है तो वे स्वयं उत्तरदायी रहेंगे, इसरत अली ठेकेदार का शपथ पत्र संलग्न है।

[रेवाधर अग्र]
 ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक
 सी.पी.ओ. कारमेलपुर
 रुद्रपुर

[एस.एल. कोहली]
 ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक
 जसपुर
 जनपद अथम सिंह नगर

[रामासिंह]
 राजस्व निरीक्षक
 क्षेत्र काशीपुर

[कुमारी निर्मला मनौला]
 राजस्व उपठ बिकास
 गोपीपुरा

Photo copy attached
 मुख्य उद्यान अधिकारी
 रुधम सिंह नगर

निर्मला मनौला
 राजस्व अनिरीक्षक
 क्षेत्र काशीपुर
 जिला-अथम सिंह नगर

कार्यालय तहसीलदार काशीपुर जिला उधमसिंहनगर ।

Email-tehsilkashipur@gmail.com दूरभाष/फैक्स संख्या-05947-27402

पत्र संख्या-139 / ना0ना0 / 2022

दिनांक 17-01-2023

विषय:- लीची के पेड़ों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
सेवा में,

मुख्य उद्यान अधिकारी,
उधमसिंहनगर।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक, मुख्य उद्यान अधिकारी, उधमसिंहनगर के पत्र सं0-1911/तक-2/ पातन निरी0/2022-23 दिनांक 03.01.2023 जो आपको सम्बोधित है, पर अपने पृष्ठांकन आदेश दिनांक 06.01.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में केवल भूमि स्वामित्व केस में रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र सं0-40/ना0ना0/2023 दिनांक 12-जनवरी, 2023 के द्वारा श्री रेवाधर भट्ट ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, श्री शंकर लाल कोहली ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक जसपुर, श्री राम सिंह राजस्व निरीक्षक व कु0 निर्मला मनौला राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र गोपीपुरा तहसील काशीपुर से प्रकरण में स्थलीय निरीक्षण कर संयुक्त आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी।

उक्त के क्रम में श्री रेवाधर भट्ट ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, श्री शंकर लाल कोहली ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक जसपुर, श्री राम सिंह राजस्व निरीक्षक व कु0 निर्मला मनौला राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र गोपीपुरा तहसील काशीपुर के द्वारा दिनांक 13.01.2023 से 22 लीची वृक्षों का पातन हेतु संयुक्त निरीक्षक आख्या प्रस्तुत की गयी है जो मूल में संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

S.M.9-115
C.H.O
18/11/2023

तहसीलदार काशीपुर,
जनपद उधमसिंहनगर।

P.C./Attwsteo
मुख्य उद्यान अधिकारी
उधम सिंह नगर

आज दिनेक 13.01.2023 को तहसीलदार तहसील-काशीपुर जनपद - अमरसिंह नगर के पत्र सं- 40/नाब ना। 2023/डिग्रेड - 12 जनवरी 2023 द्वारा दिने गव निरीक्षण के परिपालन में पातन हेतु जग्गि खासि के सदस्यों श्री ब्रह्माधर अट ज्येष्ठ उपनिरीक्षक मुख्यालय श्री शेकर लाल कोहली ज्येष्ठ डीआर निरीक्षक परसपुर श्री राम सिंह राजस्व निरीक्षक क्षेत्र काशीपुर एवं कुम्भ निर्मला मनोला राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र जोशीपुरों द्वारा श्री सुधीर कुमार गुप्ता, खेतवा खेतवा सं- 0027 खसरा सं- 157 रकबा 0.706 हे० जग्गि में खेड लीची वृक्षों का स्थानीय निरीक्षण किया गया जिसका नजरी नक्शा संलग्न है। निरीक्षण आस्था निमा, कुमार है।

उक्त उद्यान में पंचम पक्ति में 08, छठवी पक्ति में 10, तीसरी पक्ति में 10, चौथी पक्ति में 08, पाचवी पक्ति में 08, दसवी पक्ति में 10, सातवी पक्ति में 09, आठवी पक्ति में 09, नवी पक्ति में 10, दसवी पक्ति में 08, ग्याहवी पक्ति में 08, बारहवी पक्ति में 05 कुल - 103 लीची वृक्ष खेडे हैं।

- 1- उक्त उद्यान में लीची के वृक्ष लगभग 35 वर्ष से अधिक के प्रतीत हो रहे हैं।
- 2- पौधों का रोपण कम दूरी पर किया गया है, कुछ पौधे 5x5 मीटर पर तथा कुछ पौधे 6x6 मीटर दूरी पर ~~खेडे~~ खेडे हैं। पौधों की बढाव अधिक हो जाते के कारण पौधों की उदनिपां आपस में सर लुकी है। तथा पौधों की दायर एक दूसरे पर पर रही है जिस कारण फलों का उत्पादन आशा - मनुष्य नही होगा।
- 3- कुछ पौधों की उदनिपां सूर्य रही है तथा पौधे फल नही देने की स्थिति में हैं।
- 4- पौधों की दूरी कम होने के आपस में सारे पौधों का पातन किया जाय।


उचित होगा तकि अन्य पौधों के खुली रूप मिल सके, उपरोक्त तथ्यों के इस्तिगत रखते हुए सिकिरी के सदस्यों द्वारा

उक्त उद्यान में पहली पक्ति में 02, दूसरी पक्ति में 04, तीसरी पक्ति में 03, चौथी पक्ति में 01, पाचवी पक्ति में 02, छठी पक्ति में 02, सातवी पक्ति में 02, आठवी पक्ति में 01, नवी पक्ति में 02, दसवी पक्ति में 01, ग्याहवी पक्ति में 02, बारहवी पक्ति में 01 कुल - 22 वृक्षों के वृक्ष पातन योग्य प्रतीत होते हैं।


कतः जवाबदायी - 22 वृक्षों का पातन कर उनके स्थान पर नये वृक्षों का रोपण करना उचित होगा। पातन की स्वीकृति उपरान्त श्री उद्यानपति अपना उनके प्रतिबद्धि द्वारा स्वीकृति के अन्तर्क पौधों का पातन किया जायगा है। उन पर धेमे गाम मिनी गी कार्पनाधी के लिए वे स्वयं उत्तरदायी रहेंगे।

Attested
श्री उद्यान अधिकारी
अमर सिंह नगर


निरीक्षक मनोला
राजस्व उपनिरीक्षक
जिला - अमर सिंह नगर


(राम सिंह)
राज निरीक्षक
क्षेत्र काशीपुर


(ज्योती प्रसाद)
ज्येष्ठ उपनिरीक्षक


(श्री. लक्ष्मी)
ज्येष्ठ उपनिरीक्षक

कार्यालय तहसीलदार काशीपुर जिला उधमसिंहनगर ।

54
Email-tehsilkashipur@gmail.com

दूरभाष/फैक्स संख्या-05947-27402

पत्र संख्या- 185/ना0ना0/2023

दिनांक 31-01-2023

विषय:- आम के पेड़ों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
सेवा में,

मुख्य उद्यान अधिकारी,
उधमसिंहनगर।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक, मुख्य उद्यान अधिकारी, उधमसिंहनगर के पत्र सं0-1911/तक-2/ पातन निरी0/2022-23 दिनांक 03.01.2023 जो आपको सम्बोधित है, पर अपने पृष्ठांकन आदेश दिनांक 06.01.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में केवल भूमि स्वामित्व केस में रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र सं0-40/ना0ना0/2023 दिनांक 12 जनवरी, 2023 के द्वारा श्री रेवाधर भट्ट ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, श्री एस0एल0कोहली ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक जसपुर, श्री राम सिंह राजस्व निरीक्षक व कु0 निर्मला मनौला राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र गोपीपुरा तहसील काशीपुर से प्रकरण में स्थलीय निरीक्षण कर संयुक्त आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी।

उक्त के क्रम में श्री रेवाधर भट्ट ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, श्री एस0एल0कोहली ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक जसपुर, श्री राम सिंह राजस्व निरीक्षक व कु0 निर्मला मनौला राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र गोपीपुरा तहसील काशीपुर के द्वारा दिनांक 13.01.2023 से 45 आम वृक्षों का पातन हेतु संयुक्त निरीक्षक आख्या प्रस्तुत की गयी है जो मूल में संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

31.01.23
तहसीलदार काशीपुर,
जनपद उधमसिंहनगर।

P.C. Attested
मुख्य उद्यान अधिकारी
उधम सिंह नगर

S.H. 2-24
C. 11-0
28/1/2023

संयुक्त निरीक्षण आख्या

आज दिनांक 22-01-23 को तहसीलदार काशीपुर जनपद-उधमसिंह नगर के पत्रांक संख्या 40/ना/ता/2023/दिनांक 11 जनवरी 23 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार आम वृक्ष पातन हेतु उनके द्वारा गठित चार सदस्यीय समिति श्री रेवाधर भण्ड ज्येष्ठ प्रधान निरीक्षक लुरखालय कसपुर, श्री रसम-सल-कोहली ज्येष्ठ प्रधान निरीक्षक जसपुर, श्री रामसिंह राजख निरीक्षक क्षेत्र काशीपुर, कुमारी निर्मला मनौला राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र गोपीपुर द्वारा श्री नकुल कुमार गुप्ता 8/0 श्री महेश कुमार गुप्ता निवासी ग्राम-चांदपुर के प्रधान में स्वतंत्री संख्या-00125 स्वसूत्र नं० 145, 146, कुल भूमि 4.144 हेक्टर स्थित प्रधान में खड़े आम वृक्षों का उक्त गठित समिति के सदस्यों द्वारा वृक्षों का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसका नजरी नक्शा संलग्न है, एवं निरीक्षण आख्या निम्न प्रकार है-

उक्त प्रधान में पहली पंक्ति में 4 वृक्ष, दूसरी पंक्ति में 19 वृक्ष, तिसरी पंक्ति में 20 वृक्ष, चौथी पंक्ति में 23 वृक्ष, पाँचवी पंक्ति में 19 वृक्ष, छठी पंक्ति में 21 वृक्ष, सातवी पंक्ति में 21 वृक्ष, आठवी पंक्ति में 22 वृक्ष, नौवी पंक्ति में 19 वृक्ष, दसवी पंक्ति में 22 वृक्ष, ग्यारहवी पंक्ति में 22 वृक्ष, बारहवी पंक्ति में 23 वृक्ष, तेरवी पंक्ति में 21 वृक्ष, चौदहवी पंक्ति में 22 वृक्ष, पंद्रहवी पंक्ति में 10 वृक्ष, कुल 288 आम वृक्ष खड़े हैं।

- ① उक्त आम वृक्ष 55 वर्ष से अधिक उम्र के प्रतीत होते हैं अधिक उम्र होने के कारण फलों का उत्पादन कम हो रहा है उत्पादन आणविक नही हो रहा है।
- ② उक्त प्रधान में नीचो नीच बिजली की लाइन जा रही है, तथ्या आम वृक्षों पर स्पर बिजली के तार मिल रहे हैं जिससे जन हानि भी हो सकती है।
- ③ अधिक उम्र होने के कारण वृक्षों का फलनाव अधिक हो चुका है, कुछ वृक्ष झरने रहे हैं कुछ वृक्षों की खनियां सूख रही हैं फलों संलग्न है।

उपर्युक्त कारणों को मध्यनजर रखते हुए उक्त गठित समिति के चयन के नामित सदस्यों द्वारा सहायते प्रधान की शर्तों कि उक्त प्रधान में पहली पंक्ति में ① वृक्ष, दूसरी पंक्ति में ①, तिसरी पंक्ति में ③ वृक्ष, चौथी पंक्ति में ② वृक्ष, पाँचवी पंक्ति में ② वृक्ष, छठी पंक्ति में ③ वृक्ष, सातवी पंक्ति में ④ वृक्ष, आठवी पंक्ति में ③ वृक्ष, नौवी पंक्ति में ④ वृक्ष, दसवी पंक्ति में ② वृक्ष, ग्यारहवी पंक्ति में ③ वृक्ष, बारहवी पंक्ति में ⑦ वृक्ष, तेरवी पंक्ति में ② वृक्ष, चौदहवी पंक्ति में ③ वृक्ष, पंद्रहवी पंक्ति में ⑦ वृक्ष, कुल ⑤५ वृक्ष पातन योग्य प्रतीत होते हैं।

अतः अलाभकारी ⑤५ वृक्षों का पातन कर उनके स्थान पर नये वृक्ष रोपण करना उचित होगा, साथ ही स्वीकृति उपरोक्त श्री नकुल कुमार गुप्ता एवं उनके द्वारा नामित हेमेश्वर इसरतमली निवासी प्रतापपुर द्वारा स्वीकृति से अधिक वृक्षों का पातन किया जाता है तो वे स्वयं उत्तरदायी रहेंगे, श्री इसरतमली का शपथ पत्र संलग्न है।

<p>(रेवाधर भण्ड)</p> <p>ज्येष्ठ प्रधान निरीक्षक</p> <p>C.H.B. कामाजालय विकास गवन</p> <p>कसपुर</p>	<p>(रसम-सल-कोहली)</p> <p>ज्येष्ठ प्रधान निरीक्षक</p> <p>जयन नगर</p> <p>कसपुर</p>	<p>(रामसिंह)</p> <p>राजख निरीक्षक</p> <p>डोह काशीपुर</p>	<p>(कुमारी निर्मला मनौला)</p> <p>राजस्व उपनिरीक्षक</p> <p>कामाजालय विकास गवन</p> <p>जिला-उधम सिंह नगर</p>
---	--	--	---

कार्यालय:- मुख्य उद्यान अधिकारी, ऊधम सिंह नगर, विकास भवन, रुद्रपुर

☎ & ✉:- 05944-250447, Email-horti.usn@gmail.com

पत्रांक 2067 / तक-2 / पातन-स्वीकृति / 2022-23,

दिनांक: 19/01/2023

प्रभारी

उद्यान सचल दल केन्द्र काशीपुर,
जनपद-ऊधमसिंहनगर।

विषय:- नाप खेत में स्थित वृक्षों के पातन की अनुमति।

तहसीलदार काशीपुर द्वारा प्रदत्त स्वामित्व प्रमाणपत्र के आधार पर श्री मनीष गुप्ता पुत्र श्री नरेश कुमार गुप्ता, निवासी ग्राम चोंदपुर, तहसील-काशीपुर, जिला-ऊधमसिंह नगर के खाता खतौनी संख्या-00027, खसरा संख्या - 156, रकवा-0.9470 है 0 भूमि में स्थित निम्न वृक्षों के तहसीलदार काशीपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर के पत्रांक-40 / ना0ना0 / 2023 / दिनांक 12.01.2023 के क्रम में गठित समिति द्वारा दिनांक:-13.01.2023 को स्थलीय निरीक्षण आख्या की संस्तुति के आधार पर आपके क्षेत्रागत निम्न प्रजाति के वृक्षों का पातन करने की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के अर्न्तगत प्रदान की जाती है।

क्र०सं०	फल का नाम/प्रजाति	वृक्षों की संख्या	अनुमानित आयु	अभ्युक्ति/वृक्षों की स्थिति
1-	आम	39	55 वर्ष से अधिक	अनुपयोगी/अलामकारी/रोगग्रसित

पातन से पूर्व प्रतिबन्ध:-

- 1- उपरोक्त स्वीकृति के अर्न्तगत छपान किये जाने वाले वृक्षों का छपान शुल्क 35/- प्रति वृक्ष की दर से नकद वनक्षेत्राधिकारी के पास जमा करना होगा। तत्पश्चात ही छपान की कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उपरोक्त स्वीकृति के अर्न्तगत काटे जाने वाले प्रत्येक वृक्ष रु० 50/- प्रतिवृक्ष की दर से जमागत के रूप में राष्ट्रीय बचत पत्र/टी0डी0आर में प्रभारी, उद्यान सचल दल केन्द्र, काशीपुर के नाम से निरूपित करवाना होगा। जमा की गयी धनराशि के विरुद्ध काटे जाने वाले वृक्ष के स्थान पर प्रति वृक्ष दो फलदार पौधों को लगाना अनिवार्य होगा।
- 3- पातन की कार्यवाही इस कटान अनुज्ञा के दिनांक से 30 दिन के भीतर कार्य पूर्ण कर देना होगा। अन्यथा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी। नये लगाये जाने वाले पौधों की मांग का खसरा प्लॉट संख्या एवं पौधों को वनक्षेत्राधिकारी/मुख्य उद्यान अधिकारी/प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र, काशीपुर को बताना होगा।
- 4- कटान हेतु अनुमत्य किये गये प्रकाष्ट की निकासी करने के लिए अभिवहन पास हेतु आवेदन को उ०प्र० इमारती एवं वन उपज अभिवहन नियमावली 1978 की अनुसूची-ख के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। तत्पश्चात उसको अभिवहन पास जारी किया जायेगा।
- 5- कटान हेतु अनुमत: किये गये वृक्षों के प्रकाष्ट की निकासी हेतु वन मोटर मार्ग की प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित वाहन के लिए विभागीय रोड परिमित प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 6- विभागीय रोड परिमित केवल रेगुलर वन मोटर मार्ग के लिए होगा।
- 7- निकासी किये जाने वाले प्रकाष्ट हेतु सम्पत्ति चिन्ह का पंजीकरण कराना होगा।
- 8- कटान की अवधि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित की जायेगी।
- 9- छपान कार्य में वन प्रभाग को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाये।
- 10- सम्बन्धित कृषक को काटे जाने वाले प्रति वृक्ष की दर से 02 फलदार वृक्ष तथा कुल स्वीकृत 39 फल वृक्षों पर 78 वृक्षों के रोपण हेतु अग्रिम धनराशि जमा कर केन्द्र पर अनुरक्षित पंजिका में अभिलेख हेतु अनुरक्षित करें।
- 11- फल पौध रोपण के समय सम्बन्धित उद्यानपति से फल पौध रोपण सुनिश्चित कराये।
- 12- प्रभारी पातन/लोपिंग कार्य अपनी अथवा किसी विभागीय कर्मचारी की उपस्थिति में सम्पादित कराये, तथा उसका फोटोग्राफ भी अनुरक्षित कराया जाये।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधमसिंह नगर।

पत्रांक 2067 / उक्तदिनांकित।

- प्रतिलिपि:-1. श्री मनीष गुप्ता पुत्र श्री नरेश कुमार गुप्ता, निवासी ग्राम चोंदपुर, तहसील-काशीपुर, जिला-ऊधमसिंह नगर को उनके प्रार्थना पर दि० 04.08.2022 के क्रम में इस आशय से सूचनार्थ कि उपरोक्तानुसार निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के आधार पर पातन/लोपिंग की अनुमति प्रदान की जाती है।
2. थाना काशीपुर, जनपद- ऊधमसिंहनगर को सूचनार्थ प्रेषित।
 3. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर, जिला नैनीताल की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधमसिंह नगर।

पत्रांक 2068 / तक-2 / पातन-स्वीकृति / 2022-23,

दिनांक: 19/01/2023

प्रभारी

उद्यान सचल दल केन्द्र काशीपुर,
जनपद-ऊधमसिंहनगर।

विषय:- नाप खेत में स्थित वृक्षों के पातन की अनुमति।

तहसीलदार काशीपुर द्वारा प्रदत्त स्वामित्व प्रमाणपत्र के आधार पर श्री सुधीर कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता, निवासी-31ए अशोका एवेन्यु दक्षिणी दिल्ली ग्राम चॉदपुर, तहसील-काशीपुर, जिला-ऊधमसिंह नगर के खाता खतौनी संख्या-00027, खसरा संख्या-157, रकबा- 1.7850 है0 भूमि में स्थित निम्न वृक्षों के तहसीलदार काशीपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर के पत्रांक 40/ना0ना0/2023/दिनांक 12.01.2023 के क्रम में गठित समिति द्वारा दिनांक:-13.01.2023 को स्थलीय निरीक्षण आख्या की संस्तुति के आधार पर आपके क्षेत्रान्त निम्न प्रजाति के वृक्षों का पातन करने की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के अर्न्तगत प्रदान की जाती है।

क्र0सं0	फल का नाम/प्रजाति	वृक्षों की संख्या	अनुमानित आयु	अभ्युक्ति/वृक्षों की स्थिति
1-	आम	44	50 वर्ष से अधिक	अनुपयोगी/अलामकारी/रोगग्रसित

पातन से पूर्व प्रतिबन्ध:-

- 1- उपरोक्त स्वीकृति के अर्न्तगत छपान किये जाने वाले वृक्षों का छपान शुल्क 35/- प्रति वृक्ष की दर से नकद वनक्षेत्राधिकारी के पास जमा करना होगा। तत्पश्चात ही छपान की कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उपरोक्त स्वीकृति के अर्न्तगत काटे जाने वाले प्रत्येक वृक्ष रू0 50/- प्रतिवृक्ष की दर से जमानत के रूप में राष्ट्रीय बचत पत्र/टी0डी0आर में प्रभारी, उद्यान सचल दल केन्द्र, काशीपुर के नाम से निरूपित करवाना होगा। जमा की गयी धनराशि के विरुद्ध काटे जाने वाले वृक्ष के स्थान पर प्रति वृक्ष दो फलदार पौधों को लगाना अनिवार्य होगा।
- 3- पातन की कार्यवाही इस कटान अनुज्ञा के दिनांक से 30 दिन के भीतर कार्य पूर्ण कर देना होगा। अन्यथा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी। नये लगाये जाने वाले पौधों की मांग का खसरा प्लाट संख्या एवं पौधों को वनक्षेत्राधिकारी/मुख्य उद्यान अधिकारी/प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र, काशीपुर को बताना होगा।
- 4- कटान हेतु अनुमत्य किये गये प्रकाष्ठ की निकासी करने के लिए अभिवहन पास हेतु आवेदन को उ0प्र0 इमारती एवं वन उपज अभिवहन नियमावली 1978 की अनुसूची-ख के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। तत्पश्चात उसको अभिवहन पास जारी किया जायेगा।
- 5- कटान हेतु अनुमत: किये गये वृक्षों के प्रकाष्ठ की निकासी हेतु वन मोटर मार्ग की प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित वाहन के लिए विभागीय रोड परिमित प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 6- विभागीय रोड परिमित केवल रेगुलर वन मोटर मार्ग के लिए होगा।
- 7- निकासी किये जाने वाले प्रकाष्ठ हेतु सम्पत्ति चिन्ह का पंजीकरण कराना होगा।
- 8- कटान की अवधि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित की जायेगी।
- 9- छपान कार्य में वन प्रभाग को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाये।
- 10- सम्बन्धित कृषक को काटे जाने वाले प्रति वृक्ष की दर से 02 फलदार वृक्ष तथा कुल स्वीकृत 44 फल वृक्षों पर 88 वृक्षों के रोपण हेतु अग्रिम धनराशि जमा कर केन्द्र पर अनुरक्षित पंजिका में अभिलेख हेतु अनुरक्षित करें।
- 11- फल पौध रोपण के समय सम्बन्धित उद्यानपति से फल पौध रोपण सुनिश्चित कराये।
- 12- प्रभारी पातन/लोपिंग कार्य अपनी अथवा किसी विभागीय कर्मचारी की उपस्थिति में सम्पादित कराये, तथा उसका फोटोग्राफ भी अनुरक्षित कराया जाये।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधमसिंह नगर।

पत्रांक 2068 / उक्तदिनांकित।

- प्रतिलिपि:-1. श्री सुधीर कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता, निवासी-31ए अशोका एवेन्यु दक्षिणी दिल्ली ग्राम चॉदपुर, तहसील-काशीपुर, जिला-ऊधमसिंह नगर को उनके प्रार्थना पर दि0 04.08.2022 के क्रम में इस आशय से सूचनार्थ कि उपरोक्तानुसार निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के आधार पर पातन/लोपिंग की अनुमति प्रदान की जाती है।
2. थाना काशीपुर, जनपद- ऊधमसिंहनगर को सूचनार्थ प्रेषित।
 3. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर, जिला नैनीताल की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

Photo copy Attested
मुख्य उद्यान अधिकारी
ऊधम सिंह नगरमुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधमसिंह नगर।

पत्रांक 2069/तक-2/पातन-स्वीकृति/2022-23,

दिनांक: 19/01/2023

प्रमारी

उद्यान सचल दल केन्द्र काशीपुर,

जनपद-ऊधमसिंहनगर।

विषय:- नाप खेत में स्थित वृक्षों के पातन की अनुमति।

तहसीलदार काशीपुर द्वारा प्रदत्त स्वामित्व प्रमाणपत्र के आधार पर श्री सुधीर कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता, निवासी-31ए अशोका एवेन्यु दक्षिणी दिल्ली ग्राम चॉंदपुर, तहसील-काशीपुर, जिला-ऊधमसिंह नगर के खाता खतौनी संख्या-00027, खसरा संख्या-157, रकबा- 0.706 है 0 भूमि में स्थित निम्न वृक्षों के तहसीलदार काशीपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर के पत्रांक 40/ना0ना0/2023/दिनांक 12.01.2023 के क्रम में गठित समिति द्वारा दिनांक:-13.01.2023 को स्थलीय निरीक्षण आख्या की संस्तुति के आधार पर आपके क्षेत्रागत निम्न प्रजाति के वृक्षों का पातन करने की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के अर्न्तगत प्रदान की जाती है।

क्र०सं०	फल का नाम/प्रजाति	वृक्षों की संख्या	अनुमानित आयु	अभ्युक्ति/वृक्षों की स्थिति
1-	लीन्ची	22	35 वर्ष से अधिक	अनुपयोगी/अलामकारी/रोगग्रस्त

पातन से पूर्व प्रतिबन्ध:-

- 1- उपरोक्त स्वीकृति के अर्न्तगत छपान किये जाने वाले वृक्षों का छपान शुल्क 35/- प्रति वृक्ष की दर से नकद वनक्षेत्राधिकारी के पास जमा करना होगा। तत्पश्चात ही छपान की कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उपरोक्त स्वीकृति के अर्न्तगत काटे जाने वाले प्रत्येक वृक्ष रू 50/- प्रतिवृक्ष की दर से जमानत के रूप में राष्ट्रीय बचत पत्र/टी0डी0आर में प्रमारी, उद्यान सचल दल केन्द्र, काशीपुर के नाम से निरूपित करवाना होगा। जमा की गयी धनराशि के विरुद्ध काटे जाने वाले वृक्ष के स्थान पर प्रति वृक्ष दो फलदार पौधों को लगाना अनिवार्य होगा।
- 3- पातन की कार्यवाही इस कटान अनुज्ञा के दिनांक से 30 दिन के भीतर कार्य पूर्ण कर देना होगा। अन्यथा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी। नये लगाये जाने वाले पौधों की मांग का खसरा प्लाट संख्या एवं पौधों को वनक्षेत्राधिकारी/मुख्य उद्यान अधिकारी/प्रमारी उद्यान सचल दल केन्द्र, काशीपुर को बताना होगा।
- 4- कटान हेतु अनुमत्य किये गये प्रकाष्ठ की निकासी करने के लिए अभिवहन पास हेतु आवेदन को उ0प्र0 इमारती एवं वन उपज अभिवहन नियमावली 1978 की अनुसूची-ख के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। तत्पश्चात उसको अभिवहन पास जारी किया जायेगा।
- 5- कटान हेतु अनुमत किये गये वृक्षों के प्रकाष्ठ की निकासी हेतु वन मोटर मार्ग की प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित वाहन के लिए विभागीय रोड परिमिट प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 6- विभागीय रोड परिमिट केवल रेगुलर वन मोटर मार्ग के लिए होगा।
- 7- निकासी किये जाने वाले प्रकाष्ठ हेतु सम्पत्ति चिन्ह का पंजीकरण कराना होगा।
- 8- कटान की अवधि प्रमागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित की जायेगी।
- 9- छपान कार्य में वन प्रभाग को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाये।
- 10- सम्बन्धित कृषक को काटे जाने वाले प्रति वृक्ष की दर से 02 फलदार वृक्ष तथा कुल स्वीकृत 22 फल वृक्षों पर 44 वृक्षों के रोपण हेतु अग्रिम धनराशि जमा कर केन्द्र पर अनुरक्षित पंजिका में अभिलेख हेतु अनुरक्षित करें।
- 11- फल पौध रोपण के समय सम्बन्धित उद्यानपति से फल पौध रोपण सुनिश्चित कराये।
- 12- प्रमारी पातन/लोपिंग कार्य अपनी अथवा किसी विभागीय कर्मचारी की उपस्थिति में सम्पादित कराये, तथा उसका फोटोग्राफ भी अनुरक्षित कराया जाये।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधमसिंह नगर।

पत्रांक 2069/उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:-1. श्री सुधीर कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता, निवासी-31ए अशोका एवेन्यु दक्षिणी दिल्ली ग्राम चॉंदपुर, तहसील-काशीपुर, जिला-ऊधमसिंह नगर को उनके प्रार्थना पर दि० 04.08.2022 के क्रम में इस आशय से सूचनार्थ कि उपरोक्तानुसार निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के आधार पर पातन/लोपिंग की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. थाना काशीपुर, जनपद- ऊधमसिंहनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

3. प्रमागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर, जिला नैनीताल की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधमसिंह नगर।

P.C./Attester
मुख्य उद्यान अधिकारी
ऊधम सिंह नगर

कार्यालय:- मुख्य उद्यान अधिकारी, ऊधम सिंह नगर, विकास भवन, रुद्रपुर

☎ & 📧:- 05944-250447, Email-horti.usn@gmail.com

पत्रांक 2179 / तक-2 / पातन-स्वीकृति / 2022-23,

दिनांक: 6/2/2023

प्रभारी

उद्यान सचल दल केन्द्र काशीपुर,

जनपद-ऊधमसिंहनगर।

विषय:- नाप खेत में स्थित वृक्षों के पातन की अनुमति।

तहसीलदार काशीपुर द्वारा प्रदत्त स्वामित्व प्रमाणपत्र के आधार पर श्री नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व० श्री महेश कुमार गुप्ता, निवासी ग्राम-चौदपुर, तहसील-काशीपुर, जिला-ऊधमसिंह नगर के खाता खतौनी संख्या-00125, खसरा संख्या-145,146, रकबा- 4.144 है० भूमि में स्थित निम्न वृक्षों के तहसीलदार काशीपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर के पत्रांक 40/ना०ना०/2023/दिनांक 12.01.2023 के क्रम में गठित समिति द्वारा दिनांक:-22.01.2023 को स्थलीय निरीक्षण आख्या की संस्तुति के आधार पर तहसीलदार काशीपुर, के कार्यालय पत्रांक 185/ना०ना०/2023, दिनांक 31.01.2023 के क्रम में आपके क्षेत्रागत निम्न प्रजाति के वृक्षों का पातन करने की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के अर्न्तगत प्रदान की जाती है।

क०स०	फल का नाम/प्रजाति	वृक्षों की संख्या	अनुमानित आयु	अभ्युक्ति/वृक्षों की स्थिति
1-	आम	45	55 वर्ष से अधिक	अनुपयोगी/अलामकारी/रोगग्रसित

पातन से पूर्व प्रतिबन्ध:-

- 1- उपरोक्त स्वीकृति के अर्न्तगत छपान किये जाने वाले वृक्षों का छपान शुल्क 35/- प्रति वृक्ष की दर से नकद वनक्षेत्राधिकारी के पास जमा करना होगा। तत्पश्चात ही छपान की कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उपरोक्त स्वीकृति के अर्न्तगत काटे जाने वाले प्रत्येक वृक्ष रू० 50/- प्रतिवृक्ष की दर से जमानत के रूप में राष्ट्रीय बचत पत्र/टी०डी०आर में प्रभारी, उद्यान सचल दल केन्द्र, काशीपुर के नाम से निरूपित करवाना होगा। जमा की गयी धनराशि के विरुद्ध काटे जाने वाले वृक्ष के स्थान पर प्रति वृक्ष दो फलदार पौधों को लगाना अनिवार्य होगा।
- 3- पातन की कार्यवाही इस कटान अनुज्ञा के दिनांक से 30 दिन के भीतर कार्य पूर्ण कर देना होगा। अन्यथा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी। नये लगाये जाने वाले पौधों की मांग का खसरा प्लॉट संख्या एवं पौधों को वनक्षेत्राधिकारी/मुख्य उद्यान अधिकारी/प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र, काशीपुर को बताना होगा।
- 4- कटान हेतु अनुमत्य किये गये प्रकाष्ट की निकासी करने के लिए अभिवहन पास हेतु आवेदन को उ०प्र० इमारती एवं वन उपज अभिवहन नियमावली 1978 की अनुसूची-ख के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। तत्पश्चात उसको अभिवहन पास जारी किया जायेगा।
- 5- कटान हेतु अनुमत: किये गये वृक्षों के प्रकाष्ट की निकासी हेतु वन मोटर मार्ग की प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित वाहन के लिए विभागीय रोड परिमित प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 6- विभागीय रोड परिमित केवल रेगुलर वन मोटर मार्ग के लिए होगा।
- 7- निकासी किये जाने वाले प्रकाष्ट हेतु सम्पत्ति चिन्ह का पंजीकरण कराना होगा।
- 8- कटान की अवधि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित की जायेगी।
- 9- छपान कार्य में वन प्रभाग को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाये।
- 10- सम्बन्धित कृषक को काटे जाने वाले प्रति वृक्ष की दर से 02 फलदार वृक्ष तथा कुल स्वीकृत 45 फल वृक्षों पर 90 वृक्षों के रोपण हेतु अग्रिम धनराशि जमा कर केन्द्र पर अनुरक्षित पंजिका में अभिलेख हेतु अनुरक्षित करें।
- 11- फल पौध रोपण के समय सम्बन्धित उद्यानपति से फल पौध रोपण सुनिश्चित कराये।
- 12- प्रभारी पातन/लोपिंग कार्य अपनी अथवा किसी विभागीय कर्मचारी की उपस्थिति में सम्पादित कराये, तथा उसका फोटोग्राफ भी अनुरक्षित कराया जाये।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधमसिंह नगर।

पत्रांक 2179 / तक-2 / पातन-स्वीकृति / 2022-23, दिनांकित।

- प्रतिलिपि:-
1. श्री नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व० श्री महेश कुमार गुप्ता, निवासी ग्राम- चौदपुर, तहसील-काशीपुर, जिला-ऊधमसिंह नगर को उनके प्रार्थना पर दि० 08.08.2022 के क्रम में इस आशय से सूचनार्थ कि उपरोक्तानुसार निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के आधार पर पातन/लोपिंग की अनुमति प्रदान की जाती है।
 2. थाना काशीपुर, जनपद- ऊधमसिंहनगर को सूचनार्थ प्रेषित।
 3. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर, जिला नैनीताल की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल)
Annexure-12
Tel./Fax No- 05947-251475, e-mail: dfotaraivest@gmail.com

पत्रांक 302 /23-2

दिनांक, रामनगर, 19-07-2023

सेवा में,

मुख्य उद्यान अधिकारी
उधम सिंह नगर

विषय:

नाप खेत में स्थित आम/लीची फलदार वृक्षों के अधिक काटे जाने के सम्बंध में

सन्दर्भ :-

आपका पत्रांक 344/तक-2/पातन-निरीक्षण/2023-24 दिनांक 03-06-2023, पत्रांक 454/तक-2/पातन-निरीक्षण/2023-24 दिनांक 22-06-2023 तथा इस कार्यालय का पत्रांक 5951/23-2 दिनांक 17-06-2023।

महोदया

उपरोक्त विषयक क्रम आपके द्वारा श्री मनीष गुप्ता, श्री नरेश कुमार गुप्ता निवासी ग्राम चोंदपुर द्वारा स्वीकृत आम व लीची वृक्षों के सापेक्ष अधिक वृक्ष पातन किये जाने के सम्बंध में दर्ज मुख्यमंत्री हैल्पलाइन पर शिकायत के सम्बंध में इस वन प्रभाग द्वारा अवैध पातन पर की गयी कार्यवाही से अवगत करवाने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रकरण पर इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा आपको वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया। वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976 की धारा 4 एवं 10 के अन्तर्गत वन क्षेत्राधिकारी, काशीपुर द्वारा उनके विरुद्ध एस-2 कर इजराय कर कुल रुपये 4,40,000/- (रुपये चार लाख चालीस हजार) का जुर्माना वसूला गया है जिसकी प्रति सलगन कर आपको उपलब्ध कराई गयी है।

दिनांक 05-07-2023 को पुनः मौके का संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसकी प्रति आपको प्रेषित की गयी है। संयुक्त निरीक्षण की जाँच रिपोर्ट में भी 88 वृक्ष बिना स्वीकृति के पातन होना पाया गया जिसका जुर्म रुपये 4,40,000/- (रुपये चार लाख चालीस हजार) पूर्व में ही इजराय कर लिया गया है।

आपके द्वारा अपने पत्र के माध्यम कि उक्त स्थल पर 88 से अधिक वृक्षों का पातन किया गया है का उल्लेख किया गया है जबकि मौके का दो बार संयुक्त निरीक्षण किया जा चुका है। जिसमें स्थिति यथावत है। आपके द्वारा 88 अवैध वृक्षों के पातन के अतिरिक्त जिन वृक्षों का पातन पाया गया उसके विरुद्ध आपके स्तर से जो-जो कार्यवाही की गयी है मय उससे अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करवायें।

अतः दिनांक 05-07-2023 को किये गये संयुक्त निरीक्षण की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

सलगनक - उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(प्रवीण चन्द आर्य)

प्रभागीय वनाधिकारी

तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर

पत्रांक 302/दिनांकित

1- प्रतिलिपि उप प्रभागीय वनाधिकारी, जसपुर, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2- प्रतिलिपि वन क्षेत्राधिकारी, काशीपुर को उपरोक्त क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्रवीण चन्द आर्य)

प्रभागीय वनाधिकारी

तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर

5/7/23
22/07/2023

OIC

P.C. Atwale
मुख्य उद्यान अधिकारी
उधम सिंह नगर

पत्रांक 270 / तक-2 / सी0एम0 / हेल्पलाइन / 2022-23,

दिनांक 23/05/2023

1. श्री जगदीश चन्द्र तिवारी, ज्ये0उ0निरी0 / प्रभारी, उ0स0द0केन्द्र, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर।
2. श्री दिवाकर पाण्डे, सहा0वि0अधि0, उद्यान सचल दल केन्द्र, कुण्डेश्वरी, ऊधम सिंह नगर।

विषय: सी0एम0 हेल्पलाइन शिकायत सं0 446812 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक श्री हरप्रीत शर्मा नियर महाराना प्रताप स्पोर्ट्स कालेज रायपुर देहरादून की सी0एम0 हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत सं0 446812 जो ग्राम- चॉदपुर में फलदार वृक्षों को अनुमति से अधिक काँटे जाने के सम्बन्ध में हैं, को त्वरित कार्यवाही हेतु दिनांक 27.04.2023 को उद्यान विभाग को स्थानान्तरित किया गया है।

उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप ग्राम चॉदपुर में फलदार वृक्षों को अनुमति से अधिक काँटे जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत क्रम सं0 10 धारा-4 का उल्लंघन करते हुए वृक्ष के निपातन या अपनयन के लिए शास्ति- कोई भी धारा 4 के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए किसी खड़े हुए वृक्ष को गिराता है या गिराने देता है, या किसी गिरे हुए वृक्ष को काटता है, हटाता है या अन्यथा निस्तारित करता है या इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी अनुज्ञा को किसी शर्त का उल्लंघन करता है उसे कारावारस का, जो छः मास तक हो सकता है, या जुर्माने का, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों का दिया जाएगा।

उक्त अधिनियम के अन्तर्गत क्रम सं0 15 में अपराधों का प्रशमन कराने की शक्ति- (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी अधिकारी को, किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विरुद्ध यह विश्वास करने का कारण है कि उसमें किसी वन, बाग या सार्वजनिक भू-गृहादि में स्थित वृक्ष से भिन्न किसी वृक्ष के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन अपराध किया है, ऐसी धनराशि, जो पांच हजार रुपये से अधिक न हो, उस अपराध के लिए प्रशमन के रूप में स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है जिसके बारे में यह विश्वास है कि ऐसे व्यक्ति ने उसे किया है।

(2) किसी ऐसे अधिकारी का ऐसी धनराशि का भुगतान करने पर, संदिग्ध व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में हैं, छोड़ दिया जाएगा और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कोई अग्रतर कार्यवाही नहीं की जाएगी और धारा 14 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा अधिकारी, ऐसी राशि का, जो पांच हजार रुपये से अधिक न हो, जिसे वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, भुगतान करने पर इस अधिनियम के अधीन अभिग्रहीत सम्पत्ति को छोड़ सकता है।

उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत संयुक्त जाँच कर सम्बन्धित के खिलाफ एफ0आई0आर0 की कार्यवाही अथवा जुर्माने की धनराशि सहित विस्तृत जाँच आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि आख्यानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधमसिंह नगर।

पत्रांक 270 / उक्तदिनांकित।

- प्रतिलिपि- तहसीलदार, काशीपुर जनपद-ऊधम सिंह नगर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि- श्री सुधीर गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता, निवासी-31ए0 अशोका एवेन्यु दक्षिणी दिल्ली ग्राम-चॉदपुर, तहसील-काशीपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि- श्री मनीष गुप्ता पुत्र श्री नरेश कुमार गुप्ता, निवासी ग्राम-चॉदपुर, तहसील- काशीपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि- श्री नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री महेश कुमार गुप्ता, निवासी ग्राम-चॉदपुर, तहसील- काशीपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधमसिंह नगर।

निरीक्षण आख्या - 24-05-2023

मुख्य उद्यान अधिकारी उद्यमसिंह नार महोदय के कार्यालय परिसर, 290 तक - 2/ सीमेंट/ हेल्पलाइन 12022-23 दिनांक 23-05-2023 के परिपालन में आज दिनांक 24-05-2023 को श्री नकुल कुमार, सुधीर कुमार, मनीस कुमार ग्राम - चंदपुर के आम लीची के बाग का निरीक्षण किया, निरीक्षण जादीश चन्द निवारी जेठ उद्यान निरीक्षक प्रथम उद्यान सचल दल - काशीपुर व दिवाकर पाण्डेय सहायक विकास अधिकारी उद्यान सचल दल कैच कुण्डेश्वरी ने किया, साथ में मनोज कुमार उद्यान सहायक उद्यान सचल दल काशीपुर भी रहे, जिन्होंने आम लीची के पेड़ों का गिनने में सहयोग किया। निरीक्षण आख्या निम्न प्रकार है।

- 1- यह बाग काशीपुर प्रतीप चौक से लगभग 12.00 किमी उत्तर दिशा काशीपुर - रामनगर हाईवे के पश्चिम दिशा में स्थित है। बाग से प्रतापपुर का बाजार संलग्न है। यह बाग प्रतापपुर से हमपुडीपो को जाने वाली रोड (ROAD) के दक्षिण दिशा में स्थित है।
- 2- दिनांक 19-12-2022 को इस बाग का निरीक्षण जादीश चन्द जेठ उद्यान निरीक्षक उद्यान सचल दल काशीपुर एवं किसनलाल सागर जेठ उद्यान निरीक्षक उद्यान सचल दल काशीपुर ने संपूर्त रूप से किया था उस समय उ इस बाग में आम, लीची व अन्य प्रजाति के कुल 110 पेड़ गिने गए थे। उस समय सभी वृक्ष स्वस्थ व फल देने की स्थिति में पाए गए थे। जिस कारण उक्त समिति ने अपनी निरीक्षण आख्या में किसी भी स्थिति में बाग काटने की संसुक्ति नहीं दी थी।
- 3- वर्तमान में बाग में कुल 579 आम लीची के फल वृक्षों को काटकर जड़ सहित उखाड़ कर बाग में छलटिंग कर दी गयी है - जोरा जोर से सीमेंट की दीवार बनाई गयी है। छलटिंग के बाद 1.50 आम लीची वृक्षों को काटने की तैयारी की गयी इन पेड़ों को 90% हानि पहुँचाई गयी है। इस प्रकार किसी भी रूप में उखाड़ा जा सकता है।

पूरे बाग में प्लांटिंग का कार्य चल रहा है। इस प्रकार पौधों की गणना निम्न प्रकार की जाएगी।

- ① दिनांक 19-12-2022 के निरीक्षण के समय कुल पौधों की सं० 1101
- ② दिनांक 24-5-2023 के निरीक्षण के समय कुल जीवत पौधों की सं० 531
- ③ दिनांक 24-5-2023 को जड़ सहित काटे गये पौधों की सं० 470
- ④ दिनांक 24-5-2023 को प्लांटिंग के अन्दर 90% एनिप्रुईयापे गैप आम लीची के पौधों की संख्या 178
- ⑤ दिनांक 24-5-2023 को जर्मिना वसूल जॉन वाल पौधों की सं० 8

$1101 - 178 = 648$ पौधे

5- इस बाग में श्लेष बंधे वृक्षा को भी प्रविष्टि में कार्टेन की तैयारी विलड्रेस द्वारा की जा रही है। जिस कारण प्रविष्टि में किसी भी स्थिति में बाग कार्टेन की सम्मति ली दी जाएगी।

6- जिन कृषकों के नाम इस निरीक्षण आख्या में लिखा है, निरीक्षण के समय इनमें से कोई भी नहीं मिला, स्थानीय लोगों से पता करने पर लोगों ने बताया कि इन सीनों कृषकों का निवास दिल्ली में है। इनमें से कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं रहता है।

7- उद्यान सचल दल केन्द्र में इन कृषकों का कोई भी अभिलेख नहीं है, इनके सारे पत्राचार पत्र प्रामुख्य व प्रमि सम्बन्धी अभिलेख प्रमुख उद्यान अधिकारी कार्यालय कूटपुर में होंगे जहाँ से इस बाग को बनाने की स्वीकृति दी गयी है।

8- मुख्य उद्यान अधिकारी आधितारी महोदय से अनुरोध है कि ऐसी परिस्थिति में कि किसीके नाम मंगिध कृषिवासी की जाए व किस प्रकार की कार्यवाही की जाए, पत्र के माध्यम से आदेशित करने का कार्य करें।

24-5-2023

(जादिश-चन्द तिवारी)

(दिवाकर पाण्डेय)

जब उद्यान निरीक्षण उद्यान सचल दल काशीपुर

सहायक विकास अधिकारी उद्यान सचल दल-कूटपुर

फर्द खसरा ग्राम

चांदपुर

परगना व

64

तहसील काशीपुर

Annexure-14

सिलेबल-14

जिला उधम सिंह नगर सन फसली 143030

खसरा नं०	रकबा (हेक्ट० में)	खाता खतौनी संख्या	नाम कारतकार असल	शिकमी कारतकार	तरीका आव- पाशी	खरीफ			रबी			जायद			दो फसली		मिलान खसरे के अनुसार		प्रत्येक खेत के पूरे पंढ	विशेष टिप्पणी			
						जि०	सि०	अ०	जि०	सि०	अ०	जि०	सि०	अ०	जि०	अ०	श्रेणी	रकबा					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
145 मि०	1.238	125	राजेश गुप्ता नकुल कुमार	✓	बोरिंग	-	-	-	-	-	-	आम	1.238	-	-	-	-	-	आम	36	✓		
145 मि०	0.065	126	राजेश गुप्ता नकुल कुमार	✓	बोरिंग	-	-	-	-	-	-	आम	0.065	-	-	-	-	-	आम	37	✓		
146	1.117	27	सुधीर गुप्ता, मनीष गुप्ता नकुल कुमार गुप्ता	✓	बोरिंग	-	-	-	-	-	-	आम	1.117	-	-	-	-	-	आम	42	✓		
147 मि०	0.182	125	राजेश गुप्ता, नकुल कुमार	✓	बोरिंग	-	-	-	-	-	-	आम	0.130	-	-	-	-	-	आम	लोदी	76	✓	
												लोदी	0.059	-	-	-	-	-	नाशपाती	12	✓		
147 मि०	0.032	126	राजेश गुप्ता, नकुल कुमार	✓	बोरिंग	-	-	-	-	-	-	आम	0.032	-	-	-	-	-	आम	कटल	09	✓	
150	1.088	27	सुधीर गुप्ता आदि व० श० न० 146	✓	बोरिंग	-	-	-	-	-	-	आम	0.405	-	-	-	-	आमदी	0.683	आम	चन्न लेम	100	✓
																			नाशपाती	1	कमर अमलपत्रा	10	3
																			लोदी	15			
152	1.344	125 1.263	राजेश गुप्ता, नकुल कुमार	✓	बोरिंग	-	-	-	-	-	-	आम	1.263	-	-	-	-	-	आम	32	✓		

खसरा नं०	रकबा (हेक्टर में)	खाला खतौनी संख्या	नाम कर्ताकार असल	सिकधी कर्ताकार	तरीका आव-पत्ती	खरीफ			रबी			जायद			दो फसली		मिलान खसरे के अनुसार		पत्तोक खेत के पूरे पैज	विशेष टिप्पणी	
						जि०	सि०	अ०	जि०	सि०	अ०	जि०	सि०	अ०	जि०	अ०	भेणी	रकबा			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
152	1.344	126 0.081	राजेश गुप्ता नरुल कुमार	✓	बोरिंग	-	-	-	-	-	-	बोरी (0.081)	0.081	-	-	-	-	-	बोरी 52	असल 10	✓
153	0.077	126	राजेश गुप्ता नरुल कुमार	✓	बोरिंग	-	-	-	-	-	-	बोरी (0.077)	0.077	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
153 1	1.461	125	राजेश गुप्ता नरुल कुमार	✓	बोरिंग	-	-	-	-	-	-	बोरी (0.461) असल (1.000)	0.461	-	-	-	-	-	बोरी 100	असल 200	नगरपाली 10
153 2	0.028	208	सुरेश कुमार	✓	बोरिंग	-	-	-	-	-	-	बोरी (0.028)	0.028	-	-	-	-	-	बोरी 14	-	✓
156	0.947	27	सुधीर गुप्ता आदि ब० श० न० 146	✓	बोरिंग	-	-	-	-	-	-	आम (0.200)	0.200	-	-	-	क० क० 0.747 श०	0.747	असल 40	-	✓
157	1.785	27	सुधीर गुप्ता आदि न० 146	✓	बोरिंग	-	-	-	-	-	-	बोरी (0.200) आम (1.585)	0.200	-	-	-	क० क० 1.585 श०	1.585	असल 56	बोरी 10	✓
गोटा नरुल			मुताबिक असल के है		सरकारी कार्य हेतु नरुल खरी		<p>61</p> <p>21-34/11-2024</p> <p>2-कार्यालय</p>														

संयुक्त निरीक्षण काव्या.

आज दिनांक 26-9-23 को श्रीमान जिलाधिकारी अखंड्य अरधमसिंहनगर के निदेशानुसार गठित टीम उद्यान विभाग, वनविभाग एवं राजस्व विभाग के संयुक्त टीम द्वारा ग्राम चंदापुर तहसील काशीपुर के खसरा नंबर 146, 154, 155, 156, 157, 145, 147, 152, 153 में श्रीनकुल गुप्ता, सुधीर कुमार, श्री मनीष कुमार के नाम दर्ज भूमि वर्ग-1 के संक्रमणीय भूमिधारी में दर्ज अभिलेख है. प्रश्नगत खसरा नम्बरान में आम, लीची, नाशपाती, करहल, जायबुन का वृक्ष खसरा जिसमें राजस्व विभाग द्वारा 150 वृक्षों की स्वामित्व रिपोर्ट दी गयी. उद्यान विभाग द्वारा मौके की जांच कर वृक्षपातन हेतु स्वीकृति दी गयी थी. तत्पश्चात डेकेदार द्वारा 150 वृक्षों के अतिरिक्त 88 वृक्ष बिना अनुमति के काटे गये। जिस पर वन विभाग द्वारा नियमानुसार 4400000 = 40 रूपया जुमाना बसूला गया. शिकायतकर्ता श्री हरदीप शर्मा द्वारा अपने प्रापना पत्र में कहा गया कि स्वीकृति एवं जुमाना बसूल किये गये वृक्षों की संख्या से अधिक वृक्षों का पातन किया गया है. शिकायतकर्ता के उपस्थिति में आज दिनांक 26-9-23 को सुबह 11:30 बजे उपजिलाधिकारी काशीपुर, मुख्य उद्यान अधिकारी अरधमसिंहनगर, उपप्रभागीय वन अधिकारी रामनगर इन्स अपरजिलाधिकारी अरधमसिंहनगर के निदेशानुसार संयुक्त टीम द्वारा उपस्थिति पत्र तैयार किया गया. जिस पर सबके हस्ताक्षर मौजूद हैं. पत्र संलग्न शिकायतकर्ता उपस्थिति में टीम द्वारा वृक्षों की गणना प्रारंभ की गयी. गणना का कार्य 6:00 बजे सायं तक चला. वृक्षों की गणना का विवरण निम्न प्रकार है. मौके पर कोई खुद नही पाया गया.

- 1- आम - 505
 - 2- लीची - 320
 - 3- नाशपाती - 50
 - 4- करहल - 2
 - 5- जायबुन - 2
- कुल 879

उपरोक्त वृक्ष मौके पर खड़े एवं जीवित पाये गये हैं.

- 1- श्री देवेन्द्र सिंह वन क्षेत्र अधिकारी -
- 2- श्री प्रदीप कुमार एडीआर वॉर्ड ACR.
- 3- श्री सुसुक्त अली तहसीलदार काशीपुर -
- 4- श्री उषा भावना जोशी C.H.O. अरधमसिंहनगर

5- श्री अभय प्रताप सिंह S.D.M. 26/09/23

6- श्री हरदीप शर्मा शिकायतकर्ता

मजाना-यिम निम्नयका

- 1- श्री गोपाल राम S.H.I. ⁶⁴
- 2- " एस.एल. क्वीटकी S.H.I. ⁶⁵
- 3- " रैवाधर मरठ S.H.P. ⁶⁶
- 4- " तरसैमाछि वनवीर कीधकारी ^{Tarshamach}
- 5- " कुं निमला उपराधर ^{Subramach}
- 6- श्री रामाछि राधनिशक ⁶⁷
- 7- " रमेशचंद्र उपराधर ⁶⁸
- 8- " सिद्धान्त गोवल ⁶⁹

संयुक्त जांच रिपोर्ट

Annexure-16

दिनांक 8-5-24 तथा आज दिनांक 10-5-24 को भ्रानतीय शन० जी० टी० टी० के समझ चोंदपुर के खाता संख्या 00027, 00125, 00126, तथा 00208 कुल रकवा 9.91 हेक्टर भूमि में पूर्व में दिनांक 26-9-23 को वन विभाग, राजस्व विभाग, उद्यान विभाग द्वारा उपजिलाधिकारी काशीपुर तहसीलदार काशीपुर, मुख्य उद्यान अधिकारी ऊधमसिंहनगर प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर, वन क्षेत्राधिकारी काशीपुर की उपस्थिति में पैड़ों की गणना की गयी थी, जिसमें शिकायतकर्ता श्री हरदीप शर्मा श्री उपायुक्त उपस्थित थे, उक्त गणना के सापेक्ष पुनः शिकायतकर्ता एवं श्री स्वामियों के प्रतिनिधियों के सामने श्री पैड़ों की गणना की गयी, गणना निम्न प्रकार है।

क्रम सं.	फल वृक्ष का नाम	दिनांक 26-9-23 की गणना के अनुसार	दिनांक 10-5-24 को वर्तमान में गणना के अनुसार	10-5-24 को गणना में कम पाये गये पैड़ों की संख्या
1-	आम	505	411 (उसूखे)	94
2-	लीची	320	263	57
3-	नाशपाती	50	25	25
4-	करहल	2	2	2
5-	जामुन	2	2	2
	कुल योग	879	703	176

- 1- श्री कुल सिंह राजस्व निरीक्षक काशीपुर
- 2- श्री कौतुबुल्ला वन दरोगा वन विभाग काशीपुर
- 3- कु० प्रगात वन बीट अधिकारी काशीपुर
- 4- अमपाल सिंह वन बीट अधिकारी काशीपुर
- 5- एस०एल० कोहली S.O. उद्यान विभाग काशीपुर
- 6- नरेश गोस्वामी, S.O. उद्यान विभाग काशीपुर
- 7- अर्जुन कुमार रा. उपा. नि. राजस्व विभाग काशीपुर
- 8- अभय प्रताप सिंह, SDM Kashipur



पर्यावरण सुरक्षा, वृक्षारोपण, जनसेवा समिति (राजि.)

भजन सिंह वैद्य-डुर्फ विलियम
राष्ट्रीय अध्यक्ष

मुख्य कार्यालय : सी/427, न्यू-आवास विकास कालोनी
पो. व तह. - काशीपुर - 244713 (कै.सि.नगर) उत्तराखण्ड

सुरेश देवागतक
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
डी-77, आई कालोनी कलानग, पो. कलानग
जिला-वीरभूमि, उत्तराखण्ड

पत्रांक : PSVJSS/KSP/.....165.....

दिनांक 19/02/2024

सास्वत पॉल
राष्ट्रीय सचिव
फारम कालोनी रोड, पोस्ट नं 8 241,
डी व जिला मुटवा-244001, उत्तर प्रदेश

सेवा में,

श्रीमान नकुल कुमार गुप्ता
काशीपुर, उधम सिंह नगर

रवि गारागताक
राष्ट्रीय उप सचिव
डी-77, आई कालोनी कलानग
पो. कलानग, जिला-वीरभूमि, उत्तराखण्ड

विषय- पेड़ों का स्थानान्तरण कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

पप्पू लाल
राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष
कन कालोनी रोड, पो. कलानग,
डी व जिला मुटवा, उत्तर प्रदेश

निवेदन इस प्रकार है कि नकुल कुमार गुप्ता पुत्र श्री महेश कुमार गुप्ता निवासी-ग्राम चाँदपुर, तहसील काशीपुर, जिला-उधम सिंह नगर ने अपने खेत जिसका खसरा नं० 145,146,147,152,153 है जोकि ग्राम चाँदपुर तह० काशीपुर में लगे 165 वृक्षों का स्थानान्तरण पर्यावरण सुरक्षा, वृक्षारोपण, जनसेवा समिति के माध्यम से निशुल्क कराया गया है। जिसमें आम,लीची न नाशपाति के वृक्ष थे।

कमल किशोर पंत
राष्ट्रीय संगठनमंत्री
कन कालोनी, पो.कलानग,काशीपुर
जिला-वीरभूमि, उत्तराखण्ड

उपरोक्त संस्था द्वारा वृक्षों को स्थानान्तरण सुरक्षापूर्वक हेतू आदर्श धाम भोगपुर में 25 पेड़, सी०ओ० ऑफिस काशीपुर, में 10 पेड़, शमशारा रिसोर्ट कंचनपुर छोई रामनगर में 11 पेड़ व सेन्ट मारिया कान्वेन्ट स्कूल आशीष नगर भवानीपुर मुरादाबाद उ०प्र० में 125 पेड़ वृक्षारोपण कराये गये। इसमें पेड़ों को नुकसान नहीं पहुँचा है और वह मौके पर दोबारा अंकुरित भी हो गये हैं।

मुकेश कुमार
सदस्य
कन कालोनी पो. मुकामपुर (कालोनी)
डी व जिला मुटवा, उत्तर प्रदेश

गुलाबदास राजपूत
सदस्य
कालोनी कालोनी, कलानग रोड, काशीपुर
डी व जिला काशीपुर, उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड

दूरजपाल
सदस्य
कन कालोनी पो. मुकामपुर (कालोनी)
डी व जिला मुटवा, उत्तर प्रदेश

(3/2/24)

[Handwritten Signature]

कार्यालय उप जिलाधिकारी काशीपुर जिला उधमसिंहनगर।

पत्र संख्या- ५९७/मु0सहा0/2024

दिनांक 7 फरवरी, 2024

विषय- श्री नकुल कुमार गुप्ता पुत्र श्री महेश कुमार निवासी ग्राम चांदपुर तहसील काशीपुर द्वारा पर्यावरण हित को सुरक्षित रखते हुए आम व लीची के पेड़ों को शिफ्टिंग किये जाने बाबत।

जिला उद्यान अधिकारी,
उधमसिंहनगर।

कृपया उपरोक्त विषयक श्री नकुल कुमार गुप्ता पुत्र महेश कुमार निवासी ग्राम चांदपुर तहसील काशीपुर द्वारा उपरोक्त विषयक प्रार्थना पत्र दिनांक 12-01-2024 पर तहसीलदार काशीपुर से भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार काशीपुर द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 12-02-2024 से अवगत कराया गया कि ग्राम चांदपुर तहसील काशीपुर की खतौनी फसली 1426 लगायत 1431 के खाता सं0 00125 के खसरा सं0 147मि0 रकबा 0.182है0 भूमि में राजेश गुप्ता पत्नी स्व0 महेश कुमार व नकुल कुमार पुत्र स्व0 महेश कुमार का नाम वर्ग 1 के संक्रमणीय भूमिधरी में दर्ज अभिलेख है। उक्त खसरा सं0 147मि0 रकबा 0.182है0 भूमि के मध्य आम के 76पेड़, लीची के 64पेड़, नाशपाती के 12पेड़ खसरे में दर्ज है, जिन पर उपरोक्त खातेदार राजेश गुप्ता पत्नी स्व0 महेश कुमार व नकुल कुमार गुप्ता पुत्र महेश कुमार गुप्ता का स्वामित्व है। उक्त 152 पेड़ों में से आम के 76पेड़ व लीची के 64 पेड़ में से 20-20 पेड़ कुल 40पेड़ों को खातेदार नकुल कुमार गुप्ता पुत्र महेश कुमार गुप्ता बागवानी से अतिरिक्त अन्य प्रयोजन में लाना चाहते हैं। जिस बाबत उक्त 40पेड़ों को पर्यावरण हित को सुरक्षित रखते हुए अन्यत्र ग्राम उज्जैन तहसील काशीपुर की खतौनी फसली 1426 लगायत 1431 के खाता सं0 00355 के खसरा सं0 417मि0 रकबा 0.182है0 भूमि पर शिफ्टिंग कराने का कार्य पर्यावरण सुरक्षा वृक्षारोपण जेन सेवा समिति द्वारा किया जायेगा।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा मात्र भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में रिपोर्ट दी गयी है। उपरोक्तानुसार 40पेड़ों को पर्यावरण हित को सुरक्षित रखते हुए अन्यत्र ग्राम उज्जैन तहसील काशीपुर की खतौनी फसली 1426 लगायत 1431 के खाता सं0 00355 के खसरा सं0 417मि0 रकबा 0.182है0 भूमि पर शिफ्टिंग किये जाने के सम्बन्ध में अपने स्तर से पर्यावरण हित के दृष्टिगत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(अमर प्रताप सिंह)
उप जिलाधिकारी,
काशीपुर।



सेवा में,

श्रीमान प्रमागीय वनाधिकारी महोदय, तराई, पच्ची वन ५५४४,
रामनगर जिला नैनीताल।

विषय- पेड़ों को अन्यत्र शिफ्ट किये जाने की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निवेदन है कि ग्राम चांदपुर तहसील काशीपुर की खतौनी फसली वर्ष 1426-1431 के खाता संख्या 00125 के खसरा नं. 147मि. रक्वा 0.182है० भूमि में राजेश गुप्ता पत्नी स्व. महेश कुमार व नकुल कुमार पुत्र स्व. महेश कुमार का नाम वर्ग 1क संक्रमणीय भूमिधरी में दर्ज अभिलेख है। उक्त खसरा नं. 147मि. रक्वा 0.182है० भूमि के मध्य आम के 76 पेड़, लीची के 64 पेड़, नाशपाती के 12 पेड़ खसरे में दर्ज है जिन पर उपरोक्त खातेदार राजेश गुप्ता पत्नी स्व. महेश कुमार व नकुल कुमार गुप्ता पुत्र महेश कुमार गुप्ता का स्वामित्व है। उक्त 152 पेड़ों में से आम के 76 पेड़ में से 20 पेड़ व लीची के 64 पेड़ में से 20 पेड़ कुल 40 पेड़ों को खातेदार नकुल कुमार गुप्ता पुत्र महेश कुमार गुप्ता बागवानी से अतिरिक्त अन्य प्रायेजन में लाना चाहते हैं। जिस बावत उक्त 40 पेड़ों को पर्यावरण हित को सुरक्षित रखते हुये अन्यत्र ग्राम उज्जैन तहसील काशीपुर की खतौनी फसली वर्ष 1426-1431 के खाता संख्या 00355 के खसरा नं. 417मि. रक्वा 0.182है० भूमि पर शिफ्टिंग कराना चाहते हैं। उपरोक्त पेड़ों को शिफ्टिंग कराने का कार्य पर्यावरण सुरक्षा वृक्षारोपण जन सेवा समिति द्वारा किया जायेगा।

महोदय को यह भी अवगत कराना है कि श्रीमान तहसीलदार कार्यालय काशीपुर एवं श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय काशीपुर के कार्यालय से उपरोक्त के सम्बन्ध में आख्या विभिन्न विभागों को प्रेषित की जा चुकी है।

अतः महोदय से प्रार्थना है कि ग्राम चांदपुर तहसील काशीपुर को खसरा नं. 147मि. रक्वा 0.182है० भूमि के मध्य में आम के 76 पेड़ में से 20 पेड़ व लीची के 64 पेड़ में से 20 पेड़ कुल 40 पेड़ों को प्रार्थी पर्यावरण हित को सुरक्षित रखते हुये अन्यत्र ग्राम उज्जैन तहसील काशीपुर के खसरा नं. 417मि. रक्वा 0.182है० भूमि पर शिफ्टिंग कराना चाहता है, जिसके सम्बन्ध में प्रां महोदय को सूचित कर रहा है।

दिनांक 19.02.2024



प्रार्थी,

(नकुल कुमार गुप्ता)
पुत्र श्री महेश कुमार निवासी ग्राम
चांदपुर तहसील काशीपुर
जिला उधमसिंहनगर।


20-2-2024
वर्ष ५० वन प्रभाग
शासन

सेवा में,

भीमान प्रभागीय बनाधिकारी महोदय,

तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर नैनीताल।

विषय:—पर्यावरण हित को सुरक्षित रखते हुए आम व लीची के पेड़ों की क्षिफिटिंग बाबत।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम वाके ग्राम चांदपुर तहसील कझीपुर जिला—उधमसिंहनगर की वर्ग 1 क संकमणीय अधिकार वाली भूमिधरी भूमि के खाता खतौनी सं०—00125 के खसरा नम्बर—147 मि० रक्बा—0.182 हेक्टेयर भूमि दर्ज है, जिसमें आम व लीची के लगभग 40 पेड़ हैं। इस भूमि को प्रार्थी बागवानी से अतिरिक्त अन्य प्रयोजन में लाना चाहता है, जिस बाबत उक्त भूमि में स्थित पेड़ों को पर्यावरण हित को सुरक्षित रखते हुए अन्यत्र ग्राम उज्जैन, तहसील कझीपुर जिला—उधमसिंहनगर की वर्ग 1 संकमणीय अधिकार वाली भूमिधरी भूमि के खाता खतौनी संख्या—00355 के खसरा नम्बर—417 मि० रक्बा—0.182 हेक्टेयर भूमि पर क्षिफिटिंग करना चाहता है।

अतः महोदयजी से निवेदन है कि ग्राम चांदपुर, तहसील कझीपुर के खसरा नं०—147 से ग्राम उज्जैन, तहसील कझीपुर में के खसरा नम्बर—417 में क्षिफिटिंग करने का सूचनार्थ प्राप्त कर यथा सम्भव सहयोग करने की कृपा करें।

आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक :- 30/12/2023

प्रार्थी *Nakul Gupta*

नकुल कुमार गुप्ता पुत्र श्री महेश कुमार

नि०ग्राम—चांदपुर तहसील कझीपुर

जिला—उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड।

संलग्न:—ग्राम चांदपुर का खाता संख्या—00125,

ग्राम—उज्जैन का खाता संख्या—00355,

R
30/12/2023
40
संलग्न

कार्यालय आदेश

शासनादेश संख्या-G26/V-2/21-5(आ0)/17 टी0री0 दिनांक 17 मार्च, 2021 के अनुसार वर्ष 2016 से पूर्व के विनियमित क्षेत्रों को छोड़कर नये समिलित क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में जनपद-उधमसिंह नगर में वर्ष 2016 में विद्यमान रहे 04 विनियमित क्षेत्रों की सीमा में अग्रिम आदेशों तक मानचित्र स्वीकृत कराने की कार्यवाही की जायेगी। शेष क्षेत्रों में उक्त कार्यवाही स्थगित रहेगी। उक्त विनियमित क्षेत्रों में सम्मिलित गामों की सूची निम्नानुसार है:-

शासनादेश संख्या-3177V/आ0-2006-179(आ0)/06 दिनांक 15 नवम्बर 2006 के

अनुसार-

विनियमित क्षेत्र रुद्रपुर

01-जिला उधमसिंह नगर में नगर पालिका परिषद, रुद्रपुर की सीमा के भीतर पड़ने वाला क्षेत्र।
02-जिला उधमसिंह नगर की तहसील रुद्रपुर के निम्नलिखित ग्रामों की सीमा के भीतर आने वाला क्षेत्र।

01. लगरा	07. विगवाडा	13. दानपुर	19. लालपुर	25. श्रीरामपुर
02. भूडरानी	08. शिमला बहादुरपुर	14. फुलसुगा	20. कोलडा	
03. फाजलपुर महरोला	09. कल्याणपुर	15. फुलसुगी	21. कोलडिया	
04. रम्पुरा	10. छतरपुर	16. भमरोला	22. रायपुर	
05. जगतपुर	11. मटकोटा	17. शिमला पिस्तौर	23. विजयनगर	
06. रुद्रपुर	12. विन्दुखेडा	18. कोटा	24. जयनगर	

शासनादेश संख्या-1938/6-आ-3-61-50 एच/57 दिनांक 09 दिसम्बर 1991

के अनुसार-

विनियमित क्षेत्र किच्छा

01-जिला नैनीताल में, किच्छा नगरपालिका की सीमा के भीतर पड़ने वाला क्षेत्र।
02-जिला नैनीताल में, तहसील रुद्रपुर के निम्नलिखित ग्रामों की सीमा के भीतर पड़ने वाला क्षेत्र।

01. बण्डिया	02. किरानपुर	03. सोनेटा	04. सिरौली कला	05. सिरौली खुर्द
-------------	--------------	------------	----------------	------------------


शासनादेश संख्या-3830(6)/9-आ-3-916-आ0 ए0-91 दिनांक 19 जून 1992

के अनुसार-

विनियमित क्षेत्र काशीपुर

01- नगरपालिका काशीपुर, जिला नैनीताल की सीमा के भीतर पड़ने वाला क्षेत्र।
02-तहसील काशीपुर, जिला नैनीताल के निम्नलिखित ग्रामों की सीमा के भीतर पड़ने वाला क्षेत्र।

01. कुण्डा	09. कुदइया वाला	17. कुआ खेडा	25. पसियापुर	33. कथनाल गोसाई
02. बेतवाला	10. लालपुर	18. टांडा उज्जैन	26. खडकपुर देवीपुरा	34. खोखारताल
03. कथनाल गाजी	11. हरियावाला	19. ढकिया गुलावो	27. कुण्डेसरा	35. गिन्नी खेडा
04. मानपुर	12. रावरखेडा	20. रायपुर खुर्द	28. नन्दरामपुर	36. बासखेडा खुर्द
05. रम्पुरा	13. जरापुर खुर्द	21. गंगापुर रकवा	29. जैतपुरी घोसी	
06. नीझडा	14. गंगापुर गोसाई	22. बराई	30. सांडखेडा	
07. बेलजूटी	15. कुण्डेश्वरी	23. शाहगज	31. हेगपुर इरमाईलपुर	
08. मिस्तारवाला	16. शिवलालपुर डल्हू	24. बासखेडा कला	32. दोहरी परसा	



राजगरी गजट, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश दिनांक 08 नवम्बर 1958 के अनुसार-

विनियमित क्षेत्र याजपुर
गौना इस्लाम नगर(मझरा प्र. मझरा बारा) नगरपुर(मझरा आलापुर), गुण्डिया पिरतीर, कला, खगरिया

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

B. J. J. J.
(बंशीधर/तिवारी)
उपाध्यक्ष,

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
उधमसिंह नगर


कार्यालय जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर।

पत्रांक-400/वरि0लि0-वि0क्षे0/2021

दिनांक / 0 मार्च, 2021

प्रतिलिपि निम्नोक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. निजी सचिव, सचिव आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
02. आयुक्त, कुगाऊँ गण्डल, नैनीताल/अध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उ0सिं0 नगर
03. जिला सूचना अधिकारी, उधमसिंह नगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त का प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।
04. सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर को अनुपालनार्थ।
05. सार्वजनिक अधिकारी/कर्मचारीगण जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर को अनुपालनार्थ।
06. गार्ड फाईल।



B. J. J. J.
(बंशीधर/तिवारी)
उपाध्यक्ष,

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
उधमसिंह नगर